

Current  
Affairs



Connect  
Civils RAS

IAS  
RAS

प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंटिग्रेटेड करंट अफेयर्स मासिक पत्रिका

# दिसम्बर 2025



8690222044



Connect Civils RAS



Youtube Lecture

# Our Programs

Courses designed according to new RPSC Pattern

## Foundation

Connect  
Civils RAS

**Offline + Online**  
Live from classroom  
Weekly Test series  
Daily DPP discussion  
Prelims test and Que bank  
Current affairs  
12-14 Months duration



## RIPA Max

Connect  
Civils RAS

**Complete Mains Course**  
Mentorship + Video Lectures + Notes  
26 Mains Test + Discussion  
Answer writing Sessions  
20 Prelims test and Que bank  
Current affairs  
One stop solution for mains



## RIPA Advance

Connect  
Civils RAS

**Mentorship + Mains Notes**  
26 Mains Test + Discussion  
Answer writing  
Current affairs  
20 Prelims test and que bank  
Updated content



## Prelims

Connect  
Civils RAS

**Complete Prelims Course**  
According to new syllabus  
20 Prelims test  
Que bank - 5000 questions  
Current affairs  
Duration - 90 Days

[CLICK HERE](#)



## Integrated Test Series

Connect  
Civils RAS

**26 Mains Tests and Solutions**  
Discussion & Detailed Feedback  
Answer writing sessions  
20 Prelims Tests  
Prelims Question Bank  
Live test discussions



## Prime Batch

Connect  
Civils RAS

**RAS Mock Interviews**  
One to one guidance  
Current Issues  
Personalized content  
Districts, College, Hobby, Jobs..

[CLICK HERE](#)



Connect Civils  
RajRAS Ventures  
In-app purchases

Uninstall Open

Download App



8690222044



Connect Civils RAS



Youtube Lecture

**Index**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Polity.....</b>  | <b>3</b>  |
| Topic 1 - न्यायालय: संरक्षक के रूप में, नियामक नहीं.....  | 3         |
| Topic 2 - व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण.....  | 4         |
| Topic 3 - राज्य विधेयकों पर सहमति देने में राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता..... | 6         |
| Topic 4 - भारतीय अधीनस्थ न्यायपालिका.....   | 7         |
| Topic 5 - संसदीय व्यवधान: एक प्रणालीगत संकट.....  | 8         |
| Topic 6 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC).....  | 9         |
| Topic 7 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR).....   | 10        |
| Topic 8 - राइट टू डिस्कनेक्ट (कार्य से असंबद्ध होने का अधिकार) विधेयक, 2025.....                  | 11        |
| <b>IR.....</b>  | <b>13</b> |
| Topic 1 - भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध.....  | 13        |
| Topic 2 - भारत-अफ्रीका संबंध.....   | 14        |
| Topic 3 - भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता.....   | 16        |
| Topic 4 - भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA).....                                     | 17        |
| Topic 5 - तियानजिन घोषणा.....   | 19        |
| Topic 6 - भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026.....   | 20        |
| <b>Economy.....</b>   | <b>21</b> |
| Topic 1 - खुली बाजार प्रक्रिया (OMO) खरीद.....  | 21        |
| Topic 2 - बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को कैबिनेट की मंजूरी.....            | 22        |
| Topic 3 - मसाला बॉन्ड (Masala Bond).....  | 23        |
| Topic 4 - भारत के श्रम संहिता.....  | 24        |
| <b>Govt Schemes.....</b>  | <b>26</b> |
| Topic 1 - अमृत फार्मसी के 10 वर्ष.....  | 26        |
| Topic 2 - ई-जागृति प्लेटफॉर्म.....  | 26        |
| Topic 3 - डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिफ़ाइड एड्रेस (DHRUVA).....                                | 27        |
| Topic 4 - विकसित भारत - रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025.....              | 28        |
| Topic 5 - परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission).....   | 29        |
| Topic 6 - शांति विधेयक (SHANTI Bill).....   | 30        |
| <b>History.....</b>   | <b>32</b> |
| Topic 1 - राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC), लोथल.....  | 32        |
| Topic 2 - दंडामी माड़िया जनजाति.....  | 33        |
| Topic 3 - सम्राट परुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय.....   | 33        |
| Topic 4 - बिरसा मुंडा: आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक.....                              | 34        |
| Topic 5 - 'सागर प्राण तळमळला' के 115 वर्ष.....  | 35        |
| Topic 6 - डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि.....  | 36        |

|  |           |
|--|-----------|
| Topic 7 - महाड़ सत्याग्रह (Mahad Satyagraha).....                                | 38        |
| <b>Science and Technology.....</b>   | <b>39</b> |
| Topic 1 - जिंक-आयन बैटरियाँ (Zinc-Ion Batteries - ZIBs)....                      | 39        |
| Topic 2 - DHRUV64 माइक्रोप्रोसेसर.....   | 40        |
| Topic 3 - एजेंटिक एआई (Agentic AI).....  | 40        |
| Topic 4 - टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (Tensor Processing Unit - TPU).....             | 41        |
| Topic 5 - भारत को एक अग्रणी क्वांटम-संचालित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना..... | 42        |
| Topic 6 - जैव-उपचार (Bioremediation).....  | 43        |
| Topic 7 - प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स: वैयक्तिकृत चिकित्सा का भविष्य.....         | 44        |
| Topic 8 - एस्ट्रोसैट: भारत की बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला.....              | 45        |
| Topic 9 - मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन (MAVEN) अंतरिक्ष यान.....      | 46        |
| Topic 10 - जीएनएसएस स्पूफिंग.....  | 47        |
| Topic 11 - नई अंतरिक्ष दौड़.....   | 47        |
| Topic 12 - अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा.....  | 48        |
| Topic 13 - हंसा-3 एनजी विमान (Hansa-3 NG).....                                   | 49        |
| Topic 14 - एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली (मार्क-2).....                  | 50        |
| Topic 15 - INS अरिदमन (INS Aridhaman).....                                       | 50        |
| Topic 16 - आईएनएस तारागिरि (INS Taragiri).....                                   | 51        |
| Topic 17 - मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार.....  | 51        |
| Topic 18 - रक्षा आत्मनिर्भरता.....   | 53        |
| Topic 19 - जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention - BWC).....       | 54        |
| <b>Environment &amp; Geography.....</b>  | <b>55</b> |
| Topic 1 - जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच (IFCCT)..                     | 55        |
| Topic 2 - भारत की जलवायु महत्वाकांक्षाएँ.....                                    | 55        |
| Topic 3 - हिंद महासागर: नई नीली अर्थव्यवस्था का पालना.....                       | 56        |
| Topic 4 - सह अस्तित्व के रूप में संरक्षण.....                                    | 58        |
| Topic 5 - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB).....  | 59        |
| Topic 6 - गैंडा (Rhinoceros / Rhino).....  | 59        |
| Topic 7 - अल नीनो.....   | 60        |
| Topic 8 - मखाना (फॉक्स नट).....  | 61        |
| Topic 9 - पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी.....   | 61        |
| Topic 10 - काला सागर (Black Sea).....  | 62        |
| <b>SMA, SBL and Ethics.....</b>  | <b>63</b> |
| Topic 1 - भारत में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का सतत संघर्ष... 63            |           |
| Topic 2 - दहेज-संबंधी हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश 64              |           |
| Topic 3 - मीडिया नैतिकता (Media Ethics).....                                     | 66        |
| Topic 4 - भारत में उच्च शिक्षा.....  | 67        |



**Miscellaneous..... 69**  
Topic 1 - 'दृष्टि (DRISHTI)' निगरानी प्रणाली..... 69  
Topic 2 - इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026..... 69  
Topic 3 - लाल गलियारे से नक्सल-मुक्त भारत तक..... 70





## Polity

## Topic 1 - न्यायालय: संरक्षक के रूप में, नियामक नहीं

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>  | राजव्यवस्था और संविधान   मौलिक अधिकार   |
| <b>संदर्भ</b>  | हाल ही में <b>रणवीर इलाहाबादिया बनाम भारत संघ (2025)</b> मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने ऑनलाइन सामग्री (कंटेंट) के नियमन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ी है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या न्यायालयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर संवैधानिक सीमाओं से परे जाकर <b>वास्तविक नियामक (de facto regulator)</b> बनने का जोखिम उठाना चाहिए।   |
| <b>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है?</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ विचारों, मतों, विश्वासों और सूचनाओं को किसी भी माध्यम - भाषण, लेखन, कला या डिजिटल प्लेटफॉर्म - से व्यक्त करने का अधिकार।</li> <li>❖ यह लोकतंत्र का मूल आधार है, क्योंकि विचारों की विविधता, असहमति के अधिकार, जवाबदेही, सूचित विकल्प को सुनिश्चित करती है।</li> </ul>  |
| <b>संवैधानिक आधार</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनुच्छेद 19(1)(a):</b> भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी।</li> <li>❖ <b>अनुच्छेद 19(2):</b> केवल <b>विशिष्ट आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध</b> - संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता/नैतिकता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध के लिए उकसावा।</li> <li>❖ अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित ये कारण "पूर्ण एवं सीमित (Exhaustive)" हैं, इन्हें न्यायिक व्याख्या द्वारा विस्तार नहीं दिया जा सकता।</li> </ul>   |
| <b>अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में न्यायालयों की भूमिका: संरक्षक, न कि नियामक</b> | <p>न्यायालयों की भूमिका नीति-निर्माता की नहीं, बल्कि <b>सांविधानिक निर्णायक</b> की है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी स्वतंत्रता की रक्षा करना है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>वैधता की जाँच:</b> यह सुनिश्चित करना कि राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के दायरे में हैं या नहीं।</li> <li>❖ <b>शक्तियों का पृथक्करण:</b> कंटेंट नियमन व नीति-निर्माण का क्षेत्र विधायिका और कार्यपालिका का है।</li> <li>❖ <b>पूर्व-सेंसरशिप से संरक्षण:</b> पूर्व-सेंसरशिप तभी लागू हो जब इसके लिए ठोस संवैधानिक कारण मौजूद हों।</li> <li>❖ <b>घटना के पश्चात समीक्षा:</b> न्यायालयों को निवारक नियंत्रण से बचना चाहिए और वास्तविक नुकसान या प्रभाव के बाद ही समीक्षा करनी चाहिए।</li> </ul> |
| <b>अति-विनियमन से जुड़ी चुनौतियाँ</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>पूर्वनिवारक नियंत्रण (Prior Restraint) का जोखिम:</b> प्रमाणित हानि से पहले ही अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है।</li> <li>❖ <b>अस्पष्ट मानक:</b> "आपत्तिजनक" जैसे शब्द मनमाने निर्णय को बढ़ावा देते हैं।</li> <li>❖ <b>चिलिंग इफ़ेक्ट:</b> कानूनी भय के कारण वैध आलोचना और असहमति हतोत्साहित होती है।</li> <li>❖ <b>न्यायिक अतिक्रमण:</b> न्यायपालिका का नीति-निर्माण क्षेत्र में प्रवेश लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर करता है।</li> <li>❖ <b>डिजिटल जटिलता:</b> ऑनलाइन सामग्री की गति, मात्रा और तकनीकी प्रकृति न्यायालयों की व्यावहारिक क्षमता से बाहर है।</li> </ul>  |
| <b>सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>कॉमन कॉज (2008):</b> न्यायालयों को अपनी संस्थागत क्षमता से परे नीतिगत समाधान प्रस्तावित करने से सावधान रहने की चेतावनी।</li> <li>❖ <b>सहारा इंडिया बनाम सेबी (2012):</b> पूर्व-प्रतिबंध को अंतिम उपाय के रूप में स्वीकार किया।</li> <li>❖ <b>श्रेया सिंघल (2015):</b> आईटी एक्ट की धारा 66A को अस्पष्टता और "चिलिंग इफ़ेक्ट" के कारण निरस्त किया।</li> <li>❖ <b>आदर्श हाउसिंग सोसाइटी (2018):</b> सामग्री नियमन का अधिकार संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों को है।</li> </ul>   |



|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | ❖ <b>कौशल किशोर (2023):</b> दोहराया गया कि अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंध सीमित हैं और इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता।   |
| <b>आगे की राह</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>न्यायिक संयम:</b> न्यायालयों को स्वतंत्रता के रक्षक बने रहना चाहिए, ना कि विनियमन के निर्माता।</li> <li>❖ <b>स्पष्ट विधि:</b> कानूनों को सूक्ष्म रूप से परिभाषित, स्पष्ट और अनुच्छेद 19(2) के आधारों का सख्ती से पालन करना चाहिए।</li> <li>❖ <b>उत्तर-घटना उपचार:</b> विधि-सम्मत प्रक्रिया के बाद ही दंड या टेकडाउन हो, न कि पूर्व-निवारक नियंत्रण।</li> <li>❖ <b>वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाएँ:</b> यूरोपीय संघ (EU), यूके (UK) और ऑस्ट्रेलिया की तरह कंटेंट हटाने-आधारित मॉडल अपनाना।</li> <li>❖ <b>सुसंगत न्यायशास्त्र:</b> "स्वतंत्रता ही नियम है, प्रतिबंध अपवाद" - इस सिद्धांत को सुदृढ़ बनाए रखना।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>   | अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है जिसे केवल अनुच्छेद 19(2) की विशिष्ट शर्तों द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए ताकि वह संवैधानिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करते हुए न्यायिक नियमन से बचे। इससे एक स्वतंत्र और जीवंत डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।  |

## Topic 2 - व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                   | राजव्यवस्था और संविधान   मौलिक अधिकार   |
| <b>संदर्भ</b>                     | सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को <b>गिरफ्तारी के लिखित आधार</b> उस भाषा में उपलब्ध कराने होंगे जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझ सके। यह <b>अनुच्छेद 22(1)</b> के अंतर्गत एक <b>संवैधानिक अधिकार</b> है। यह सभी अपराधों पर लागू है, जिनमें भारतीय दंड संहिता (BNS), PMLA और UAPA सम्मिलित हैं।  |
| <b>संवैधानिक आधार</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनुच्छेद 22(1):</b> प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को "जितनी शीघ्रता से संभव हो" उसकी गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दी जानी चाहिए।</li> <li>❖ यह पहले साधारण वैधानिक प्रक्रिया थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने <b>मौलिक अधिकार</b> घोषित किया है, जिससे: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ इसका उल्लंघन गिरफ्तारी को असंवैधानिक बनाता है।</li> <li>➢ रिमांड <b>गैर-कानूनी</b> माना जाएगा।</li> <li>➢ अभियुक्त <b>तत्काल रिहाई</b> का हकदार होता है।</li> </ul> </li> <li>❖ यह निर्णय अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है।</li> </ul>     |
| <b>निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पुलिस को गिरफ्तारी के आधार: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>लिखित रूप में</b> देने होंगे।</li> <li>➢ <b>उस भाषा में हो</b>, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो।</li> <li>➢ <b>उचित समय के भीतर</b>, कम से कम न्यायालय में प्रस्तुत करने से 2 घंटे पहले देना अनिवार्य।</li> </ul> </li> <li>❖ यह निर्देश सभी विशेष कानूनों, BNS अपराधों तथा सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होगा।</li> <li>❖ अनुपालन न होने पर गिरफ्तारी/रिमांड अवैध → रिहाई का अधिकार।</li> <li>❖ अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जांच की जरूरतों में संतुलन बनाना होगा।</li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>पृष्ठभूमि एवं पूर्व निर्णय</b></p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>2024 मुंबई हिट-एंड-रन वाद:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ड्राइवर को बिना लिखित गिरफ्तारी कारण बताए गिरफ्तार किया गया था।</li> <li>➤ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारी को वैध ठहराया था।</li> <li>➤ हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और ड्राइवर को जमानत दे दी। न्यायालय ने यह घोषणा की कि <b>गिरफ्तारी के लिखित कारण जानने का अधिकार (Right to Written Grounds of Arrest)</b> एक मौलिक अधिकार है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>पूर्व निर्णयों से संबंध:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>डी.के. बसु दिशा निर्देश (1997)</b> → गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा दिशानिर्देशों को प्रारंभ किया गया था; अब यह निर्णय उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।</li> <li>➤ <b>मेनका गांधी मामला (1978)</b> → कानून द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया न्यायसंगत, युक्तिपूर्ण एवं उचित होनी चाहिए।</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>महत्व</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>कानून के शासन को सुदृढ़ करना:</b> पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और गिरफ्तारी के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।</li> <li>❖ <b>व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा:</b> अभियुक्त को आरोपों की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे वह कानूनी सलाह ले सकता है और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी को चुनौती दे सकता है।</li> <li>❖ <b>मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाना:</b> मजिस्ट्रेट अब रिमांड आदेश से पूर्व वास्तविक समीक्षा कर सकेंगे।</li> <li>❖ <b>विशेष कानूनों पर प्रभाव:</b> PMLA और UAPA जैसे कड़े कानूनों में मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगेगी।</li> <li>❖ <b>पुलिस सुधार को आगे बढ़ाना:</b> बेहतर दस्तावेज़ीकरण, मानक प्रारूप और अधिकारियों का प्रशिक्षण।</li> <li>❖ <b>हिरासत हिंसा में कमी:</b> पारदर्शिता मनमानी गिरफ्तारी के दुरुपयोग को रोकती है।</li> </ul>  |
| <p><b>क्रियान्वयन चुनौतियाँ</b></p>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रशासनिक क्षमता:</b> कर्मियों की कमी, अनुवाद एवं स्थानीय भाषा सहायता की आवश्यकता।</li> <li>❖ <b>कानून प्रवर्तन चिंताएँ:</b> अग्रिम जानकारी देने से जांच प्रभावित हो सकती है → SC ने "उचित समय" का लचीला प्रावधान रखा।</li> <li>❖ <b>न्यायिक निगरानी:</b> मजिस्ट्रेट को अनुपालन जाँचना होगा; निचली अदालतों के प्रशिक्षण की आवश्यकता।</li> <li>❖ <b>ग्रामीण/कम साक्षरता संदर्भ:</b> सरल प्रारूप, स्थानीय भाषा, त्वरित कानूनी सहायता।</li> </ul>   |
| <p><b>न्यायिक प्रक्रिया एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों में योगदान</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार अनुबंध (ICCPR Article 9) और संयुक्त राष्ट्र की गिरफ्तारी संबंधी मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है।</li> <li>❖ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक नैतिकता सुनिश्चित करता है।</li> <li>❖ गुप्त गिरफ्तारियों को रोककर भारत की लोकतांत्रिक साख को बढ़ाता है।</li> </ul>  |



## Topic 3 - राज्य विधेयकों पर सहमति देने में राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                                     | राज्यव्यवस्था   राज्य विधान   |
| <b>संदर्भ</b>                                       | सुप्रीम कोर्ट की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्य विधेयकों पर <b>राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent)</b> से संबंधित संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट किया है। यह निर्णय <b>अनुच्छेद 200 और 201</b> के तहत देरी या निष्क्रियता के कारण उत्पन्न <b>विधायी गतिरोध (Legislative Paralysis)</b> की चिंताओं को संबोधित करता है।   |
| <b>मामला किससे संबंधित है?</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह निर्णय <b>अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 की व्याख्या</b> से संबंधित है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।</li> <li>❖ मामला राज्यों की उन शिकायतों से उत्पन्न हुआ, जिनमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल विधेयकों पर सहमति देने या लौटा देने में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं।</li> <li>❖ निर्वाचित सरकारों और संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच <b>संवैधानिक संतुलन</b> पर फोकस।</li> </ul>  |
| <b>अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जब राज्य विधानमंडल कोई विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ स्वीकृति दे सकता/सकती है, या</li> <li>➢ विधेयक को अपने सुझावों सहित पुनः सदन में लौटाना (धन विधेयकों पर लागू नहीं), या</li> <li>➢ विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना (सीमित मामलों में अनिवार्य रूप से)।</li> </ul> </li> <li>❖ राज्यपाल <b>विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकता/सकती</b> अर्थात्, "Withholding simpliciter" अर्थात् बिना कार्रवाई के केवल लंबित रखना - असंवैधानिक है।</li> </ul>   |
| <b>सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख स्पष्टीकरण</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनिश्चितकालीन विलंब असंवैधानिक:</b> राज्यपाल द्वारा विधेयक को <b>अनिश्चित काल तक लंबित रखना</b> असंवैधानिक है। लंबी और अस्पष्ट निष्क्रियता की <b>न्यायिक समीक्षा</b> की जा सकती है।</li> <li>❖ <b>डीमंड असेंट नहीं:</b> केवल देरी के कारण कोई विधेयक स्वतः ही कानून नहीं बन जाता। न्यायालय <b>अनुच्छेद 142</b> का उपयोग इस संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए नहीं कर सकता।</li> <li>❖ <b>विवेकाधिकार, मनमानी नहीं:</b> राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है और वे सहमति के मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं हैं, <b>किंतु इसका उपयोग निर्वाचित सरकार के कार्यों को अवरुद्ध करने के लिए नहीं किया जा सकता।</b></li> <li>❖ <b>न्यायालय द्वारा समय-सीमा निर्धारित नहीं:</b> संविधान में "यथाशीघ्र संभव" शब्दावली का प्रयोग किया गया है; न्यायालय इसके लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं कर सकते।</li> <li>❖ <b>राष्ट्रपति की भूमिका (अनुच्छेद 201):</b> यह केवल राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर लागू होती है। राष्ट्रपति के निर्णय <b>न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं</b> हैं, और उनके निर्णय के लिए भी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।</li> <li>❖ <b>न्यायिक समीक्षा का दायरा:</b> न्यायालय स्वीकृति प्रक्रिया में केवल <b>निष्क्रियता (Inaction) या प्रक्रियात्मक त्रुटियों</b> की जाँच कर सकते हैं। वे स्वीकृति रोकने के राज्यपाल के निर्णय के <b>वस्तुगत गुण-दोष (Substantive merits)</b> की समीक्षा नहीं कर सकते।</li> <li>❖ <b>विधेयक बनाम कानून:</b> न्यायालय केवल स्वीकृति के बाद बने <b>कानून</b> को ही चुनौती दे सकते हैं; <b>लंबित विधेयकों</b> को नहीं।</li> </ul> |

**Topic 4 - भारतीय अधीनस्थ न्यायपालिका**

|   |  |
|---|--|
| <b>Syllabus</b>                             | राज्यव्यवस्था   न्यायपालिका  |
| <b>संदर्भ</b>                               | भारत की निचली न्यायपालिका देश की न्याय-व्यवस्था की रीढ़ है। किन्तु तेज़ी से बढ़ती लंबित मामलों की संख्या, सीमित न्यायिक क्षमता और पुरानी प्रक्रियाएँ ने जिला स्तर पर एक गंभीर दक्षता संकट उत्पन्न कर दिया है।  |
| <b>शासन संरचना</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 233-237</b> निचली न्यायपालिका से संबंधित हैं - जो भर्ती, नियुक्ति, नियंत्रण व पर्यवेक्षण से संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं। इसका प्रशासन <b>राज्य सरकार</b> और <b>उच्च न्यायालय</b> द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है।</li> <li>❖ <b>त्रि-स्तरीय प्रणाली:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ जिला एवं सत्र न्यायालय: सर्वोच्च ट्रायल कोर्ट; जिला न्यायाधीश द्वारा पर्यवेक्षित।</li> <li>➢ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश / CJM: मध्य-स्तरीय दीवानी + गंभीर आपराधिक मामलों का निपटारा।</li> <li>➢ सिविल न्यायाधीश (JD) / JMFC: अधिकांश वादियों के लिए प्रथम संपर्क न्यायालय।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>प्रशासनिक नियंत्रण:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>उच्च न्यायालय:</b> निरीक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मानक।</li> <li>➢ <b>राज्य सरकार:</b> भवन, निधि, कर्मचारी, न्यायिक परीक्षा।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>भर्ती:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>निचली न्यायिक सेवा (LJS):</b> नए स्नातक (0-7 वर्ष अनुभव) → सिविल जज।</li> <li>➢ <b>उच्चतर न्यायिक सेवा (HJS):</b> 7+ वर्ष अनुभव वाले अधिवक्ता → सीधे जिला न्यायाधीश।</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवृत्तियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अत्यधिक लंबित मामले:</b> 4.69 करोड़ मामले, भारत के कुल मामलों का लगभग 90%।</li> <li>❖ <b>रिक्तियाँ:</b> 25,843 स्वीकृत पदों में केवल 21,122 न्यायाधीश कार्यरत; न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात 21 प्रति मिलियन।</li> <li>❖ <b>बढ़ता कार्यभार:</b> प्रत्येक जिला न्यायाधीश को प्रतिवर्ष 1000-1500 नए मामले प्राप्त होते हैं।</li> <li>❖ <b>डिजिटलीकरण:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 506 करोड़ पृष्ठ डिजिटाइज्ड, 65 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाइयाँ।</li> <li>➢ केवल 21 वर्चुअल कोर्ट → तकनीक अपनाने की धीमी गति।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>मामलों के निपटान का समय:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ दीवानी मामले: 5-10 वर्ष; भूमि विवाद: 20-30 वर्ष।</li> <li>➢ आपराधिक मामले: 42% मामलों में निरंतर स्थगन (Adjournments) से विलंब।</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>उठाए गए कदम</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>राष्ट्रीय न्याय वितरण मिशन:</b> प्रक्रियात्मक सुधार + अवसंरचना सुधार।</li> <li>❖ <b>अवसंरचना को बढ़ावा:</b> 22,372 कोर्ट हॉल, 19,851 आवास; ₹12,101 करोड़ व्यय।</li> <li>❖ <b>ई-कोर्ट्स (फेज III):</b> देशभर के 18,735 न्यायालयों में आईटी अपग्रेडेशन, WAN नेटवर्क, एआई उपकरण, 1,814 ई-सेवा केंद्र।</li> <li>❖ <b>फास्ट ट्रैक तंत्र:</b> 865 FTCs, 725 पॉक्सो/FTSC अदालतें; 3.34 लाख मामलों का निपटान।</li> <li>❖ <b>विधायी सुधार:</b> एनआई एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट एवं मध्यस्थता क़ानून में संशोधन।</li> </ul>   |
| <b>निष्कर्ष</b>                             | भारत की निचली न्यायपालिका लंबितता, अप्रचलित कानूनों तथा सीमित क्षमता से चिह्नित संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संकट का सामना कर रही है। जनशक्ति सुदृढीकरण, प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय का विस्तार ही जन विश्वास बहाल करने एवं समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।  |

**Topic 5 - संसदीय व्यवधान: एक प्रणालीगत संकट**

| <b>Syllabus</b>                  | राजव्यवस्था   संसद   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-----|--------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-----|--------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-----|--------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|--|----------|----------|---------------|-----|--------------|-----|--------------------------|-----|---------|-----------|-------------|------------------------|----|----|------------------------|----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| <b>संदर्भ</b>                    | संसद में बार-बार होने वाले व्यवधान, जो 2025 की शीतकालीन सत्र में पुनः उजागर हुए, ने गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। इनमें विधायी विचार-विमर्श में गिरावट, बैठक दिनों में कमी और कार्यपालिका की जवाबदेही के कमजोर होने की समस्या शामिल है।   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| <b>संसद का संक्षिप्त परिचय</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनुच्छेद 79</b> के तहत सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें <b>राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा</b> शामिल हैं।</li> <li>❖ <b>प्रमुख भूमिकाएं:</b> कानून बनाना, बजट को मंजूरी देना, कार्यपालिका पर निगरानी रखना, और जनता का प्रतिनिधित्व करना।</li> </ul>  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| <b>संसदीय व्यवधानों के रुझान</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>बैठक के दिनों में कमी:</b> पहले 120-130 दिन/वर्ष से घटकर अब लगभग <b>55-70 दिन</b>।</li> <li>❖ <b>सबसे कम अवधि की पूर्ण लोकसभा: 17वीं लोकसभा (2019-24)।</b></li> <li>❖ <b>व्यवधान का सामान्यीकरण:</b> नारेबाजी, वेल में प्रवेश, बार-बार स्थगन।</li> <li>❖ <b>न्यूनतम बहस में विधेयक पारित:</b> कई विधेयक घंटों या कुछ दिनों में पारित।</li> <li>❖ <b>समिति जांच में गिरावट:</b> संदर्भित विधेयक ~70% से घटकर &lt;30%।</li> <li>❖ <b>प्रश्नकाल का संकुचन:</b> स्थगनों के कारण अक्सर बाधित या समाप्त।</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <h3>PARLIAMENT OVER THE DECADES</h3> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>■ The number of sittings in the Lok Sabha has gone down from an average of 121 days a year between 1952-70 to 68 days since 2000.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>■ The 17th Lok Sabha between 2019 and 2024 had the fewest sittings (274) for a full-term house.</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>■ The 17th Lok Sabha did not elect a Deputy Speaker for the entire term in what was a first for the lower house. The post remains vacant in the ongoing 18th Lok Sabha.</p> </div> </div>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <table border="1" style="width: 30%;"> <caption>2004-2024 in a nutshell</caption> <thead> <tr> <th colspan="2">14th Lok Sabha (2004-2009):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sittings</td><td>332 days</td></tr> <tr><td>Time utilised</td><td>87%</td></tr> <tr><td>Bills passed</td><td>248</td></tr> <tr><td>Bills sent to committees</td><td>60%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 30%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">15th Lok Sabha (2009-2014):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sittings</td><td>356 days</td></tr> <tr><td>Time utilised</td><td>61%</td></tr> <tr><td>Bills passed</td><td>179</td></tr> <tr><td>Bills sent to committees</td><td>71%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 30%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">16th Lok Sabha (2014-2019):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sittings</td><td>331 days</td></tr> <tr><td>Time utilised</td><td>84%</td></tr> <tr><td>Bills passed</td><td>133</td></tr> <tr><td>Bills sent to committees</td><td>25%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 30%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">17th Lok Sabha (2019-2024):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sittings</td><td>274 days</td></tr> <tr><td>Time utilised</td><td>88%</td></tr> <tr><td>Bills passed</td><td>179</td></tr> <tr><td>Bills sent to committees</td><td>16%</td></tr> </tbody> </table> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <caption>Worst washouts in the last two decades</caption> <thead> <tr> <th>Session</th> <th>Lok Sabha</th> <th>Rajya Sabha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Winter Session of 2010</td> <td>5%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Winter Session of 2013</td> <td>8%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Winter Session of 2016</td> <td>15%</td> <td>18%</td> </tr> <tr> <td>Budget Session of 2014</td> <td>21%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Budget Session of 2018</td> <td>21%</td> <td>27%</td> </tr> </tbody> </table> </div> | 14th Lok Sabha (2004-2009): |  | Sittings | 332 days | Time utilised | 87% | Bills passed | 248 | Bills sent to committees | 60% | 15th Lok Sabha (2009-2014): |  | Sittings | 356 days | Time utilised | 61% | Bills passed | 179 | Bills sent to committees | 71% | 16th Lok Sabha (2014-2019): |  | Sittings | 331 days | Time utilised | 84% | Bills passed | 133 | Bills sent to committees | 25% | 17th Lok Sabha (2019-2024): |  | Sittings | 274 days | Time utilised | 88% | Bills passed | 179 | Bills sent to committees | 16% | Session | Lok Sabha | Rajya Sabha | Winter Session of 2010 | 5% | 2% | Winter Session of 2013 | 8% | 19% | Winter Session of 2016 | 15% | 18% | Budget Session of 2014 | 21% | 27% | Budget Session of 2018 | 21% | 27% |
| 14th Lok Sabha (2004-2009):      |  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Sittings                         | 332 days   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Time utilised                    | 87%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills passed                     | 248  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills sent to committees         | 60%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| 15th Lok Sabha (2009-2014):      |  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Sittings                         | 356 days   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Time utilised                    | 61%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills passed                     | 179  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills sent to committees         | 71%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| 16th Lok Sabha (2014-2019):      |  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Sittings                         | 331 days   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Time utilised                    | 84%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills passed                     | 133  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills sent to committees         | 25%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| 17th Lok Sabha (2019-2024):      |  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Sittings                         | 274 days   |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Time utilised                    | 88%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills passed                     | 179  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Bills sent to committees         | 16%  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Session                          | Lok Sabha  | Rajya Sabha                 |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Winter Session of 2010           | 5%   | 2%                          |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Winter Session of 2013           | 8%   | 19%                         |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Winter Session of 2016           | 15%  | 18%                         |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Budget Session of 2014           | 21%  | 27%                         |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| Budget Session of 2018           | 21%  | 27%                         |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| <b>व्यवधानों के कारण</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>बहुमतवादी शासन:</b> सीमित परामर्श; जल्दबाज़ी में विधेयक पारित।</li> <li>❖ <b>विपक्ष की रणनीति:</b> महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यवधान का उपयोग।</li> <li>❖ <b>संस्थागत हास:</b> विश्वास, संवाद, और फ्लोर मैनेजमेंट जैसी संसदीय परंपराओं का टूटना।</li> <li>❖ <b>मीडिया प्रोत्साहन:</b> विचार-विमर्श के बजाय नाटकीयता और दृश्यता को प्राथमिकता देना।</li> <li>❖ <b>नियमों का कमजोर प्रवर्तन:</b> दंड लगाने में असमानता और अनिच्छा।</li> </ul>  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |
| <b>प्रभाव</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>कानून की गुणवत्ता में गिरावट:</b> गहन बहस और जांच की कमी के कारण।</li> <li>❖ <b>कार्यपालिका की निगरानी में कमी:</b> प्रश्नकाल के नुकसान से जवाबदेही घटती है।</li> <li>❖ <b>छोटे दलों का हाशियाकरण:</b> क्षेत्रीय और छोटे दलों की आवाज़ दब जाती है।</li> <li>❖ <b>विश्वास का क्षरण:</b> संसद को गंभीर विचार-विमर्श मंच के रूप में देखने में जनता का विश्वास घट रहा है।</li> <li>❖ <b>संस्थागत दुष्चक्र:</b> प्रतिशोधात्मक अवरोध (tit-for-tat) की नकारात्मक प्रवृत्ति का स्थापित होना।</li> </ul>  |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |                             |  |          |          |               |     |              |     |                          |     |         |           |             |                        |    |    |                        |    |     |                        |     |     |                        |     |     |                        |     |     |



|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>आगे की राह</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>निश्चित कैलेंडर:</b> स्थिर, पूर्व-निर्धारित कैलेंडर के साथ प्रति वर्ष <b>100-120 न्यूनतम बैठकें</b> सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ <b>अनिवार्य समिति जांच:</b> प्रमुख और अधिकार-आधारित विधेयकों को स्वतः समिति समीक्षा हेतु भेजना।</li> <li>❖ <b>विपक्ष के अधिकार की गारंटी:</b> महत्वपूर्ण बहस के लिए समय सुनिश्चित करने हेतु निश्चित <b>“विपक्ष दिवस”</b> निर्धारित करना।</li> <li>❖ <b>सख्त आचार संहिता:</b> सर्वदलीय <b>आचार संहिता</b> और पूर्वानुमेय दंड लागू करना; वेल में प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध लगाना।</li> <li>❖ <b>पूर्व-विधायी परामर्श:</b> विधेयक पेश करने से पहले व्यापक हितधारक सुझाव और सर्वदलीय ब्रीफिंग आयोजित करना।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>   | संसदीय व्यवधान एक प्रणालीगत समस्या बन गई है, जिसने बहस, जांच और जवाबदेही को गंभीर रूप से कमजोर किया है। संसद की गरिमा बहाल करने के लिए अधिक बैठकों, असहमति के लिए सुनिश्चित स्थान, नियमों के कठोर प्रवर्तन और टकराव को अव्यवस्था के बजाय संवाद से सुलझाने की संस्कृति को पुनः स्थापित करना आवश्यक है।  |

### Topic 6 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Syllabus</b>      | राज्यव्यवस्था   संवैधानिक निकाय  |
| <b>संदर्भ</b>        | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने 2014 में किए गए समावेशों की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल की <b>केंद्रीय OBC सूची</b> से 35 समुदायों (मुख्यतः मुस्लिम) को बाहर करने की सिफारिश की है।   |
| <b>NCBC क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनुच्छेद 338B</b> के अंतर्गत स्थापित एक <b>संवैधानिक निकाय</b>, जो <b>सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs)</b> के संरक्षण और उन्नयन के लिए कार्य करता है।</li> <li>❖ प्रारम्भ में <b>वैधानिक निकाय (1993)</b> था; <b>102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018</b> द्वारा <b>संवैधानिक दर्जा</b> प्रदान किया गया (<b>अनुच्छेद 338B एवं 342A</b>)।</li> <li>❖ <b>कार्य:</b> OBC के <b>समावेशन/बहिष्करण</b> और उनके कल्याण तथा संरक्षण उपायों पर <b>केंद्र सरकार को सलाह</b> देता है।</li> </ul>     |
| <b>संरचना</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सदस्यता:</b> इसमें <b>5 सदस्य</b> होते हैं: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य।</li> <li>❖ <b>नियुक्ति:</b> इनकी नियुक्ति <b>भारत के राष्ट्रपति</b> द्वारा की जाती है।</li> <li>❖ <b>दर्जा:</b> सदस्यों का दर्जा एवं वेतन <b>भारत सरकार के सचिव</b> के समकक्ष होता है।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य कार्य</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ SEBCs के लिए संवैधानिक संरक्षणों के <b>कार्यान्वयन की निगरानी एवं जांच</b>।</li> <li>❖ <b>आरक्षण लाभों के दुरुपयोग</b> या अधिकारों के उल्लंघन संबंधी <b>शिकायतों की जांच</b>।</li> <li>❖ <b>कल्याण कार्यक्रमों का मूल्यांकन</b> तथा सामाजिक-आर्थिक विकास पर सलाह।</li> <li>❖ SEBCs को प्रभावित करने वाली नीतियों पर <b>केंद्र एवं राज्यों द्वारा अनिवार्य परामर्श</b>।</li> <li>❖ <b>वार्षिक/विशेष रिपोर्टें</b> राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना (जो संसद/संबंधित राज्यों में प्रस्तुत की जाती हैं)।</li> </ul> |
| <b>शक्तियाँ</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ:</b> गवाहों को तलब करना, शपथ पर परीक्षण, दस्तावेज़ मंगाना।</li> <li>❖ <b>केंद्रीय OBC सूची पर सलाहकारी भूमिका</b>।</li> <li>❖ <b>नोट:</b> केंद्रीय OBC सूची में अंतिम परिवर्तन <b>अनुच्छेद 342A</b> के तहत <b>संसदीय अनुमोदन</b> से ही होते हैं।</li> </ul>  |

**Topic 7 - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)**

|  |  |
|--|--|
| <b>Syllabus</b>                                      | लोक प्रशासन  |
| <b>संदर्भ</b>  | भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि पर्यावरण संरक्षण पर CSR व्यय अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत एक <b>संवैधानिक दायित्व</b> है, मात्र दान नहीं।  |
| <b>कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य कंपनियों की उस जिम्मेदारी से है जिसके अंतर्गत वे <b>सामाजिक कल्याण और सतत विकास</b> में योगदान देती हैं।</li><li>❖ यह व्यवसाय संचालन और हितधारक सहभागिता में <b>सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक</b> सरोकारों का एकीकरण करता है।</li></ul>  |
| <b>विधिक ढाँचा</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ भारत CSR व्यय को <b>अनिवार्य</b> करने वाला पहला देश बना।</li><li>❖ <b>मुख्य प्रावधान:</b> CSR से संबंधित अनिवार्य प्रावधान <b>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135</b> में निहित हैं।</li></ul>   |
| <b>प्रयोज्यता और व्यय की आवश्यकता</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>पात्रता मानदंड:</b> धारा 135 उन कंपनियों पर लागू होती है जो पिछले वित्तीय वर्ष में निम्न में से किसी एक सीमा को पूरा करती हों—<ul style="list-style-type: none"><li>➢ ₹500 करोड़ या अधिक की <b>निवल संपत्ति (Net Worth)</b>।</li><li>➢ ₹1,000 करोड़ या अधिक का <b>कारोबार (Turnover)</b>।</li><li>➢ ₹5 करोड़ या अधिक का <b>निवल लाभ (Net Profit)</b>।</li></ul></li><li>❖ <b>अनिवार्य व्यय:</b> पात्र कंपनियों को <b>पिछले तीन वर्षों</b> के औसत शुद्ध लाभ का <b>कम से कम 2%</b> निर्दिष्ट CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा।</li></ul>  |
| <b>भारत में CSR की प्रमुख विशेषताएँ</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>शासन व्यवस्था:</b> बोर्ड-स्तरीय <b>CSR समिति</b> का गठन, जो CSR नीति की योजना और निगरानी के लिए उत्तरदायी होती है।</li><li>❖ <b>गतिविधियों का दायरा:</b> CSR गतिविधियाँ अधिनियम की <b>अनुसूची VII</b> में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप होनी चाहिए (जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ग्रामीण विकास)।</li><li>❖ <b>पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण:</b> CSR नीति, वास्तविक व्यय तथा किसी भी <b>अव्ययित राशि</b> का बोर्ड की रिपोर्ट में अनिवार्य प्रकटीकरण।</li><li>❖ <b>पर्यावरणीय फोकस:</b> सर्वोच्च न्यायालय ने <b>पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण</b> को CSR के अंतर्निहित कर्तव्यों के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी है।</li></ul> |

**Topic 8 - राइट टू डिस्कनेक्ट (कार्य से असंबद्ध होने का अधिकार) विधेयक, 2025**

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                                   | राजव्यवस्था   विधान   |
| <b>संदर्भ</b>                                     | राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2025, जो एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले द्वारा एक <b>निजी सदस्य विधेयक</b> के रूप में प्रस्तुत किया गया, भारत में बढ़ती डिजिटल अधिक-कार्य संस्कृति, बर्नआउट, और व्यक्तिगत समय के क्षरण के मुद्दे पर एक विधायी प्रतिक्रिया है। यह विधेयक भारत की "हमेशा-चालू" (Always-On) कार्य संस्कृति के बीच कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।   |
| <b>डिस्कनेक्ट का अधिकार विधेयक, 2025 क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एक प्रस्तावित कानून जो कर्मचारियों को सहमति प्राप्त कार्य समय के बाहर कार्य-संबंधी संचार से अलग रहने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> डिजिटल और रिमोट-वर्क युग में कर्मचारियों के व्यक्तिगत समय, मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करना।</li> </ul>  |
| <b>प्रमुख विशेषताएँ</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>डिस्कनेक्ट होने का कानूनी अधिकार:</b> कार्य-समय के बाद कॉल, ईमेल, संदेश आदि की अनदेखी करने पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से संरक्षण।</li> <li>❖ <b>स्पष्ट सीमाएँ:</b> "कार्य के बाहर का समय" स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता होगी, जिससे नियोक्ता (Employer) द्वारा हस्तक्षेप न किया जा सके।</li> <li>❖ <b>नियामक निकाय:</b> कार्यान्वयन की निगरानी और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करने हेतु <b>कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण</b> का प्रस्ताव।</li> <li>❖ <b>औपचारिक समझौता:</b> प्रत्येक संस्थान में <b>नियोक्ता-कर्मचारी चार्टर</b> तैयार करना अनिवार्य होगा, जिसमें कार्य समय के बाद संचार के लिए स्पष्ट मानक और अपवाद शामिल होंगे।</li> <li>❖ <b>अतिरिक्त समय के लिए पारिश्रमिक:</b> यदि कर्मचारी स्वेच्छा से निर्धारित समय के बाहर कार्य करता है, तो उसे सामान्य वेतन दर पर ओवरटाइम भुगतान मिलेगा।</li> <li>❖ <b>डिजिटल कल्याण उपाय:</b> जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श और <b>डिजिटल डिटॉक्स केंद्र</b>।</li> <li>❖ <b>दंड:</b> गैर-अनुपालन करने वाले संगठनों पर कुल कर्मचारी पारिश्रमिक का <b>1%</b> जुर्माना।</li> </ul> |
| <b>भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता क्यों है?</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>ऑलवेज-ऑन कार्य-संस्कृति:</b> स्मार्टफोन और रिमोट वर्क ने पेशेवर-निजी जीवन की सीमाएँ धुंधली कर दी हैं।</li> <li>❖ <b>मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:</b> विशेषकर युवा पेशेवरों और गिग वर्कर्स में बर्नआउट, चिंता और तनाव में वृद्धि।</li> <li>❖ <b>शक्ति असंतुलन:</b> मूल्यांकन और नौकरी-सुरक्षा के डर से कर्मचारी कार्य-समय के बाद काम से मना करने में हिचकते हैं।</li> <li>❖ <b>वैश्विक उदाहरण:</b> फ्रांस, बेल्जियम, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले से इस अधिकार को मान्यता देते हैं।</li> <li>❖ <b>उत्पादकता में बदलाव:</b> उपस्थिति-आधारित संस्कृति के बजाय परिणाम-आधारित कार्य को प्रोत्साहन।</li> </ul>  |
| <b>चुनौतियाँ और चिंताएँ</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विविध कार्य मॉडल:</b> आईटी, विनिर्माण, गिग अर्थव्यवस्था और वैश्विक सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नियमों की आवश्यकता।</li> <li>❖ <b>प्रवर्तन में समस्या:</b> व्हाट्सएप संदेश या देर रात कॉल्स जैसे अनौपचारिक प्लेटफार्मों पर निगरानी कठिन होगी।</li> <li>❖ <b>एसएमई (SME) पर बोझ:</b> छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए अनुपालन लागत और प्रशासनिक क्षमता चुनौतीपूर्ण हो सकती है।</li> <li>❖ <b>संचालनात्मक कठोरता</b> आपात स्थितियों या पीक बिज़नेस चक्रों में लचीलेपन में कमी का जोखिम।</li> </ul>  |



|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>निजी सदस्य विधेयक की सीमा:</b> सरकारी समर्थन के बिना कानून बनने की संभावना कम।</li></ul>   |
| <b>आगे की राह</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>क्षेत्र-विशिष्ट ढाँचे:</b> विभिन्न समय क्षेत्रों और आपातकालीन सेवाओं के अनुसार लचीले मानक तैयार करना।</li><li>❖ <b>त्रिपक्षीय परामर्श:</b> सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संवाद स्थापित कर संतुलित नियम बनाना।</li><li>❖ <b>सॉफ्ट-लॉ से शुरुआत:</b> मौजूदा श्रम संहिताओं के तहत दिशानिर्देशों के रूप में आरंभ।</li><li>❖ <b>सांस्कृतिक परिवर्तन:</b> जिम्मेदार डिजिटल संचार प्रथाओं को बढ़ावा।</li><li>❖ <b>नीतिगत एकीकरण:</b> इस अवधारणा को व्यावसायिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और उत्पादकता नीतियों के साथ जोड़ना।</li></ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>   | राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2025 भारत के डिजिटल युग के कार्यबल की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। यह न केवल 'मानवीय कार्य संस्कृति' की दिशा में पहल है, बल्कि कर्मचारी गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता के बीच टिकाऊ संतुलन स्थापित करने हेतु एक राष्ट्रीय संवाद की शुरुआत भी है।   |





## IR

## Topic 1 - भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>           | अंतर्राष्ट्रीय संबंध   द्विपक्षीय संबंध   |
| <b>संदर्भ</b>             | हाल ही में, नई दिल्ली में 23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। वैश्विक अस्थिरता के बीच आयोजित यह बैठक, दोनों देशों के बीच की साझेदारी को पुनर्संतुलित करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की आवश्यकता को दर्शाती है।   |
| <b>संबंधों की प्रकृति</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारत-रूस संबंध गहरे रणनीतिक विश्वास, रक्षा सहयोग और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के साझा समर्थन पर आधारित हैं।</li> <li>❖ विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी (2010 से)।</li> <li>❖ रणनीतिक समन्वय: बहुध्रुवीयता, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शासन संस्थाओं (जैसे UNSC) में सुधार जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर उच्च स्तर की सहमति।</li> </ul>   |
| <b>संस्थागत ढांचा</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ शीर्ष स्तरीय संवाद: वार्षिक शिखर सम्मेलन सर्वोच्च संस्थागत मंच।</li> <li>❖ द्विपक्षीय आयोग: IRIGC (भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग) व्यापार-आर्थिक तथा सैन्य-तकनीकी सहयोग की निगरानी करता है।</li> <li>❖ परामर्श तंत्र: 2+2 संवाद, NSA-स्तरीय वार्ताएँ, संसदीय एवं क्षेत्रीय कार्यसमूह।</li> </ul>   |
| <b>सहयोग के क्षेत्र</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रक्षा एवं रणनीतिक सुरक्षा <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ प्रमुख रूसी-मूल प्लेटफॉर्म: Su-30MKI, T-90 टैंक, INS विक्रमादित्य, पनडुब्बियाँ, S-400।</li> <li>➢ संयुक्त उत्पादन/R&amp;D: ब्रह्मोस, Su-30MKI, T-90, AK-203 राइफलें।</li> <li>➢ अभ्यास: इंद्रा-INDRA (त्रि-सेवा), नौसैनिक अभ्यास, इंटरऑपरेबिलिटी निर्माण।</li> <li>➢ परमाणु एवं अंतरिक्ष: कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, गगनयान अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण।</li> </ul> </li> <li>❖ ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ रूस रियायती कच्चे तेल, गैस और कोकिंग कोयले का प्रमुख आपूर्तिकर्ता।</li> <li>➢ रूसी अपस्ट्रीम परियोजनाओं में भारतीय हिस्सेदारी (जैसे सखालिन)।</li> <li>➢ उभरते क्षेत्र: LNG, आर्कटिक ऊर्जा, हाइड्रोजन, परमाणु ईंधन चक्र।</li> </ul> </li> <li>❖ व्यापार एवं संपर्क <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ द्विपक्षीय व्यापार: लगभग USD 68.7 बिलियन (वित्त वर्ष 2024-25), ऊर्जा आयात प्रमुख।</li> <li>➢ लक्ष्य: USD 100 बिलियन व्यापार (2030 तक), USD 50 बिलियन निवेश।</li> <li>➢ कॉरिडोर: INSTC, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक EMC, नॉर्डन सी रूट (उत्तरी समुद्री मार्ग) में रुचि।</li> </ul> </li> <li>❖ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ STI रोडमैप (2021) के तहत AI, IT, सामग्री विज्ञान, नैनोटेक में सहयोग।</li> <li>➢ ISRO-सोवियत युग से चला आ रहा अंतरिक्ष सहयोग।</li> </ul> </li> <li>❖ लोगों के मध्य संपर्क और संस्कृति <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 20,000+ भारतीय छात्र (मुख्यतः चिकित्सा)।</li> <li>➢ सशक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान: फिल्में, योग, साहित्य, उत्सव।</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>मुख्य चुनौतियाँ</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यूक्रेन युद्ध एवं प्रतिबंध भुगतान, लॉजिस्टिक्स और कूटनीति को जटिल बनाते हैं।</li> <li>❖ व्यापार असंतुलन रूस के पक्ष में; रुपये-रुबल तंत्र की समस्याएँ।</li> </ul>  |



|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>रक्षा निर्भरता:</b> स्पेयर पार्ट्स की देरी, आपूर्ति में जोखिम और युद्धकालीन प्राथमिकताएँ।</li> <li>❖ <b>प्रौद्योगिकी अंतर:</b> भारत का उन्नत पश्चिमी/जापानी तकनीक की ओर बढ़ना।</li> <li>❖ <b>संपर्क बाधाएँ:</b> INSTC और आर्कटिक मार्गों के परिचालन में चुनौतियाँ।</li> </ul>   |
| <b>आगे की राह</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>व्यापार पुनर्संतुलन:</b> भारतीय निर्यात (फार्मा, कृषि-उत्पाद, IT, मशीनरी) को सक्रिय रूप से बढ़ावा।</li> <li>❖ <b>रक्षा सहयोग को गहरा करना:</b> IP साझाकरण, वास्तविक सह-डिज़ाइन और सह-उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, निर्यात-उन्मुख रक्षा विनिर्माण।</li> <li>❖ <b>संपर्क मार्गों का क्रियान्वयन:</b> INSTC और <b>चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर</b> का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ <b>नव-युग सहयोग:</b> SMRs, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना।</li> <li>❖ <b>जन-संपर्क सुदृढ़ करना:</b> SMRs, ग्रीन हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स, AI, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाना।</li> <li>❖ <b>निरंतर संवाद:</b> मतभेदों का प्रबंधन करते हुए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>   | भारत और रूस के बीच रिश्ते, जिनकी बुनियाद मुख्य तौर पर रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर टिकी है, निरंतर मजबूत बने हुए हैं। भविष्य का केंद्रीय लक्ष्य इस साझेदारी का <b>विविधीकरण, आधुनिकीकरण और पुनर्संतुलन</b> करना है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि यह गठबंधन लगातार बदलते वैश्विक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बना रहे और अपनी <b>"विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त"</b> प्रकृति को बरकरार रखे।  |

## Topic 2 - भारत-अफ्रीका संबंध

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                | अंतरराष्ट्रीय संबंध   द्विपक्षीय संबंध  |
| <b>संदर्भ</b>                  | भारत और अफ्रीका के बीच सभ्यतागत, राजनीतिक और आर्थिक संबंध गहरे ऐतिहासिक आधार पर स्थापित हैं। परंतु बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों क्षेत्रों को अपनी साझेदारी में नवीन गति और संरचना लाने की आवश्यकता है, खासकर आगामी भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन - चतुर्थ संस्करण (IAFS-IV) की तैयारी के संदर्भ में।  |
| <b>ऐतिहासिक विकास</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सभ्यतागत संबंध:</b> सदियों पुराना हिंद महासागर व्यापार; साझा औपनिवेशिक अनुभव; गुजराती व्यापारी नेटवर्क।</li> <li>❖ <b>राजनीतिक एकजुटता:</b> शीत युद्ध काल में संयुक्त राष्ट्र में उपनिवेशवाद-विरोधी समर्थन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) में एकता तथा रंगभेद-विरोधी अभियान।</li> <li>❖ <b>1990 के बाद का बदलाव:</b> भारत के आर्थिक सुधारों से निवेश एवं क्षमता निर्माण में वृद्धि (ITEC के माध्यम से); डब्ल्यूटीओ एवं यूएनएससी में समन्वय।</li> <li>❖ <b>समकालीन चरण (2015-25):</b> IAFS-III में सभी 54 राष्ट्रों की भागीदारी; 17 नए दूतावास; डिजिटल साझेदारी; अफ्रीकी संघ की जी-20 सदस्यता (2023) में भारत का समर्थन।</li> </ul> |
| <b>सहयोग के प्रमुख क्षेत्र</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>व्यापार एवं निवेश</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ द्विपक्षीय व्यापार \$100 अरब से अधिक, जिससे भारत अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना।</li> <li>➢ भारत का FDI \$75 अरब — प्रमुख क्षेत्र: दूरसंचार, दवा उद्योग, आधारभूत ढाँचा एवं हाइड्रोकार्बन।</li> <li>➢ ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) स्कीम के तहत 38 अफ्रीकी LDC देशों को 98.2% शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच।</li> </ul> </li> </ul>   |



|            |   |
|------------|---|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विकास साझेदारी</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 42 देशों में 189 परियोजनाओं (विद्युत, जल, रेल, ग्रामीण विद्युतीकरण) हेतु \$10 बिलियन की क्रेडिट लाइनें (LoCs)।</li> <li>➤ e-VBAB (e-विद्या भारती एवं e-आरोग्य भारती) प्लेटफॉर्म के माध्यम से महाद्वीप-व्यापी टेली-एजुकेशन एवं टेली-मेडिसिन।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>क्षमता निर्माण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 40,000+ अफ्रीकी ITEC, ICCR, ई-नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षित; कई मंत्री और नीति-निर्माता बने।</li> <li>➤ IIT-M जंजीबार (2023) अत्याधुनिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>समुद्री एवं सुरक्षा सहयोग</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>AI-KEYME नौसैनिक अभ्यास (2025):</b> 9 अफ्रीकी नौसेनाओं के साथ समुद्री डकैती-विरोध, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), समुद्री सुरक्षा।</li> <li>➤ कांगो, सूडान एवं दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत प्रमुख योगदानकर्ता।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>डिजिटल एवं फिनटेक:</b> अफ्रीकी राष्ट्र भारत से प्रेरित होकर UPI, डिजिटल आईडी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल अपना रहे हैं।</li> <li>❖ <b>ऊर्जा एवं जलवायु:</b> अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत सहयोग; ग्रीन हाइड्रोजन, EV खनिज और ब्लू इकोनॉमी परियोजनाएँ।</li> </ul> |
| चुनौतियाँ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>चीन का प्रभुत्व:</b> \$280+ बिलियन व्यापार; भारी अवसंरचना एवं रक्षा उपस्थिति।</li> <li>❖ <b>धीमा क्रियान्वयन:</b> प्रक्रियागत एवं स्थानीय क्षमता मुद्दों से LoC परियोजनाओं में विलंब।</li> <li>❖ <b>कूटनीतिक शिथिलता:</b> 2015 के बाद कोई नया भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन (IAFS) नहीं हुआ।</li> <li>❖ <b>सीमित पूंजी:</b> भारतीय कंपनियों के पास चीनी राज्य-स्वामित्व उद्यमों (SOEs) जैसी गहन वित्तीय क्षमता नहीं।</li> <li>❖ <b>सुरक्षा जोखिम:</b> साहेल विद्रोह, सूडान संघर्ष, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अस्थिरता।</li> <li>❖ <b>कमज़ोर संपर्क:</b> सीमित शिपिंग, हवाई मार्ग और डिजिटल कॉरिडोर।</li> </ul>   |
| आगे की राह | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>IAFS-IV का पुनरुद्धार:</b> इसे नियमित बनाना; स्थायी सचिवालय स्थापित करना।</li> <li>❖ <b>LoCs का त्वरित क्रियान्वयन:</b> सिंगल-विंडो डैशबोर्ड लागू करना, सख्त समय-सीमाएँ लागू करना एवं स्थानीय टीमों को सशक्त करना।</li> <li>❖ <b>भारत-अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर:</b> UPI-Afripay लिंक, एकीकृत डिजिटल आईडी एवं टेली-हेल्थ इकोसिस्टम स्थापित करना।</li> <li>❖ <b>भविष्य के क्षेत्रों में सह-निवेश:</b> ग्रीन हाइड्रोजन (नामीबिया/मोरक्को), EV खनिज (DRC/ज़ाम्बिया), AI स्टार्टअप्स (केन्या/नाइजीरिया)।</li> <li>❖ <b>मजबूत समुद्री संरचना:</b> AI-KEYME को वार्षिक आयोजन बनाना; मॉरीशस, केन्या एवं तंजानिया के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते अंतिम रूप देना।</li> <li>❖ <b>लोगों का लोगों से संपर्क:</b> छात्रवृत्तियाँ बढ़ाना, अफ्रीकी छात्रों को बेहतर सहायता तथा IIT-M जंजीबार मॉडल का विस्तार।</li> </ul>   |
| निष्कर्ष   | <p>भारत-अफ्रीका संबंध अब एक रणनीतिक संक्रमण बिंदु पर खड़े हैं। दोनों क्षेत्र साझा विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक दक्षिण की एकजुटता से जुड़े हुए हैं। मजबूत संस्थागत सहयोग, तेज़ क्रियान्वयन, और सह-निर्माण पर बल देते हुए, भारत और अफ्रीका की साझेदारी 21वीं सदी की वैश्विक सहयोग की एक प्रमुख आधारशिला बन सकती है।</p>  |

**Topic 3 - भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता**

|  |  |
|--|--|
| <b>Syllabus</b>                            | अंतर्राष्ट्रीय संबंध   द्विपक्षीय संबंध  |
| <b>संदर्भ</b>                              | भारत और न्यूज़ीलैंड ने रिकॉर्ड <b>नौ महीनों</b> में एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ता सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। <b>2026</b> में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित होने वाला यह समझौता, <b>इंडो-पैसिफिक आर्थिक सहभागिता</b> में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।   |
| <b>मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एक द्विपक्षीय समझौता, जिसके तहत <b>वस्तुओं और सेवाओं</b> पर <b>शुल्क (टैरिफ)</b> और <b>गैर-शुल्क बाधाओं</b> को कम या समाप्त किया जाता है।</li> <li>❖ व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है।</li> </ul>   |
| <b>भारत-न्यूज़ीलैंड FTA के लक्ष्य</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>व्यापार दोगुना करना:</b> अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान <b>USD 1.3 अरब</b> से बढ़ाकर <b>USD 5 अरब</b> तक पहुँचाना।</li> <li>❖ <b>निवेश प्रोत्साहन:</b> 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 15 वर्षों में <b>USD 20 अरब</b> के निवेश को सुगम बनाना।</li> <li>❖ <b>बाज़ार विविधीकरण:</b> वैश्विक संरक्षणवाद और अमेरिका के बढ़ते टैरिफ के बीच भारतीय निर्यात के लिए वैकल्पिक बाज़ार सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ <b>सेवा और गतिशीलता:</b> सेवाओं के व्यापार, कुशल श्रमिकों की आवाजाही और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना।</li> </ul>   |
| <b>वर्तमान व्यापार प्रोफ़ाइल</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>व्यापार मात्रा:</b> FY25 में <b>USD 1.3 अरब</b>, वर्ष-दर-वर्ष <b>49%</b> वृद्धि, परंतु आधार अभी भी सीमित।</li> <li>❖ <b>भारतीय निर्यात:</b> औषधियाँ (फार्मास्यूटिकल्स), वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, और IT/ITeS।</li> <li>❖ <b>भारतीय आयात:</b> ऊन, फल, वानिकी उत्पाद और डेयरी-संबंधित वस्तुएँ।</li> <li>❖ <b>चुनौतियाँ:</b> टैरिफ, नियामकीय बाधाएँ, सीमित व्यावसायिक जागरूकता, तथा भारत के विनिर्मित निर्यात और न्यूज़ीलैंड के कृषि निर्यात के बीच असंतुलन।</li> </ul>  |
| <b>FTA की प्रमुख विशेषताएँ</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शुल्क उदारीकरण:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ न्यूज़ीलैंड भारत की <b>सभी शुल्क-रेखाओं (100%)</b> पर तुरंत शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करेगा।</li> <li>➢ भारत न्यूज़ीलैंड के <b>95% निर्यात</b> पर रियायतें देगा।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण:</b> भारत ने घरेलू हितों की सुरक्षा के लिए <b>डेयरी, चावल, गेहूँ, चीनी, प्याज़, खाद्य तेल और रबर</b> जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों को शुल्क रियायतों के दायरे से बाहर रखा है।</li> <li>❖ <b>श्रम-प्रधान निर्यात को वरीयता:</b> वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद और औषधियाँ जैसे भारत के प्रमुख श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्रों को वरीयता प्राप्त बाज़ार पहुँच प्रदान की गई है।</li> <li>❖ <b>सेवाएँ और गतिशीलता:</b> भारतीय पेशेवरों के लिए प्रति वर्ष <b>5,000 अस्थायी रोजगार वीज़ा</b> का प्रावधान किया गया है, जिसकी वैधता तीन वर्ष होगी।</li> <li>❖ <b>व्यापार सुगमता:</b> उत्पत्ति नियम (Rules of Origin), सीमा शुल्क सहयोग, और स्वच्छता एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) तथा तकनीकी व्यापार बाधाओं (TBT) जैसे नियमों के अनुपालन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए गए हैं।</li> </ul> |
| <b>चुनौतियाँ</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>घरेलू विरोध:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ भारत में किसानों की, विशेषकर डेयरी और बागवानी क्षेत्रों की चिंताएँ।</li> <li>➢ न्यूज़ीलैंड में आब्रजन और घरेलू डेयरी क्षेत्र पर संभावित प्रभाव को लेकर राजनीतिक विरोध।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>निम्न व्यापार आधार:</b> लाभ धीरे-धीरे मिल सकते हैं, तुरंत नहीं।</li> </ul>  |



|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>गैर-शुल्कीय बाधाएँ:</b> मानकों और SPS आवश्यकताओं में भिन्नता।</li> <li>❖ <b>क्रियान्वयन क्षमता:</b> MSMEs और सेवा प्रदाताओं द्वारा समझौते का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना।</li> </ul>   |
| <b>आगे की राह</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>आपूर्ति शृंखला एकीकरण:</b> विनिर्माण और कृषि-प्रसंस्करण मूल्य शृंखलाओं को एकीकृत करना।</li> <li>❖ <b>सेवाओं में सहयोग गहरा करना:</b> आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और पेशेवर सेवाओं में सहयोग का विस्तार।</li> <li>❖ <b>प्रवासी भारतीय और कौशल का लाभ उठाना:</b> गतिशीलता प्रावधानों का उपयोग कर कौशल हस्तांतरण और नवाचार को बढ़ावा देना।</li> <li>❖ <b>MSMEs का समर्थन:</b> मानक सहयोग, व्यापार सुगमता और निर्यात ऋण उपलब्ध कराना।</li> <li>❖ <b>निरंतर समीक्षा तंत्र:</b> संयुक्त समितियों के माध्यम से क्रियान्वयन की निगरानी और चिंताओं का समाधान करना।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>   | भारत-न्यूज़ीलैंड FTA एक <b>नई पीढ़ी का समझौता</b> है, जिसने बाज़ार पहुँच की आवश्यकता और घरेलू संवेदनशीलताओं के संरक्षण के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन इंडो-पैसिफिक में लचीले और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हुए व्यापार, निवेश और कुशल गतिशीलता में विस्तार सुनिश्चित करेगा।  |

#### Topic 4 - भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                | अंतर्राष्ट्रीय संबंध   द्विपक्षीय संबंध   |
| <b>संदर्भ</b>                  | भारत और ओमान ने <b>व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)</b> पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाद पश्चिम एशिया में भारत का दूसरा बड़ा व्यापार समझौता है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक संरक्षणवाद के माहौल में <b>वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पेशेवर आवाजाही</b> में सहयोग को गहरा करना है।  |
| <b>भारत-ओमान CEPA क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह <b>वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार करने और निवेश को बढ़ावा देने</b> के उद्देश्य से किया गया एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है।</li> <li>❖ यह 2006 में अमेरिका के साथ FTA के बाद <b>ओमान का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता</b> है।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ओमान अपनी <b>98.08% टैरिफ लाइनों</b> पर शुल्क समाप्त करेगा, जिससे भारत के <b>99.38% निर्यात</b> को लाभ होगा।</li> <li>❖ <b>श्रम-प्रधान क्षेत्रों</b> जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, औषधियाँ और ऑटोमोबाइल्स को पूर्ण शुल्क उन्मूलन का फायदा मिलेगा।</li> <li>❖ <b>सेवाओं का व्यापक उदारीकरण:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आईटी, अनुसंधान और विकास (R&amp;D), शिक्षा, स्वास्थ्य और पेशेवर सेवाओं सहित <b>127 सेवा उप-क्षेत्रों</b> में बाज़ार पहुँच प्रदान की गई है।</li> <li>➤ <b>सेवाओं में 100% FDI:</b> प्रमुख ओमानी सेवा क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व की अनुमति।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>पेशेवर गतिशीलता में वृद्धि (मोड 4):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इंट्रा-कॉर्पोरेट हस्तांतरण कोटा <b>20% से बढ़ाकर 50%</b> किया गया।</li> <li>➤ कॉन्ट्रैक्टुअल सर्विस सप्लायर्स को <b>दो वर्ष तक</b> ठहराव की सुविधा (विस्तार संभव)।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>अन्य क्षेत्र:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>आयुष और पारंपरिक चिकित्सा:</b> पारंपरिक चिकित्सा को सभी आपूर्ति मोड्स में शामिल करने वाली यह पहली वैश्विक प्रतिबद्धता है।</li> <li>➤ <b>फार्मा अनुमोदन में तेजी:</b> USFDA, EMA और UKMHRA अनुमोदनों की स्वीकृति से नियामक देरी कम</li> </ul> </li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | होगी।  |
| <b>ओमान CEPA और भारत की पश्चिम एशिया रणनीति</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>गेटवे अर्थव्यवस्था की भूमिका</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के निकट होने से पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक पहुँच संभव।</li><li>➤ दुक्म (Duqm) और सोहर (Sohar) जैसे बंदरगाह पुनः-निर्यात केंद्र <b>(री-एक्सपोर्ट हब)</b> के रूप में कार्य कर सकते हैं।</li></ul></li><li>❖ <b>बाजार विविधीकरण:</b> यह कार्बन और नियामक बाधाओं वाले अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) पर निर्भरता कम करने में सहायक है।</li><li>❖ <b>GCC में रणनीतिक स्थिति:</b> यूएई CEPA के साथ मिलकर, यह समझौता <b>भारत-GCC वार्ताओं के ठहराव</b> के बावजूद भारत की स्थिति को मजबूत करता है।</li><li>❖ <b>सेवा व्यापार विस्तार:</b> ओमान के <b>USD 12.5 अरब</b> के सेवा आयात बाजार में अवसर, जहाँ भारत की हिस्सेदारी कम है।</li><li>❖ <b>ऊर्जा-सुरक्षा पूरकता:</b> कच्चा तेल, LNG, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल इनपुट्स तक स्थिर पहुँच सुनिश्चित करता है।</li></ul> |
| <b>चुनौतियाँ</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>सीमित बाजार आकार:</b> ओमान का आयात लगभग <b>USD 40 अरब</b> है, जो प्रमुख खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में छोटा है।</li><li>❖ <b>प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता:</b> भारतीय निर्यातकों को गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सुधार की आवश्यकता है।</li><li>❖ <b>कार्यान्वयन बाधाएँ:</b> वीज़ा और पेशेवर मान्यता में देरी से सेवाओं के लाभों पर असर पड़ सकता है।</li><li>❖ <b>क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता:</b> क्षेत्रीय संघर्ष और शिपिंग व्यवधान व्यापार लागत बढ़ा सकते हैं।</li><li>❖ <b>खंडित GCC व्यापार नियम:</b> अनेक द्विपक्षीय FTAs के कारण अनुपालन बोझ बढ़ सकता है।</li></ul>  |
| <b>निष्कर्ष</b>                                 | भारत-ओमान CEPA <b>शुल्क-मुक्त पहुँच, गहन सेवा प्रतिबद्धताओं</b> और <b>उन्नत पेशेवर आवाजाही</b> के माध्यम से भारत की पश्चिम एशिया व्यापार रणनीति को मजबूती प्रदान करता है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन ओमान को भारत, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक <b>महत्वपूर्ण आर्थिक सेतु</b> बना सकता है।   |

**Topic 5 - तियानजिन घोषणा**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                   | अंतर्राष्ट्रीय संबंध   संगठन   |
| <b>संदर्भ</b>                     | भारत ने 2025 में तियानजिन में आयोजित <b>शंघाई सहयोग संगठन (SCO)</b> शिखर सम्मेलन में <b>तियानजिन घोषणा</b> का समर्थन किया।   |
| <b>तियानजिन घोषणा के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह घोषणा <b>SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद</b> द्वारा 2025 के तियानजिन शिखर सम्मेलन में अपनाई गई थी।</li> <li>❖ <b>मुख्य उद्देश्य:</b> कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के शासन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना।</li> <li>❖ <b>दायरा:</b> यह दस्तावेज़ सुरक्षा, विकास, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों पर सदस्य देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है।</li> <li>❖ <b>मुख्य परिणाम:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>AI सहयोग ढाँचे</b> की स्थापना, जिसमें सभी देशों के लिए AI के विकास और उपयोग के समान अधिकारों की पुष्टि की गई।</li> <li>➤ <b>AI जोखिम न्यूनीकरण</b> (सुरक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता आदि) के प्रति प्रतिबद्धता।</li> <li>➤ संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण हेतु <b>SCO AI सहयोग रोडमैप</b> का समर्थन।</li> <li>➤ मध्य एशिया के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए <b>दुशांबे (ताजिकिस्तान) में क्षेत्रीय AI केंद्र</b> के प्रस्ताव वाली <b>UNGA</b> संकल्पना का स्वागत।</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>शंघाई सहयोग संगठन (SCO)</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शंघाई सहयोग संगठन (SCO)</b> एक <b>स्थायी अंतर-सरकारी निकाय</b> है जो यूरेशिया क्षेत्र की सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।</li> <li>❖ <b>स्थापना:</b> 15 जून 2001 को शंघाई में औपचारिक रूप से स्थापित। यह संगठन इससे पहले के "<b>शंघाई फाइव</b>" तंत्र का ही विकसित रूप है।</li> <li>❖ <b>मुख्यालय:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>सचिवालय (प्रशासनिक केंद्र):</b> बीजिंग, चीन</li> <li>➤ <b>क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS):</b> ताशकंद, उज्बेकिस्तान</li> </ul> </li> <li>❖ <b>आधिकारिक भाषाएँ:</b> रूसी और चीनी</li> <li>❖ <b>सदस्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>सदस्य देश (10):</b> भारत, चीन, रूस, कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस।</li> <li>➤ <b>पर्यवेक्षक देश (2):</b> अफ़ग़ानिस्तान और मंगोलिया।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>मुख्य उद्देश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास, सद्भाव और मित्रता को मज़बूत करना।</li> <li>➤ राजनीति, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, संस्कृति और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सहयोग के प्रमुख क्षेत्र (मुख्य तंत्र)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>सुरक्षा:</b> आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना। इसके लिए <b>RATS</b> के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है।</li> <li>➤ <b>अर्थव्यवस्था:</b> व्यापार, संपर्क (कनेक्टिविटी), ऊर्जा और अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) विकास में सहयोग।</li> <li>➤ <b>प्रौद्योगिकी और नवाचार:</b> डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और <b>कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)</b> पर विशेष ध्यान।</li> </ul> </li> </ul> |



## ❖ शासन संरचना (निर्णय-निर्माण निकाय)

- राष्ट्रध्यक्षों की परिषद (CHS): यह संगठन का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण प्राधिकरण है।
- सरकार प्रमुखों की परिषद (CHG): आर्थिक और बजटीय मामलों के लिए जिम्मेदार।
- राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद: यह प्रमुख समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करती है।

**Topic 6 - भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026**

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                         | अंतर्राष्ट्रीय संबंध   अंतर्राष्ट्रीय संगठन   |
| <b>संदर्भ</b>                           | ब्राज़ील से औपचारिक कार्यभार ग्रहण करने के बाद, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। वैश्विक व्यापारिक तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के संदर्भ में भारत द्वारा यह अध्यक्षता बहुत महत्वपूर्ण है।   |
| <b>भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता (2026)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>चक्रीय रूप से</b> (rotating Chair) निर्धारित होती है - भारत 2026 में अध्यक्षता ग्रहण करेगा (1 जनवरी से 31 दिसंबर)।</li><li>❖ अध्यक्षता की भूमिका में <b>प्राथमिकताएँ निर्धारित करना, बैठकें आयोजित करना और वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना</b> शामिल है।</li></ul>  |
| <b>ब्रिक्स: पृष्ठभूमि और संरचना</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>राजनीतिक संवाद</b> की शुरुआत 2006 में हुई, और <b>पहला शिखर सम्मेलन</b> 2009 में आयोजित किया गया।</li><li>❖ <b>दक्षिण अफ्रीका</b> 2011 में समूह में शामिल हुआ।</li><li>❖ इसका <b>कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है</b>; अध्यक्षता <b>वार्षिक आधार</b> पर तय होती है।</li><li>❖ <b>न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)</b> का मुख्यालय शंघाई में स्थित है।</li><li>❖ <b>वर्तमान सदस्य देश:</b> ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब और इंडोनेशिया।</li></ul> |
| <b>प्रमुख कार्य एवं महत्त्व</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>मुख्य फोकस:</b> राजनीतिक समन्वय, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, विकास वित्त (विशेषकर NDB के माध्यम से), और ग्लोबल साउथ के साथ सहभागिता पर केंद्रित है।</li><li>❖ यह भारत को विकास वित्त, स्वास्थ्य, और प्रौद्योगिकी समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने का अवसर प्रदान करती है।</li><li>❖ <b>वैश्विक सुधारों में भूमिका:</b> यह पहल संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, और WTO जैसे वैश्विक संस्थानों में आवश्यक सुधारों की माँग को मजबूती देने में सहायक हो सकती है।</li></ul>         |



## Economy

## Topic 1 - खुली बाजार प्रक्रिया (OMO) खरीद

|  |  |
|--|--|
| <b>Syllabus</b>                          | अर्थव्यवस्था   बैंकिंग   |
| <b>संदर्भ</b>                            | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीद के साथ \$5 अरब डॉलर-रुपया स्वैप की घोषणा की है, ताकि दीर्घकालिक (ड्यूरेबल) तरलता का संचार किया जा सके। यह कदम विदेशी पूंजी निकासी के बीच रुपये के 90 प्रति डॉलर से नीचे कमजोर होने की पृष्ठभूमि में बाज़ारों को स्थिर करने के उद्देश्य से उठाया गया है।   |
| <b>ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) क्या है?</b> | ❖ ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) वह तंत्र है, जिसके तहत RBI वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियाँ (Government Securities) खरीदता या बेचता है।   |
| <b>ओपन मार्केट ऑपरेशंस के प्रकार</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विस्तारवादी OMO (Expansionary OMO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है।</li> <li>➤ इससे बैंकिंग प्रणाली में भंडार (रिज़र्व) बढ़ते हैं और ब्याज दरें घटती हैं, जिससे ऋण और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।</li> <li>➤ मौद्रिक संप्रेषण (Monetary Transmission) सुदृढ़ होता है, जिससे नीति संकेत प्रभावी रूप से उधारी दरों में परिलक्षित होते हैं।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>संकोचनकारी OMO (Contractionary OMO)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है।</li> <li>➤ इससे तरलता घटती है और ब्याज दरें बढ़ती हैं, जिससे मुद्रास्फीति पर अंकुश लगता है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>विशेष OMO / ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ RBI एक साथ दीर्घकालिक बांड खरीदता है और अल्पकालिक बांड बेचता है।</li> <li>➤ कुल तरलता में परिवर्तन किए बिना यील्ड कर्व को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है।</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>OMO खरीद का उद्देश्य</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बैंकिंग प्रणाली में दीर्घकालिक और टिकाऊ तरलता सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ मौद्रिक संप्रेषण को सुचारु बनाना ताकि नीतिगत ब्याज दरें उधारी दरों में प्रभावी ढंग से परिलक्षित हों।</li> <li>❖ मनी-मार्केट दरों (जैसे वेटेड एवरेज कॉल रेट) को स्थिर करना।</li> </ul>  |
| <b>बाजार एवं नीतिगत महत्व</b>            | <p>OMO खरीद के वित्तीय प्रणाली पर कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दरों में नरमी (Rate Moderation):</b> ओवरनाइट और अल्पकालिक ब्याज दरों में गिरावट, तथा सरकारी बॉन्ड यील्ड में कमी।</li> <li>❖ <b>बाज़ार स्थिरता:</b> उच्च डॉलर मांग या बाहरी झटकों के दौरान रुपये के मनी-मार्केट को स्थिरता प्रदान करना।</li> <li>❖ <b>नीति प्रभावशीलता:</b> तरलता समर्थन के माध्यम से रेपो दर निर्णयों का प्रभावी संचरण।</li> <li>❖ <b>आर्थिक समर्थन:</b> सरकारी उधारी लागत को स्थिर करता है तथा बैंकों की घरेलू एवं व्यावसायिक इकाइयों को ऋण विस्तार क्षमता बढ़ाता है।</li> </ul>  |
| <b>डॉलर-रुपया स्वैप क्या है?</b>         | ❖ यह एक वित्तीय लेन-देन है, जिसमें RBI बैंकों के साथ अस्थायी रूप से अमेरिकी डॉलर के बदले रुपये का विनिमय करता है।  |



- ❖ इसका उपयोग मुख्यतः **तरलता प्रबंधन** और **अत्यधिक मुद्रा उतार-चढ़ाव** के समय रुपये को स्थिर रखने के लिए किया जाता है।
- ❖ **क्रियाविधि:**
  - बैंक RBI को **अमेरिकी डॉलर** देते हैं।
  - RBI बदले में बैंकों को **रुपये** देता है।
  - एक निश्चित अवधि (जैसे **3 वर्ष**) के बाद लेन-देन **उलट** दिया जाता है - RBI डॉलर लौटाता है और बैंक रुपये वापस करते हैं।

## Topic 2 - बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को कैबिनेट की मंजूरी

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                              | भारतीय अर्थव्यवस्था   बैंकिंग एवं वित्त   |
| <b>संदर्भ</b>                                | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को <b>74% से बढ़ाकर 100%</b> करने को मंजूरी दी है, जिसे <b>बीमा क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2025</b> के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में <b>पूंजी प्रवाह, प्रतिस्पर्धा और बीमा पैठ</b> को बढ़ावा देना है।  |
| <b>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ किसी <b>अनिवासी</b> द्वारा किसी भारतीय कंपनी में <b>≥10% इक्विटी</b> का निवेश।</li> <li>❖ यह <b>दीर्घकालिक हित</b> और <b>प्रबंधकीय प्रभाव</b> को दर्शाता है।</li> </ul>  |
| <b>भारत में FDI कैसे कार्य करता है</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पूंजी प्रवाह (Capital Inflow) विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ शेयर सब्सक्रिप्शन (MoA, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट्स/बोनस इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट)</li> <li>➤ विलय, विभाजन (डिमर्जर), समामेलन</li> <li>➤ निवासियों द्वारा शेयरों की खरीद</li> <li>➤ परिवर्तनीय उपकरणों/स्वैप का रूपांतरण</li> </ul> </li> <li>❖ <b>विनियमन: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)</b>, क्षेत्रवार सीमा (Sectoral Caps), मूल्य निर्धारण मानदंड तथा <b>RBI/सरकारी नियमों</b> के अंतर्गत।</li> <li>❖ <b>बीमा क्षेत्र में:</b> अब 100% FDI से विदेशी कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व की अनुमति होगी, परंतु यह भारतीय विनियामक शर्तों के अंतर्गत होगी।</li> </ul> |
| <b>एफडीआई प्रवेश के मार्ग</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्वचालित मार्ग:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इसमें सरकार या नियामक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।</li> <li>➤ निवेशक को केवल सेक्टरल कैप्स और FEMA मानकों का पालन करना अनिवार्य है।</li> <li>➤ निवेश के बाद रिपोर्टिंग आवश्यक होती है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सरकारी मार्ग:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ इसके तहत <b>विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP)</b> के माध्यम से सरकार से <b>पूर्व स्वीकृति</b> लेनी अनिवार्य होती है।</li> <li>➤ सरकार निवेश के लिए कुछ शर्तें (जैसे लॉक-इन अवधि, सुरक्षा मानदंड, अतिरिक्त रिपोर्टिंग) निर्धारित कर सकती है।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>FDI के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ लॉटरी व्यवसाय (ऑनलाइन लॉटरी सहित)।</li> <li>❖ जुए और सट्टेबाजी से संबंधित गतिविधियाँ (कैसीनो सहित)।</li> <li>❖ चिट फंड कंपनियाँ (अप्रत्यावर्तन आधार पर NRIs/OCIs के लिए सीमित अपवाद)।</li> </ul>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ निधि कंपनियाँ।</li> <li>❖ हस्तांतरणीय विकास अधिकारों (TDRs) का व्यापार।</li> <li>❖ रियल एस्टेट व्यवसाय (किराए या बिक्री से संबंधित) और फार्महाउस का निर्माण।</li> <li>❖ तंबाकू उत्पादों का निर्माण (सिगरेट, सिगार आदि)।</li> <li>❖ परमाणु ऊर्जा और रेल परिचालन के कुछ विशिष्ट क्षेत्र।</li> <li>❖ <b>नोट:</b> लॉटरी तथा जुआ/सट्टेबाज़ी क्षेत्रों में <b>तकनीकी सहयोग</b> भी प्रतिबंधित है।</li> </ul> |
| <b>बीमा क्षेत्र में क्रमिक उदारीकरण</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>2015:</b> 26% → 49%</li> <li>❖ <b>2021:</b> 49% → 74% (भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण की सुरक्षा शर्तों के साथ)।</li> <li>❖ <b>2025 (प्रस्तावित):</b> 74% से बढ़ाकर <b>100%</b> किया जा रहा है। इसके लिए <b>बीमा अधिनियम, 1938, IRDA अधिनियम, 1999</b>, और <b>LIC अधिनियम, 1956</b> में संशोधन किए जाएँगे।</li> </ul>  |
| <b>निष्कर्ष</b>                         | बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 100% तक बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उदारीकरण कदम है। इससे वैश्विक बीमा कंपनियों को भारत में आकर्षित करने, पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने, बाजार में प्रतिस्पर्धा को तीव्र करने और अंततः बीमा पहुंच में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह निवेश भारतीय नियामक ढांचे के अंतर्गत ही संचालित होगा।  |

### Topic 3 - मसाला बॉन्ड (Masala Bond)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>               | अर्थव्यवस्था   वित्तीय बाजार   बाह्य क्षेत्र   |
| <b>संदर्भ</b>                 | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य द्वारा मसाला बांड जारी करने से संबंधित कथित फेमा उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे यह साधन कानूनी और राजनीतिक जांच के दायरे में आ गया है।  |
| <b>What is a Masala Bond?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ मसाला बॉन्ड विदेशी में जारी किए जाने वाले बॉन्ड होते हैं, जो <b>भारतीय रुपये में जारी</b> किए जाते हैं और भारतीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी जुटाने की सुविधा देते हैं।</li> <li>❖ इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि <b>मुद्रा जोखिम निवेशकों द्वारा वहन</b> किया जाता है, न कि भारतीय जारीकर्ता द्वारा।</li> <li>❖ संक्षेप में, मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा <b>भारत के बाहर जारी</b> किए गए <b>रुपया-मुल्यांकित बॉन्ड</b> हैं।</li> <li>❖ <b>पहली बार 2014 में IFC</b> (अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) द्वारा जारी किया गया; <b>RBI ने 2015 में अनुमति दी</b>।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ भारतीय कॉर्पोरेट्स और सार्वजनिक निकायों को <b>भारतीय रुपये (INR) में वैश्विक निधि</b> जुटाने में सक्षम बनाना।</li> <li>➢ <b>विदेशी मुद्रा बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (ECBs)</b> पर निर्भरता कम करना।</li> <li>➢ <b>ऑफशोर रुपये के बाज़ार</b> और <b>रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण</b> को बढ़ावा देना।</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मूल्यवर्ग (Denomination):</b> भारतीय रुपया (INR); परंतु <b>विदेशी बाजारों में जारी और कारोबार</b>।</li> <li>❖ <b>पात्र जारीकर्ता:</b> कॉर्पोरेट कंपनियाँ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs)।</li> <li>❖ <b>लिस्टिंग:</b> अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज (लंदन, सिंगापुर आदि)।</li> <li>❖ <b>न्यूनतम परिपक्वता अवधि:</b> पहले 5 वर्ष → अब घटाकर <b>3 वर्ष</b> कर दी गई है।</li> <li>❖ <b>अंत-उपयोग (एंड-यूज़) प्रतिबंध:</b> रियल एस्टेट (किफायती आवास को छोड़कर), भूमि खरीद, पूंजी बाज़ार या प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए अनुमन्य नहीं।</li> </ul>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>कर लाभ:</b> ब्याज पर <b>5% विदहोल्डिंग टैक्स</b>; रुपये के मूल्य वृद्धि से होने वाले <b>पूंजीगत लाभ कर-मुक्त</b>।</li> </ul>  |
| <b>लाभ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जारीकर्ताओं के लिए:</b> कम विदेशी मुद्रा जोखिम और संभावित रूप से सस्ता पूंजी वित्तीयन।</li> <li>❖ <b>निवेशकों के लिए:</b> वैश्विक निवेशकों की भागीदारी से वित्तपोषण स्रोतों का विविधीकरण।</li> <li>❖ <b>राष्ट्रीय लाभ:</b> राज्यों और PSUs के लिए अवसरचना वित्तपोषण को समर्थन मिलता है और भारतीय रुपये में वैश्विक विश्वास सुदृढ़ होता है।</li> </ul> |

### Topic 4 - भारत के श्रम संहिता

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                           | भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रोजगार  |
| <b>संदर्भ</b>                             | भारत ने स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे व्यापक श्रम सुधारों को लागू किया है, जिसमें 29 मौजूदा श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित किया गया है। इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य श्रम शासन को आधुनिक बनाना, अनौपचारिक कार्यबल की समस्याओं का समाधान करना और गिग, प्लेटफॉर्म तथा निर्धारित अवधि जैसे नए कार्य पैटर्न के लिए एक अनुकूल कानूनी ढाँचा बनाना है।  |
| <b>भारत की चार प्रमुख श्रम संहिताएँ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>वेतन संहिता, 2019</b></li> <li>❖ <b>औद्योगिक संबंध संहिता, 2020</b></li> <li>❖ <b>सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020</b></li> <li>❖ <b>व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएँ (OSH) संहिता, 2020</b></li> <li>❖ ये संहिताएँ भारत के श्रम कानूनों को सरल, एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार ढाँचा प्रदान करती हैं।</li> </ul>   |
| <b>श्रम सुधारों की आवश्यकता क्यों थी?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विखंडित कानून:</b> अनेक और परस्पर-व्यापक कानूनों के कारण अनुपालन लागत बहुत अधिक थी, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए।</li> <li>❖ <b>उच्च स्तर की अनौपचारिकता:</b> कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में है, जो न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभों से वंचित है।</li> <li>❖ <b>बदलते रोजगार स्वरूप:</b> गिग कार्य, बढ़ती श्रमिक गतिशीलता और फिक्स्ड-टर्म अनुबंधों के लिए एक नए कानूनी ढाँचे की आवश्यकता थी।</li> <li>❖ <b>व्यवसाय की सुगमता:</b> पुराने, कठोर श्रम कानून निवेश और औपचारिकरण (Formalisation) में बाधा डाल रहे थे।</li> <li>❖ <b>प्रौद्योगिकीय व्यवधान:</b> स्वचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कार्यबल के लिए नई प्रकार की असुरक्षाएँ पैदा की हैं।</li> </ul> |
| <b>श्रम संहिताओं के मूल उद्देश्य</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ श्रम कानूनों का <b>सरलीकरण और एकीकरण</b> करना।</li> <li>❖ <b>न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा</b> का दायरा सभी तक पहुँचाना।</li> <li>❖ कानूनी अनुबंधों और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से <b>औपचारिकरण को बढ़ावा</b> देना।</li> <li>❖ <b>गिग, प्लेटफॉर्म और प्रवासी श्रमिकों</b> को कानूनी संरक्षण प्रदान करना।</li> <li>❖ <b>श्रम लचीलेपन और श्रमिक अधिकारों</b> के बीच संतुलन स्थापित करना।</li> <li>❖ कार्यबल में <b>महिलाओं की भागीदारी</b> को बढ़ाना।</li> <li>❖ <b>सिंगल-विंडो अनुपालन</b> तंत्र से व्यवसाय की सुगमता को बेहतर बनाना।</li> </ul>  |



|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>प्रमुख श्रमिक कल्याण प्रावधान</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन:</b> एक सीमा तय करना जिससे नीचे कोई भी राज्य वेतन निर्धारित नहीं कर सकता।</li><li>❖ <b>सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन:</b> असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों पर लागू।</li><li>❖ <b>अनिवार्य नियुक्ति-पत्र:</b> कार्य शर्तों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।</li><li>❖ <b>निर्धारित अवधि के श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी:</b> केवल एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्रता।</li><li>❖ <b>गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक:</b> इन्हें पहली बार कानूनी पहचान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।</li><li>❖ <b>प्रवासी श्रमिक:</b> लाभों की <b>पोर्टेबिलिटी</b> (एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण) और डिजिटल पंजीकरण की सुविधा।</li><li>❖ <b>OSH संहिता:</b> समान सुरक्षा मानक और <b>40+ आयु</b> के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जाँच।</li><li>❖ <b>महिला श्रमिक:</b> समान वेतन, सुरक्षा उपायों के साथ नाइट-शिफ्ट की अनुमति और शिशु देखभाल केंद्र (क्रेच) की सुविधा।</li></ul> |
| <b>उद्योग व वैश्विक प्रतिक्रिया</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>उद्योग निकाय (CII, FICCI, ASSOCHAM):</b> सुधारों का स्वागत किया, क्योंकि ये पूर्वानुमेयता और उत्पादकता बढ़ाते हैं।</li><li>❖ <b>वैश्विक संस्थाएँ (ILO, विश्व बैंक, OECD):</b> इन सुधारों को एक आधुनिक श्रम व्यवस्था की दिशा में सकारात्मक कदम मानती हैं, विशेषकर गिग-श्रमिकों को शामिल करने के लिए सराहना की गई है।</li></ul>   |
| <b>कौशल, उत्पादकता और रोजगार</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>कौशल असंतुलन (स्किल गैप)</b> एक बड़ी चुनौती है (WEF के अनुसार 2030 तक बड़े पैमाने पर री-स्किलिंग की आवश्यकता होगी)।</li><li>❖ पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की उच्च क्षमता है।</li><li>❖ संहिताओं को <b>अप्रेंटिसशिप, ITI सुधार, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) प्रशिक्षण और CSR-आधारित कौशल विकास</b> जैसे उपायों से पूरक बनाया गया है।</li><li>❖ <b>आजीवन अधिगम (Lifelong Learning)</b> और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।</li></ul>   |
| <b>संघीय एवं राज्य आयाम</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ श्रम विषय <b>समवर्ती सूची</b> में है, जिसका अर्थ है कि <b>राज्य सरकारें</b> भी नियमों, निरीक्षण तंत्रों और कल्याण योजनाओं को परिभाषित करती हैं। राज्यों के बीच भिन्नताएँ कार्यान्वयन की एकरूपता को प्रभावित कर सकती हैं।</li><li>❖ <b>अंतर-राज्य समन्वय</b> प्रवासी श्रमिकों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।</li></ul>  |
| <b>कार्यान्वयन चुनौतियाँ</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ राज्यों की <b>असमान तैयारी</b> व नियमों की देर से अधिसूचना।</li><li>❖ <b>एमएसएमई</b> के लिए तकनीकी अनुकूलन (Tech Adaptation) और अनुपालन चुनौतियाँ।</li><li>❖ श्रमिकों में <b>अधिकार-जागरूकता</b> व शिकायत निवारण की कमी।</li><li>❖ <b>गिग श्रमिकों</b> हेतु नियोक्ता अंशदान पर अस्पष्टता।</li><li>❖ सशक्त <b>डिजिटल प्रणालियों</b> व सतत <b>सामाजिक संवाद</b> की आवश्यकता।</li></ul>   |
| <b>निष्कर्ष</b>                      | भारत की श्रम संहिताएँ एक <b>आधुनिक, एकीकृत और दूरदर्शी</b> श्रम शासन ढाँचा प्रस्तुत करती हैं। इनकी सफलता <b>प्रभावी कार्यान्वयन, श्रमिक जागरूकता, राज्य सरकारों के बीच समन्वय, तथा कौशल विकास व सामाजिक संरक्षण प्रणालियों</b> के सफल एकीकरण पर निर्भर है। यदि इन संहिताओं को सही ढंग से लागू किया जाता है, तो ये भारत की <b>21वीं सदी की अर्थव्यवस्था</b> के अनुरूप एक <b>गरिमामय, उत्पादक और समावेशी कार्यबल</b> का निर्माण कर सकती हैं।   |

**Govt Schemes****Topic 1 - अमृत फार्मसी के 10 वर्ष**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>        | सरकारी पहल  |
| <b>संदर्भ</b>          | उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं भारी छूट पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई <b>अमृत फार्मसी</b> ने देशव्यापी विस्तार और डिजिटल उन्नयन के साथ 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।   |
| <b>यह क्या है?</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सरकारी पहल और शुरुआत:</b> यह पहल <b>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b> के अंतर्गत वर्ष <b>2015</b> में शुरू की गई थी।</li> <li>❖ <b>कार्यान्वयन एजेंसी:</b> इसका देशव्यापी कार्यान्वयन <b>एचएलएल (HLL) लाइफकेयर लिमिटेड</b> द्वारा किया जा रहा है।</li> <li>❖ इस सरकारी पहल के तहत जीवन रक्षक दवाओं, प्रत्यारोपणों और उपभोग्य सामग्रियों पर <b>50-90% की छूट</b> दी जाती है।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> विशेष रूप से कम आय वाले और अधिक बोझ वाले रोगियों के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण ब्रांडेड और जेनेरिक दवाएं और प्रत्यारोपण उपलब्ध कराना।</li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएं</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>देशव्यापी पहुँच:</b> वर्तमान में 255 आउटलेट हैं, जिनका विस्तार मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में 500 तक किया जा रहा है।</li> <li>❖ <b>भारी छूट:</b> आवश्यक, ऑन्कोलॉजी, कार्डियक और सर्जिकल उत्पादों पर 50-90% की छूट।</li> <li>❖ <b>मरीजों की भारी बचत:</b> ₹17,000 करोड़ (एमआरपी) की दवाइयाँ वितरित की गई → मरीजों ने ₹8,400 करोड़ की बचत की।</li> <li>❖ <b>विस्तृत लाभार्थी आधार:</b> 10 वर्षों में 85 करोड़ मरीजों को सेवा प्रदान की गई।</li> <li>❖ <b>डिजिटल प्रगति:</b> दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए <b>अमृत ITes इको-ग्रीन 2.0</b> का शुभारंभ किया गया है।</li> <li>❖ <b>अन्य उन्नत सेवाएँ:</b> मोबाइल वैन, 24×7 संपर्क केंद्र, माई स्टैम्प जारी करना, कॉफी टेबल बुक, और आयुर्वेद का एकीकरण।</li> <li>❖ <b>कुशल जनशक्ति:</b> प्रमाणित फार्मासिस्ट (डी.फार्म, बी.फार्म)।</li> </ul> |

**Topic 2 - ई-जागृति प्लेटफॉर्म**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Syllabus</b>    | सरकारी पहल  |
| <b>संदर्भ</b>      | ई-जागृति प्लेटफॉर्म एक <b>एआई-सक्षम डिजिटल प्रणाली</b> है जो <b>उपभोक्ता शिकायत निवारण</b> को आधुनिक बनाती है और नागरिकों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को त्वरित, पारदर्शी और कागज़ रहित न्याय प्रदान करती है।  |
| <b>यह क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह एक एकीकृत, एआई-संचालित पोर्टल है जो सभी उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणालियों को एकीकृत करता है।</li> <li>❖ <b>उपभोक्ता मामलों के विभाग</b> द्वारा विकसित।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और अनिवासी भारतीयों के लिए त्वरित, पारदर्शी, सुलभ और पूरी तरह से डिजिटल उपभोक्ता न्याय सुनिश्चित करना।</li> </ul> |



|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>मुख्य विशेषताएं</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>एकीकृत डिजिटल उपभोक्ता न्यायालय:</b> ई-फाइलिंग, ई-जांच, आभासी सुनवाई, सुरक्षित दस्तावेज़ प्रबंधन और भूमिका-आधारित डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं।</li> <li>❖ <b>अनिवासी भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच:</b> दूरस्थ फाइलिंग, ट्रेकिंग की सुविधा, एन्क्रिप्टेड दस्तावेज़, ओटीपी-आधारित लॉगिन और ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था।</li> <li>❖ <b>एआई-आधारित सहायता:</b> चैटबॉट, बहुभाषी इंटरफ़ेस, वॉइस-टू-टेक्स्ट रूपांतरण, स्मार्ट रूटिंग और सुलभता सुविधाएं प्रदान करता है।</li> <li>❖ <b>उच्च निपटान दक्षता:</b> लक्ष्य है कि 2025 में मामलों के निपटान की दर दाखिल करने की दर से अधिक हो, जिससे लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आए।</li> <li>❖ <b>एकीकृत संचार:</b> सूचनाओं, अपडेट और समय सीमाओं के लिए स्वचालित एसएमएस/ईमेल अलर्ट।</li> <li>❖ <b>सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान:</b> PayGov और भारत कोष का समर्थन करता है।</li> </ul> |
|------------------------|--|

### Topic 3 - डिजिटल हब फॉर रेफ़रेंस एंड यूनिफ़ाइड एड्रेस (DHRUVA)

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>        | सरकारी योजना  |
| <b>संदर्भ</b>          | <b>डाक विभाग ने DHRUVA (ध्रुव)</b> नामक एक <b>UPI-जैसी डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली</b> का प्रस्ताव किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पते बनाने, साझा करने और उपयोग करने के तरीके को आधुनिक बनाना है। यह प्रणाली पते को सटीक, अंतःक्रियाशील (इंटरऑपरेबल) और उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करने पर केंद्रित है।  |
| <b>DHRUVA क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ पतों के लिए एक <b>डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)</b>, जो भौतिक स्थानों का मानकीकरण, डिजिटलीकरण और वर्चुअलाइजेशन करता है।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; एकीकृत, इंटरऑपरेबल और उपयोगकर्ता-नियंत्रित डिजिटल एड्रेस इकोसिस्टम बनाना।</li> <li>&gt; एड्रेस प्रबंधन को <b>कोर DPI</b> के रूप में स्थापित करना - आधार, UPI, डिजिलॉकर की तरह।</li> <li>&gt; सरकार और निजी क्षेत्र के उपयोग हेतु <b>एड्रेस-एज-ए-सर्विस (AaaS)</b> सक्षम करना।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>UPI-जैसे वर्चुअल IDs (एड्रेस लेबल):</b> उपयोगकर्ता अब पूर्ण भौतिक पते के बजाय साधारण, प्रॉक्सी एड्रेस लेबल (जैसे, नाम@एंटीटी) साझा कर सकते हैं। इससे बार-बार फ़ॉर्म भरने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।</li> <li>❖ <b>DIGIPIN बैकबोन (उच्च-सटीक जियोकोडिंग):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; यह <b>DIGIPIN</b> पर आधारित है, जो अक्षांश और देशांतर पर आधारित <b>10-अक्षरीय अल्फ़ान्यूमेरिक जियोकोड</b> है।</li> <li>&gt; यह भारत भर में लगभग <b>14 वर्ग मीटर</b> के ग्रिड मैप करता है, जिससे लगभग <b>228 अरब</b> अद्वितीय पिन बनते हैं।</li> <li>&gt; यह <b>ओपन-सोर्स</b> है और ग्रामीण तथा कठिन-मैपिंग क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सहमति-आधारित पहुंच:</b> सशक्त गोपनीयता संरक्षण के साथ, समय-सीमित और उद्देश्य-विशिष्ट पता साझा करने की सुविधा।</li> <li>❖ <b>AaaS APIs:</b> लॉजिस्टिक्स, फ़िनटेक, ई-कॉमर्स और सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षित एकीकरण प्रदान करता है।</li> <li>❖ <b>स्वीकार्यता:</b> इस प्रणाली को स्वैच्छिक रूप से अपनाने और निजी प्लेटफ़ॉर्म के साथ इंटरऑपरेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है।</li> </ul> |

**Topic 4 - विकसित भारत - रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025**

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                                   | सरकारी योजनाएँ   अर्थव्यवस्था   ग्रामीण विकास   |
| <b>संदर्भ</b>                                     | भारत के राष्ट्रपति ने <b>विकसित भारत-रोज़गार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025</b> को स्वीकृति प्रदान की है। यह अधिनियम ग्रामीण रोज़गार नीति में व्यापक सुधार करते हुए <b>आजीविका सुरक्षा, परिसंपत्ति सृजन और जलवायु लचीलापन</b> को <b>विकसित भारत @2047</b> की दृष्टि से संरेखित करता है।  |
| <b>विकसित भारत-G RAM G अधिनियम, 2025 क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ग्रामीण रोज़गार के लिए <b>पुनर्गठित वैधानिक ढांचा</b>।</li> <li>❖ <b>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005</b> को प्रतिस्थापित करता है।</li> <li>❖ ग्रामीण रोज़गार को <b>आजीविका, परिसंपत्तियों और जलवायु लचीलापन</b> के एकीकृत उपकरण के रूप में पुनर्स्थापित करता है।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ विस्तारित रोज़गार गारंटी के माध्यम से <b>ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा</b> को बढ़ाना।</li> <li>➤ <b>स्थायी परिसंपत्ति सृजन</b> पर ध्यान केंद्रित करते हुए मज़दूरी-आधारित रोज़गार को सतत ग्रामीण विकास में रूपांतरित करना।</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>गारंटीकृत रोज़गार में वृद्धि</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष न्यूनतम <b>125 दिन</b> के अकुशल मैनुअल कार्य की वैधानिक गारंटी।</li> <li>➤ यदि काम की मांग के <b>15 दिनों</b> के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देय होगा।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>वित्तपोषण (केंद्र प्रायोजित योजना):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अधिकांश राज्यों के लिए <b>60:40</b> (केंद्र:राज्य)।</li> <li>➤ <b>उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों</b> के लिए <b>90:10</b>।</li> <li>➤ विधानमंडल-रहित <b>केंद्रशासित प्रदेशों</b> के लिए <b>100% केंद्रीय वित्तपोषण</b>।</li> <li>➤ <b>बेरोजगारी भत्ता और विलंब क्षतिपूर्ति</b> राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>मानक (नॉर्मेटिव) आवंटन एवं राज्य दायित्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ केंद्र वार्षिक रूप से मानक आवंटन अधिसूचित करेगा, और इससे अधिक व्यय राज्यों को वहन करना होगा।</li> <li>➤ हालांकि, काम करने का वैधानिक अधिकार अप्रभावित रहेगा।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>कृषि के चरम मौसम में विराम</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कृषि में श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य <b>अधिकतम 60 दिनों</b> तक का <b>समेकित विराम</b> अधिसूचित कर सकते हैं (बिना <b>125-दिवसीय</b> अधिकार में कटौती किए)।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>विकेंद्रीकृत एवं एकीकृत नियोजन</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ग्राम सभाएँ</b> और <b>पंचायतें</b> मुख्य योजना प्राधिकरण बनी रहेंगी।</li> <li>➤ कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उत्पन्न होंगे, जो सहभागितापूर्ण प्रक्रिया से तैयार होंगी।</li> <li>➤ योजनाएँ <b>पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान</b> से एकीकृत होंगी और ऊपर की ओर समेकित की जाएँगी।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस:</b> कार्य केवल <b>चार विषयगत क्षेत्रों</b> तक सीमित: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ जल सुरक्षा</li> <li>■ मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना</li> <li>■ आजीविका-संबंधित अवसंरचना</li> <li>■ जलवायु लचीलापन और चरम मौसम शमन।</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ परिसंपत्तियों को <b>राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक</b> में मैप किया जाएगा ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।</li> </ul> </li> </ul> |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सुदृढ़ क्रियान्वयन एवं निगरानी</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ केंद्रीय और राज्य परिषदें यथावत रहेंगी, जिनकी संरचना नियमों द्वारा अधिसूचित होगी।</li> <li>➤ निगरानी और अभिसरण हेतु राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समितियाँ स्थापित होंगी।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>प्रौद्योगिकी-आधारित पारदर्शिता एवं जवाबदेही</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग और रीयल-टाइम डैशबोर्ड का उपयोग।</li> <li>➤ कार्यान्वयन डेटा का साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>ग्राम सभाओं द्वारा सुदृढ़ सामाजिक लेखा-परीक्षा।</b></li> </ul> |
| <b>मनरेगा योजना</b>               | <p>मनरेगा 2005 में शुरू हुआ था एक अधिकार-आधारित, माँग-प्रेरित योजना के रूप में, जो गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मुख्य विशेषताएँ:</b> अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी; 15 दिनों में कार्य न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता; महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी (वास्तविक &gt;58%); 60:40 मज़दूरी-सामग्री अनुपात; स्थायी परिसंपत्ति सृजन; अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षा।</li> <li>❖ <b>ऐतिहासिक संदर्भ:</b> रोजगार आश्वासन योजना (1993) और फूड फॉर वर्क कार्यक्रम (2004) से प्रेरणा।</li> </ul>  |
| <b>हालिया / प्रस्तावित संशोधन</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ प्रस्तावित नाम परिवर्तन: “<b>पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना</b>”।</li> <li>❖ <b>जल संरक्षण प्राथमिकता (सितंबर 2025):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अतिदोहित/संकटग्रस्त ब्लॉकों में 65% निधि, अर्द्ध-संकटग्रस्त में 40%, सुरक्षित ब्लॉकों में 30%।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>प्रोजेक्ट उन्नति (2019):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ श्रमिकों का कौशल उन्नयन; मार्च 2025 तक 90,894 प्रशिक्षित (लक्ष्य: 2 लाख)।</li> </ul> </li> </ul>   |

### Topic 5 - परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>          | सरकारी योजना   ऊर्जा   |
| <b>संदर्भ</b>            | भारत सरकार ने <b>केंद्रीय बजट 2025-26</b> में <b>परमाणु ऊर्जा मिशन</b> नामक एक राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य उन्नत, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का बड़े पैमाने पर विस्तार करना है।  |
| <b>परमाणु ऊर्जा मिशन</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>दीर्घकालिक लक्ष्य (2047 तक):</b> लगभग 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।</li> <li>➤ <b>अल्पकालिक लक्ष्य (2033 तक):</b> कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) को परिचालन में लाना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>मुख्य विशेषताएँ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>वित्तीय आवंटन:</b> SMR के अनुसंधान, विकास और परिनियोजन के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।</li> <li>➤ <b>स्वदेशी विकास:</b> भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) निम्नलिखित का विकास कर रहा है: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BSMR-200</li> <li>■ SMR-55</li> <li>■ हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उच्च-ताप गैस-शीतित रिएक्टर।</li> </ul> </li> <li>➤ <b>अनुप्रयोग पर फोकस:</b> मिशन विशेष रूप से <b>कैप्टिव पावर, जीवाश्म-आधारित संयंत्रों का रिपारिंग, और दूरस्थ अनुप्रयोगों</b> में परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा।</li> </ul> </li> </ul> |



|                |   |
|----------------|---|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>निजी और सार्वजनिक भागीदारी:</b> जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र से 58-60 GW का योगदान अपेक्षित है, वहीं मिशन निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देगा।</li> <li>➤ <b>क्रियान्वयन एजेंसी:</b> इस मिशन का नेतृत्व न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा किया जाएगा, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) के साथ संयुक्त उपक्रम भी शामिल होंगे।</li> </ul> |
| <b>महत्त्व</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>ऊर्जा सुरक्षा:</b> यह 24×7 स्थिर बेसलोड बिजली सुनिश्चित करता है।</li> <li>❖ <b>ग्रिड स्थायित्व:</b> यह नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए ग्रिड स्थिरता को मजबूत करता है।</li> <li>❖ <b>जलवायु प्रतिबद्धता:</b> यह भारत की नेट जीरो 2070 की महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।</li> </ul>                                      |

### Topic 6 - शांति विधेयक (SHANTI Bill)

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>  | सरकारी विधेयक/योजनाएँ   ऊर्जा   |
| <b>संदर्भ</b>  | भारत की संसद ने <b>सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025</b> पारित किया है। यह विधेयक देश के परमाणु शासन ढाँचे में बड़े सुधारों की शुरुआत करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु क्षमता का विस्तार करना, निजी भागीदारी को सक्षम बनाना और दायित्व (लायबिलिटी) तथा नियामक संरचना को पुनर्गठित करना है।   |
| <b>SHANTI (भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत उपयोग एवं उन्नयन) विधेयक क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रतिस्थापन:</b> यह विधेयक <b>परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962</b> और <b>परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010</b> का स्थान लेता है।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> यह निजी क्षेत्र की भागीदारी और संशोधित दायित्व मानकों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए एक नया कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।</li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>नया अपीलीय तंत्र</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>परमाणु ऊर्जा निवारण/समाधान सलाहकार परिषद</b> की स्थापना।</li> <li>➤ आगे की अपीलें <b>विद्युत अपीलीय अधिकरण</b> के समक्ष होंगी।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>स्तरीकृत दायित्व ढाँचा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ रिक्टर क्षमता के आधार पर ऑपरेटर की अधिकतम दायित्व सीमा <b>₹100 करोड़ से ₹3,000 करोड़</b> तक सीमित। इस सीमा से अधिक का दायित्व <b>केंद्र सरकार</b> वहन करेगी।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ता दायित्व हटाना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ दोषपूर्ण उपकरणों के लिए ऑपरेटर का आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध प्रतिगमन (रिकोर्स) अधिकार समाप्त।</li> <li>➤ प्रतिगमन केवल <b>संविदात्मक उल्लंघन</b> या <b>जानबूझकर किए गए कृत्यों</b> के लिए रहेगा।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>AERB को वैधानिक दर्जा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB)</b> को वैधानिक मान्यता।</li> <li>➤ AERB को परमाणु एवं विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>परमाणु क्षेत्र का निजीकरण:</b> लाइसेंसिंग और निगरानी के तहत, <b>निजी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और अनुमत व्यक्ति</b> परमाणु संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन कर सकेंगे।</li> <li>❖ <b>विस्तारित क्षेत्रीय कवरेज:</b> क्षतिपूर्ति दावे भारत के बाहर होने वाली परमाणु क्षति तक विस्तारित हो सकते हैं, शर्तों के अधीन।</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>SHANTI विधेयक की आवश्यकता</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>नवीकरणीय ऊर्जा की सीमाएँ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सौर और पवन ऊर्जा अनियमित और भंडारण-निर्भर हैं।</li> <li>➤ परमाणु ऊर्जा स्थिर बेसलोड बिजली प्रदान करती है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>बढ़ती ऊर्जा माँग और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य:</b> आर्थिक विकास और नेट-ज़ीरो प्रतिबद्धताएँ कम-कार्बन बेसलोड ऊर्जा की माँग करती हैं।</li> <li>❖ <b>सार्वजनिक क्षेत्र की सीमाएँ:</b> NPCIL और DAE वित्तीय और क्रियान्वयन सीमाओं का सामना कर रहे हैं, जिससे 100 GW क्षमता विस्तार कठिन।</li> <li>❖ <b>वैश्विक प्रथाओं से संरेखण:</b> क्षेत्र को खोलने से वैश्विक प्रौद्योगिकी, वित्त और आपूर्ति श्रृंखला तक पहुँच संभव।</li> </ul>  |
| <p><b>मुद्दे और चिंताएँ</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दायित्व में शिथिलता व सुरक्षा जोखिम:</b> कम दायित्व सीमा और आपूर्तिकर्ता दायित्व हटाने से विनाशकारी लागतों का सामाजिककरण हो सकता है।</li> <li>❖ <b>पूर्व आपदाओं से सीख की उपेक्षा:</b> भोपाल और फुकुशिमा जैसे अनुभव मजबूत जवाबदेही की आवश्यकता दर्शाते हैं।</li> <li>❖ <b>विनियामक स्वतंत्रता का अभाव:</b> वैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद AERB का <b>कार्यपालिका नियंत्रण</b> में बने रहना।</li> <li>❖ <b>रेडियोधर्मी अपशिष्ट और डी-कमीशनिंग अंतराल:</b> दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए <b>वित्तपोषण व उत्तरदायित्व</b> का स्पष्ट ढाँचा नहीं।</li> <li>❖ <b>पर्यावरणीय और श्रम न्याय जोखिम:</b> निजी भागीदारी से <b>संविदात्मक श्रम</b> और सुरक्षा संबंधी जोखिमों में वृद्धि की संभावना।</li> <li>❖ <b>ऊर्जा संप्रभुता संबंधी चिंताएँ:</b> अधिक विदेशी भागीदारी से <b>तकनीकी निर्भरता</b> बढ़ने की आशंका।</li> </ul> |
| <p><b>आगे की राह</b></p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दायित्व सुदृढ़ीकरण:</b> दायित्व सीमा की पुनः समीक्षा करना और आपूर्तिकर्ता जवाबदेही को बहाल करना।</li> <li>❖ <b>स्वतंत्र विनियमन:</b> AERB को पूर्ण स्वायत्तता और संसदीय पर्यवेक्षण प्रदान करना, तथा नियुक्तियों में सुधार करना।</li> <li>❖ <b>अपशिष्ट प्रबंधन कोष:</b> रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पूर्ण वित्तपोषित, सुरक्षित और दीर्घकालिक तंत्र स्थापित करना।</li> <li>❖ <b>संतुलित ऊर्जा रणनीति:</b> भंडारण, ग्रिड और दक्षता सुधारों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा का संतुलन बनाना।</li> <li>❖ <b>जनविश्वास बहाली:</b> सामुदायिक परामर्श, पारदर्शिता और पर्यावरणीय सुरक्षा को संस्थागत बनाना।</li> </ul>   |
| <p><b>निष्कर्ष</b></p>                  | <p><b>SHANTI विधेयक</b> भारत की परमाणु ऊर्जा नीति में एक <b>परिवर्तनकारी कदम</b> है, जो विकास की आवश्यकताओं और डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों से प्रेरित है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि परमाणु विस्तार को <b>मजबूत सुरक्षा मानकों, नियामक स्वतंत्रता</b> और <b>सार्वजनिक जवाबदेही</b> के साथ कितनी कुशलता से संतुलित किया जाता है।</p>   |



## History

### Topic 1 - राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC), लोथल

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>        | प्राचीन इतिहास   कला एवं संस्कृति   |
| <b>संदर्भ</b>          | भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के लिए सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।   |
| <b>परिचय</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) भारत के 4,500-5,000 वर्ष पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रमुख विरासत परियोजना है।</li><li>❖ इसे भारत के पहले राष्ट्रीय संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो केवल समुद्री विरासत को समर्पित होगा।</li><li>❖ नोडल मंत्रालय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।</li></ul>  |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ विश्व-स्तरीय समुद्री संग्रहालय, जिसमें प्राचीन नौवहन, जहाज़ निर्माण, व्यापार मार्ग, नौसैनिक इतिहास और तटीय संस्कृतियों पर दीर्घाएँ होंगी।</li><li>❖ अंतरराष्ट्रीय सहयोग, जिसमें डिज़ाइन, क्यूरेशन और संरक्षण के लिए नेशनल मैरीटाइम म्यूज़ियम के साथ साझेदारी शामिल है।</li><li>❖ विद्वानों और पेशेवरों के लिए समुद्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र।</li><li>❖ वैश्विक समुद्री मेलों, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए स्थल।</li><li>❖ छात्रों और स्थानीय समुदायों के लिए सुलभ व किफायती सार्वजनिक पहुँच।</li><li>❖ आधुनिक तकनीक और इमर्सिव (डूबावकारी) आगंतुक अनुभवों का उपयोग।</li></ul> |
| <b>लोथल (Lothal)</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ लोथल सिंधु घाटी/हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो अहमदाबाद, गुजरात के निकट स्थित है।</li><li>❖ 1957 में उत्खनन किया गया; इसका काल लगभग 2400 ईसा पूर्व है।</li><li>❖ यह विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात मानव-निर्मित गोदी (डॉकयार्ड) स्थल माना जाता है।</li><li>❖ प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से जुड़ा एक प्रमुख पत्तन नगर, जो सिंधु, सौराष्ट्र, मेसोपोटामिया और मिस्र से संपर्क में था।</li><li>❖ प्रमुख विशेषताएँ: उन्नत नगर नियोजन, ज्वारीय नियंत्रण और समुद्री अभियांत्रिकी।</li><li>❖ यह भारत की निरंतर समुद्री परंपरा का सशक्त प्रमाण प्रस्तुत करता है।</li></ul>                        |

**Topic 2 - दंडामी माड़िया जनजाति**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                    | कला और संस्कृति   जनजातियाँ  |
| <b>संदर्भ</b>                      | <b>दंडामी माड़िया</b> (बाइसन हॉर्न मारिया) जनजाति, <b>बस्तर</b> की एक जीवंत परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। उनका प्रसिद्ध <b>बाइसन हॉर्न नृत्य</b> आधुनिक प्रभावों के बावजूद सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है।   |
| <b>वे कौन हैं?</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ दंडामी माड़िया (जिन्हें बाइसन हॉर्न माड़िया या खलपति माड़िया भी कहा जाता है)।</li> <li>❖ <b>गोंड (कोयटोरिया) जनजाति का उप-समूह</b> - भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी समुदायों में से एक।</li> <li>❖ बाइसन हॉर्न (जंगली बैल के सींग) से बने सिर के आभूषण और आनुष्ठानिक नृत्य उनकी पहचान का प्रमुख प्रतीक।</li> </ul>  |
| <b>उत्पत्ति एवं भाषा</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ अपनी वंशावली मध्य भारत के प्राचीन <b>गोंडवाना क्षेत्र</b> से जोड़ते हैं।</li> <li>❖ <b>दंडामी माड़िया भाषा</b> बोलते हैं; साथ ही कई <b>गोंडी उपभाषाओं</b> का प्रयोग करते हैं (मौखिक, द्रविड़ मूल की)।</li> </ul>  |
| <b>निवास एवं आजीविका</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>बस्तर क्षेत्र</b>, छत्तीसगढ़ में केंद्रित - दरभा, टोकापाल, लोहंडीगुड़ा, दंतेवाड़ा।</li> <li>❖ वन-आधारित बस्तियाँ, जो उनके अनुष्ठानों और विश्वदृष्टि को आकार देती हैं।</li> <li>❖ <b>आजीविका</b>: मुख्यतः कृषि, साथ ही शिकार और मछली पकड़ना।</li> </ul>   |
| <b>प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताएँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>बाइसन हॉर्न माड़िया नृत्य (गौर सिंग नृत्य)</b>: पुरुष (बाइसन हॉर्न सिर आभूषण पहनकर) और महिलाएँ (हाथ से बुनी साड़ियों और भारी चाँदी/पीतल के आभूषणों में) अनुष्ठानों के दौरान प्रस्तुत करती हैं।</li> <li>❖ <b>सामाजिक जीवन: घोटुल (युवा छात्रावास)</b> सामाजिक एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। तलाक और विधवा पुनर्विवाह की <b>अनुमति</b>।</li> <li>❖ <b>आस्था</b>: प्रकृति-केन्द्रित विश्वास; <b>बुद्धादेव</b> और <b>दंतेश्वरी माई</b> की पूजा।</li> </ul> |

**Topic 3 - सम्राट परुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                 | भारतीय इतिहास   मध्यकालीन भारत  |
| <b>संदर्भ</b>                   | प्रधानमंत्री द्वारा सम्राट परुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने का स्वागत किया गया। यह उनके प्रशासनिक कौशल, सैन्य नेतृत्व और प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति के संरक्षण को मान्यता देता है।  |
| <b>वे कौन थे?</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ परुम्बिडुगु मुथारैयार द्वितीय, जिन्हें <b>सुवरन मारन</b> या <b>शत्रुभयंकर</b> के नाम से भी जाना जाता है।</li> <li>❖ शासनकाल: लगभग 705-745 ईस्वी।</li> <li>❖ <b>वंश: मुथारैयार राजवंश</b> के प्रमुख शासक।</li> </ul>  |
| <b>राज्य और राजनीतिक स्थिति</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>पद</b>: तमिल क्षेत्र के एक शक्तिशाली स्थानीय सरदार।</li> <li>❖ <b>संबंध</b>: पल्लव वंश के अधीन सामंत के रूप में कार्यरत थे और पल्लव राजा नंदिवर्मन द्वितीय के वफादार सहयोगी थे।</li> <li>❖ <b>नियंत्रण क्षेत्र</b>: मध्य कावेरी बेसिन (तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, पुडुक्कोट्टई और पेरंबलुर)।</li> <li>❖ <b>प्रशासनिक केंद्र</b>: तिरुचिरापल्ली।</li> </ul> |
| <b>प्रमुख योगदान</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शासन और सैन्य सहायता</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ स्थिर शासन स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध।</li> </ul> </li> </ul>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पल्लवों को, विशेष रूप से उनके पतन काल में, महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य सहायता प्रदान की।</li> <li>❖ <b>मंदिर वास्तुकला:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ तमिलनाडु में प्रारंभिक मंदिर निर्माताओं में से एक।</li> <li>➤ उनके द्वारा निर्मित शैलकृत (चट्टानों को काटकर बनाए गए) और संरचनात्मक मंदिर <b>विजयालय चोल</b> से पूर्व के हैं और <b>प्रारंभिक चोल वास्तुकला</b> को प्रभावित करते हैं।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>शैव धर्म</b> के संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने <b>धार्मिक बहुलवाद</b> को भी बढ़ावा दिया।</li> <li>➤ <b>जैन आचार्य विमलचंद्र</b> जैसे विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ आयोजित किए।</li> <li>➤ तमिल भाषा, साहित्य और धार्मिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया (जिसके शिलालेखीय प्रमाण मौजूद हैं)।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>लोक-कल्याण कार्य:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मंदिरों के लिए दान दिया।</li> <li>➤ सिंचाई तालाबों और कृषि अवसंरचना का समर्थन किया, जिससे कावेरी डेल्टा की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

#### Topic 4 - बिरसा मुंडा: आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                             | आधुनिक भारतीय इतिहास   व्यक्तित्व   |
| <b>संदर्भ</b>                               | भारत ने <b>बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती</b> मनाई, उन्हें एक ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आदिवासी अस्मिता के प्रतीक के रूप में सम्मानित करते हुए जिन्होंने औपनिवेशिक अन्याय और सामाजिक शोषण के विरुद्ध जनजागरण का नेतृत्व किया।  |
| <b>व्यक्तिगत जीवन एवं पृष्ठभूमि</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जन्म:</b> उलिहातू, खूंटी जिला, झारखंड - छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में।</li> <li>❖ <b>प्रारंभिक जीवन:</b> चल्कद और कुरुम्बदा में बचपन; <b>सालगा</b> और <b>चाईबासा</b> में शिक्षा।</li> <li>❖ <b>वैकल्पिक नाम:</b> उनका जन्म नाम <b>दाउद मुंडा</b> था, जो परिवार के अल्पकालिक धर्मांतरण के दौरान अपनाया गया।</li> <li>❖ <b>पहचान:</b> मुंडा जनजाति के नेता, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी; <b>भगवान</b> और <b>धरती आबा (धरती के पिता)</b> के रूप में पूज्य।</li> <li>❖ <b>जीवन लक्ष्य:</b> आदिवासी भूमि अधिकार, वनों तक पहुँच और जनजातीय स्वशासन की स्थापना के लिए संघर्ष।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य आंदोलन: उलगुलान (महान विद्रोह)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बिरसा मुंडा ने <b>मुंडा विद्रोह (उलगुलान)</b> का नेतृत्व किया, जो ब्रिटिश दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>मुख्य मुद्दे:</b> आंदोलन ने शोषणकारी ब्रिटिश भूमि नियमों, बेगार प्रथा तथा मिशनरियों के हस्तक्षेप को चुनौती दी।</li> <li>➤ <b>भूमि व्यवस्था:</b> उन्होंने पारंपरिक <b>मुंडारी खूंटकट्टी</b> सामुदायिक भूमि व्यवस्था के विनाश तथा ठीकादारों (जमींदारों/ठेकेदारों) के शोषण का कड़ा विरोध किया।</li> </ul> </li> <li>❖ उन्होंने मुंडा, ओरांव एवं खड़िया जनजातियों को एकजुट कर भूमि अधिकार एवं स्वायत्तता की मांग की।</li> <li>❖ <b>रणनीति:</b> आंदोलन में गुरिल्ला शैली अपनाई गई और औपनिवेशिक शोषण के प्रतीकों व ढाँचों को निशाना बनाया गया।</li> <li>❖ <b>नारा:</b> आंदोलन का उद्घोष था: "अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज तुंडु जाना" (हमारा राज स्थापित हो, महारानी का राज समाप्त हो)।</li> </ul> |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>सामाजिक एवं धार्मिक सुधार</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>बिरसाइत संप्रदाय:</b> बिरसा मुंडा ने बिरसाइत नामक विशिष्ट सामाजिक-धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की।</li> <li>❖ <b>सुधार:</b> उन्होंने कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया, जिनमें शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ मद्य निषेध</li> <li>➤ स्वच्छता प्रथाओं में सुधार</li> <li>➤ सांस्कृतिक पुनर्जागरण।</li> </ul> </li> </ul>  |
| <p><b>विरासत एवं प्रमुख तथ्य</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मृत्यु:</b> मात्र <b>25 वर्ष</b> की आयु में रांची जेल में निधन।</li> <li>❖ <b>प्रभाव:</b> यद्यपि आंदोलन अल्पकालिक था, परंतु इसने <b>छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act)</b>, 1908 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा की।</li> <li>❖ <b>प्रतिभा:</b> वे एक कुशल संगीतकार थे, <b>बांसुरी</b> और <b>तुड़ला</b> बजाने में निपुण; गाँव के अखड़ा (बैठक/नृत्य स्थल) में सक्रिय रहते थे।</li> <li>❖ <b>सम्मान:</b> उनके योगदान को साहित्य, फ़िल्मों, लोकगीतों और झारखंड में स्थापित 150 फुट ऊँची प्रतिमा के माध्यम से स्मरण किया जाता है।</li> </ul> |

### Topic 5 - 'सागर प्राण तळमळला' के 115 वर्ष

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Syllabus</b></p>                     | <p>आधुनिक भारतीय इतिहास   स्वतंत्रता संग्राम</p>  |
| <p><b>संदर्भ</b></p>                       | <p>स्वातंत्र्यवीर वी. डी. सावरकर द्वारा रचित अत्यंत भावनात्मक देशभक्ति कविता '<b>सागर प्राण तळमळला</b>' की 115वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह कविता भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान <b>निर्वासन, बलिदान और मातृभूमि के प्रति तीव्र आकांक्षा</b> की भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करती है।</p>   |
| <p><b>'सागर प्राण तळमळला' क्या है?</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह एक <b>देशभक्तिपूर्ण मराठी कविता</b> है, जिसकी रचना स्वातंत्र्यवीर वी. डी. सावरकर ने लगभग <b>1909 में इंग्लैंड के ब्राइटन</b> में की थी।</li> <li>❖ कविता का मुख्य भाव <b>निर्वासन का कष्ट, राष्ट्रवाद और भारत (मातृभूमि) के प्रति गहन विरह</b> है।</li> <li>❖ इसमें <b>सागर (समुद्र)</b> को एक <b>संदेशवाहक</b> के रूप में मानवीकृत किया गया है।</li> <li>❖ <b>लोकप्रियता:</b> बाद में यह कविता गीत के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय हुई, जिसका संगीत हृदयनाथ मंगेशकर ने दिया और लता मंगेशकर ने गाया।</li> <li>❖ <b>रचना की परिस्थितियाँ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सावरकर ने यह कविता <b>लंदन में ब्रिटिश निगरानी</b> के दौरान लिखी।</li> <li>➤ यह उनके भाई <b>गणेश सावरकर की गिरफ्तारी</b> और <b>कर्जन वायली की हत्या</b> की घटनाओं से प्रभावित थी।</li> <li>➤ कविता में विदेश में चल रहे क्रांतिकारी संघर्ष और <b>स्वदेश लौटने की तीव्र इच्छा</b> के बीच का आंतरिक द्वंद्व झलकता है।</li> </ul> </li> </ul> |



## सावरकर की अन्य प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ

| श्रेणी                | कृति   | प्रमुख विषय/योगदान   |
|-----------------------|--|--|
| ऐतिहासिक एवं राजनीतिक | द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1857                    | 1857 की घटना की भारत की प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पुनर्व्याख्या। |
|                       | हिंदुत्व: हू इज अ हिंदू?                             | हिंदुत्व को सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत पहचान के रूप में परिभाषित किया।                  |
|                       | हिंदू पद-पादशाही                                     | मराठा शक्ति और हिंदू राज्य व्यवस्था की अवधारणा पर केंद्रित।                          |
|                       | सिक्स ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री             | भारत के सभ्यतागत प्रतिरोध का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण।                                  |
| आत्मकथा               | माझी जन्मठेप (My Transportation for Life)            | सेल्युलर जेल में उनके भयावह अनुभवों का विवरण।  |
| कविता                 | जयस्तुते, ने मजसी ने (सागर प्राण तळमळला के अतिरिक्त) | देशभक्ति से ओतप्रोत और गहन भावनात्मक कविताएँ।  |
| नाटक                  | संन्यस्त खड्ग, उत्तरक्रिया                           | बलिदान, स्वतंत्रता एवं राष्ट्रवाद की थीम पर आधारित।                                  |

## Topic 6 - डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि

|   |   |
|---|---|
| Syllabus                                | आधुनिक भारतीय इतिहास   व्यक्तित्व   |
| संदर्भ                                  | भारत ने डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की <b>70वीं पुण्यतिथि (महापरिनिर्वाण दिवस)</b> मनाई। इस अवसर पर संवैधानिक शासन, सामाजिक न्याय और आर्थिक चिंतन में उनकी आधारभूत भूमिका को स्मरण किया गया। उनकी विरासत आज भी भारत की <b>समानता, गरिमा और सामाजिक लोकतंत्र</b> की यात्रा का मार्गदर्शन करती है।   |
| वे कौन थे                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एक <b>महान व्यक्तित्व</b>: विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और <b>भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार</b>।</li> <li>❖ <b>जाति-आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार</b> के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्षों का नेतृत्व किया।</li> <li>❖ भारत की <b>लोकतांत्रिक, विधिक और आर्थिक संरचनाओं</b> की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई।</li> </ul>        |
| प्रारंभिक जीवन और शिक्षा                | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जन्म</b>: 14 अप्रैल 1891, महू, मध्य प्रदेश; <b>महार समुदाय</b> में—बाल्यकाल में तीव्र जातिगत भेदभाव का सामना।</li> <li>❖ <b>बड़ौदा राज्य</b> के सहयोग से उच्च अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त की।</li> <li>❖ प्रारंभिक बौद्धिक कृतियाँ, जैसे <b>भारत में जातियाँ एवं रुपए की समस्या</b>, ने उन्हें वैश्विक बौद्धिक मान्यता दिलाई।</li> </ul> |
| सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों में भूमिका | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>महाड़ सत्याग्रह (1927)</b>: सार्वजनिक जलस्रोतों पर दलित अधिकारों की स्थापना।</li> <li>➢ <b>कालाराम मंदिर सत्याग्रह (1930)</b>: पूजा स्थलों में समान प्रवेश की माँग।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>संवैधानिक एवं राजनीतिक योगदान</b>:</li> </ul>                 |



|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>गोलमेज सम्मेलन (1930-32):</b> दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, जिससे जाति मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।</li> <li>➤ <b>पूना पैक्ट (1932):</b> महात्मा गांधी के साथ समझौता - पृथक् निर्वाचक मंडलों के स्थान पर <b>आरक्षित सीटें</b> प्रदान की, जिसने भारत की <b>आरक्षण नीति</b> (सकारात्मक कार्रवाई) की नींव रखी।</li> <li>➤ श्रम सदस्य (1942-46) के रूप में <b>8 घंटे का कार्यदिवस, सवेतन अवकाश, मातृत्व लाभ</b> जैसे महत्वपूर्ण सुधार लागू किए।</li> </ul>   |
| <b>भारतीय संविधान के शिल्पकार</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>भूमिका:</b> प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष।</li> <li>❖ संविधान में <b>न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व</b> जैसे मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया।</li> <li>❖ <b>अस्पृश्यता उन्मूलन, आरक्षण, अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा</b> और <b>स्वतंत्र न्यायपालिका</b> जैसे प्रमुख प्रावधान।</li> <li>❖ <b>दर्शन:</b> संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक लोकतंत्र पर विशेष बल दिया।</li> </ul>  |
| <b>आर्थिक एवं संस्थागत प्रभाव</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रभाव:</b> उनकी पुस्तक <b>The Problem of the Rupee</b> ने 1934 में <b>भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)</b> की स्थापना को प्रभावित किया। प्रांतीय वित्त पर उनके शोध ने <b>वित्त आयोग</b> और <b>राजकोषीय संघवाद</b> की नींव रखी।</li> <li>❖ <b>श्रम एवं कल्याण:</b> श्रमिक अधिकारों के प्रबल समर्थक रहे, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार विनियम की वकालत की।</li> <li>❖ <b>अवसंरचना:</b> <b>केंद्रीय जल आयोग</b> और <b>दामोदर घाटी परियोजना</b> जैसी संस्थाओं के निर्माण में भूमिका - जल एवं ऊर्जा नियोजन को बल।</li> <li>❖ <b>मुद्रास्फीति पर दृष्टिकोण:</b> उन्होंने चेतावनी दी कि मुद्रास्फीति गरीबों पर असमान रूप से अधिक हानि पहुँचाती है।</li> </ul> |
| <b>प्रमुख संगठन एवं साहित्यिक कृतियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>संगठन:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923),</b></li> <li>➤ <b>इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936),</b></li> <li>➤ <b>शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (1942)</b> की स्थापना/नेतृत्व।</li> <li>➤ <b>रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (1956)</b> की परिकल्पना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>साहित्यिक योगदान:</b> जाति का उन्मूलन, रुपये की समस्या, शूद्र कौन थे, बुद्ध और उनका धम्म, और बुद्ध या कार्ल मार्क्स।</li> <li>❖ <b>पत्रिकाएँ:</b> <b>मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, और समता</b> जैसी प्रभावशाली पत्रिकाओं की स्थापना/संपादन किया।</li> </ul>  |
| <b>अंतिम वर्ष और विरासत</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1954 से 1956 तक स्वास्थ्य खराब रहा।</li> <li>❖ अपनी प्रमुख कृति <b>बुद्ध और उनका धम्म</b> मृत्यु से पूर्व पूर्ण की।</li> <li>❖ <b>धर्मांतरण:</b> 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में पाँच लाख से अधिक अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया।</li> <li>❖ <b>निधन:</b> 6 दिसंबर 1956, दिल्ली।</li> <li>❖ <b>स्मारक:</b> चैत्य भूमि, मुंबई।</li> <li>❖ <b>सम्मान:</b> 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान किया गया।</li> </ul>   |
| <b>निष्कर्ष</b>                           | डॉ. बी. आर. अम्बेडकर केवल संविधान के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के <b>नैतिक और बौद्धिक पथप्रदर्शक</b> थे। महापरिनिर्वाण के सात दशक बाद भी <b>सामाजिक लोकतंत्र, समानता और मानव गरिमा</b> का उनका दृष्टिकोण उतना ही प्रासंगिक है।  |

**Topic 7 - महाड़ सत्याग्रह (Mahad Satyagraha)**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                    | आधुनिक भारतीय इतिहास   स्वतंत्रता संग्राम   सामाजिक सुधार  |
| <b>संदर्भ</b>                      | महाड़ सत्याग्रह हाल के समय में फिर से सार्वजनिक विमर्श में आया है, क्योंकि विद्वान इसके द्वारा <b>संवैधानिक नैतिकता</b> के निर्माण में निभाई गई गहन भूमिका का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं।   |
| <b>महाड़ सत्याग्रह के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ डॉ. बी. आर. आंबेडकर के नेतृत्व में एक <b>अहिंसक आंदोलन</b>, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक संसाधनों पर दलितों के अधिकारों की स्थापना करना था।</li><li>❖ <b>तिथियाँ:</b> 19-20 मार्च 1927 (महाड़ 1.0) तथा 25-26 दिसंबर 1927 (महाड़ 2.0)।</li><li>❖ <b>स्थान:</b> महाड़, बॉम्बे प्रेसीडेंसी (वर्तमान रायगढ़, महाराष्ट्र)।</li><li>❖ <b>कारण</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>1923 के बोले प्रस्ताव</b> (Bole Resolution) द्वारा सार्वजनिक जलस्रोतों तक पहुँच की अनुमति के बावजूद <b>चवदार तालाब</b> से दलितों को वंचित रखा जाना।</li><li>➤ कानूनी समानता के विरुद्ध <b>स्थायी जातिगत हिंसा</b> और स्थानीय प्रतिरोध।</li></ul></li></ul> |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>प्रमुख कार्रवाइयाँ:</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>सामूहिक मार्च</b> और तालाब से जल ग्रहण (नागरिक अधिकारों का प्रत्यक्ष दावा)।</li><li>➤ <b>मनुस्मृति का दहन</b> (25 दिसंबर 1927) - जातिगत शास्त्रों का अस्वीकार।</li></ul></li><li>❖ <b>संवैधानिक नैतिकता:</b> स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का व्यवहार में प्रतिपादन।</li><li>❖ <b>महिलाओं की सक्रिय भागीदारी:</b> इस आंदोलन ने लैंगिक समानता को अग्रभूमि में लाया, जहाँ महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया गया।</li><li>❖ <b>लोकतांत्रिक विरोध:</b> यह गरिमा और करुणा पर आधारित एक नैतिक और <b>अहिंसक</b> विरोध प्रदर्शन था।</li></ul>                            |
| <b>परिणाम</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>कानूनी जीत:</b> 1937 के कानूनी निर्णय में न्यायालयों ने सार्वजनिक तालाबों से दलितों को रोकने वाली किसी वैध प्रथा के अस्तित्व को खारिज कर दिया।</li><li>❖ <b>राजनीतिक और संवैधानिक प्रभाव:</b> इस सत्याग्रह ने दलित राजनीतिक चेतना को उत्प्रेरित किया और बाद के <b>संवैधानिक चिंतन</b> को प्रभावित किया।</li><li>❖ <b>25 दिसंबर</b> को <b>भारतीय महिला मुक्ति दिवस</b> के रूप में मनाया जाता है।</li></ul>   |



## Science and Technology

### Topic 1 - जिंक-आयन बैटरियाँ (Zinc-Ion Batteries - ZIBs)

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                          | विज्ञान   रसायन विज्ञान   |
| <b>संदर्भ</b>                            | भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नवीन <b>सक्रियकरण तकनीक</b> के माध्यम से <b>जिंक-आयन बैटरी (ZIB)</b> की कैथोड कार्यक्षमता में बड़ा सुधार हासिल किया है। यह विकास सुरक्षित, कम-लागत और सतत ऊर्जा भंडारण विकल्पों की दिशा में भारत की पहल को मजबूती देता है।  |
| <b>जिंक-आयन बैटरियाँ क्या हैं?</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ ZIBs रिचार्जेबल बैटरियाँ हैं जिनमें <b>जिंक धातु एनोड</b> और <b>जलीय (aqueous) इलेक्ट्रोलाइट</b> का उपयोग होता है।</li><li>❖ ये पारंपरिक <b>लिथियम-आयन बैटरियों</b> की तुलना में अधिक <b>सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल</b> हैं।</li><li>❖ इनमें <b>आग का जोखिम नहीं</b> होता, ये <b>विषैले पदार्थों</b> का उपयोग नहीं करतीं, और <b>महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals)</b> पर निर्भरता कम करती हैं।</li></ul>   |
| <b>अनुसंधान एवं विकास</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>विकासकर्ता:</b> सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CeNS), बेंगलुरु - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान।</li><li>❖ <b>उद्देश्य</b><ul style="list-style-type: none"><li>➢ उच्च <b>ऊर्जा घनत्व</b>, <b>स्थिर</b> और <b>किफायती</b> बैटरियों का विकास।</li><li>➢ <b>लिथियम और कोबाल्ट के आयात</b> पर देश की निर्भरता को कम करना।</li><li>➢ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और <b>इलेक्ट्रिक वाहनों (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी)</b> के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण को सक्षम करना।</li></ul></li></ul>   |
| <b>तकनीक कैसे काम करती है?</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ शोधकर्ताओं ने <b>V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (वैनेडियम ऑक्साइड)</b> कैथोड पर <b>थर्मो-इलेक्ट्रोकेमिकल सक्रियकरण प्रक्रिया</b> लागू की।</li><li>❖ इस संरचनात्मक संशोधन के फलस्वरूप Zn-V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> संरचना बनी, जिसमें सूक्ष्म दोष (Defects) तथा छिद्रयुक्त मार्ग (Porous Channels) विकसित हुए।</li><li>❖ संशोधित संरचना <b>जिंक आयनों</b> और <b>हाइड्रोजन आयनों</b> - दोनों की तीव्र गति को संभव बनाती है, जिससे बैटरी का प्रदर्शन बेहतर होता है।</li></ul>   |
| <b>नई ZIB प्रौद्योगिकी के प्रमुख लाभ</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>उत्कृष्ट ऊर्जा घनत्व:</b> भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि।</li><li>❖ <b>दीर्घ चक्र-जीवन:</b> हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज होने (चार्ज-डिस्चार्ज चक्र) की उच्च क्षमता। ह</li><li>❖ <b>उच्च स्थिरता:</b> हाइड्रोजन-आयन स्थिरीकरण के कारण क्षरण (degradation) न्यूनतम।</li><li>❖ <b>उन्नत सुरक्षा:</b> पूर्णतः जलीय इलेक्ट्रोलाइट के कारण बैटरी <b>अज्वलनशील (non-flammable)</b> रहती है।</li><li>❖ <b>किफायती:</b> प्रचुर मात्रा में उपलब्ध <b>जिंक</b> का उपयोग; महंगे <b>लिथियम या कोबाल्ट</b> की आवश्यकता नहीं।</li></ul> |

**Topic 2 - DHRUV64 माइक्रोप्रोसेसर**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>         | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   क्वांटम प्रौद्योगिकी   |
| <b>संदर्भ</b>           | भारत ने <b>DHRUV64</b> लॉन्च किया है, जो <b>1.0 GHz, 64-बिट ड्यूल-कोर</b> का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया माइक्रोप्रोसेसर है। यह विकास <b>डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम</b> के तहत सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।  |
| <b>DHRUV64 क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>DHRUV64</b> भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया <b>1.0 GHz, 64-बिट ड्यूल-कोर माइक्रोप्रोसेसर</b> है।</li> <li>❖ यह <b>RISC-V ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर</b> पर आधारित है और <b>डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) कार्यक्रम</b> के अंतर्गत विकसित किया गया है।</li> <li>❖ यह <b>DIR-V कार्यक्रम</b> के अंतर्गत तीसरा चिप है, इससे पहले <b>THEJAS32</b> और <b>THEJAS64</b> विकसित किए जा चुके हैं।</li> <li>❖ <b>विकासकर्ता:</b> सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (<b>C-DAC</b>), <b>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b> के अंतर्गत।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> विश्वसनीय स्वदेशी प्रोसेसर इकोसिस्टम का निर्माण, <b>आत्मनिर्भर भारत</b> को समर्थन, तथा चिप आयात पर निर्भरता कम करना।</li> <li>❖ <b>मुख्य विशेषताएँ:</b> <b>1.0 GHz</b> गति, <b>64-बिट ड्यूल-कोर</b> संरचना, बेहतर दक्षता, मल्टीटास्किंग और विश्वसनीयता। <b>5G, ऑटोमोटिव, IoT</b> तथा <b>उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स</b> के लिए उपयुक्त।</li> </ul> |

**Topic 3 - एजेंटिक एआई (Agentic AI)**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                      | विज्ञान और प्रौद्योगिकी   कृत्रिम बुद्धिमत्ता   |
| <b>संदर्भ</b>                        | जटिल कार्यों के स्वचालन (ऑटोमेशन) हेतु संगठनों द्वारा स्वायत्त एआई एजेंटों को अपनाए जाने के साथ <b>एजेंटिक एआई</b> तेज़ी से महत्व प्राप्त कर रहा है। यह सहायक एआई से आगे बढ़कर <b>लक्ष्य-आधारित, निर्णय लेने वाली प्रणालियों</b> की ओर बदलाव को दर्शाता है।   |
| <b>एजेंटिक एआई क्या है?</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एजेंटिक एआई ऐसे <b>स्वायत्त, लक्ष्य-उन्मुख एआई सिस्टम</b> हैं जो <b>न्यूनतम मानव निगरानी</b> में कार्य करते हैं।</li> <li>❖ ये प्रणालियाँ अक्सर <b>वृहद् भाषा मॉडल (LLMs)</b> का उपयोग कर <b>तर्क, निर्णय और कार्रवाई (Action)</b> करती हैं।</li> <li>❖ <b>बहु-एजेंट संरचनाओं (Multi-agent Setups)</b> में, विशेषीकृत एजेंट्स समन्वयन तंत्र (Orchestration Mechanisms) के माध्यम से एक-दूसरे से समन्वयित होते हैं।</li> <li>❖ <b>मुख्य विशेषताएँ:</b> उच्च स्वायत्तता, सक्रिय व्यवहार, बाहरी टूल्स का उपयोग, कार्य-विशेषीकरण, अनुकूलनशीलता, और प्राकृतिक भाषा इंटरैक्शन।</li> <li>❖ <b>महत्त्व:</b> एंड-टू-एंड ऑटोमेशन को सक्षम बनाता है, उत्पादकता बढ़ाता है, और विभिन्न क्षेत्रों (एंटरप्राइज़, सॉफ्टवेयर विकास, रोबोटिक्स, स्वास्थ्य, वित्त, लॉजिस्टिक्स) में उन्नत अनुप्रयोगों का समर्थन करता है।</li> </ul> |
| <b>एजेंटिक एआई कैसे काम करता है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>परसेप्शन (Perception):</b> उपयोगकर्ताओं, सेंसरों, APIs, डेटाबेस या इंटरनेट सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करता है।</li> <li>❖ <b>तर्क एवं समझ (Reasoning and Understanding):</b> भाषा, दृश्य (विजन) या पैटर्न पहचान मॉडल</li> </ul>   |



के माध्यम से इनपुट का विश्लेषण करता है।

- ❖ **योजना और लक्ष्य निर्धारण (Planning and Goal Setting):** उद्देश्यों को क्रियान्वयन योग्य चरणों के क्रम में विभाजित करता है।
- ❖ **क्रिया और निर्णय (Action and Decision):** बाहरी टूल्स या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वोत्तम क्रियाओं का चयन और निष्पादन करता है।
- ❖ **अधिगम और सहयोग (Learning and Collaboration):** फीडबैक के जरिए प्रदर्शन में सुधार करता है और अन्य एजेंटों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करता है।

#### Topic 4 - टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (Tensor Processing Unit - TPU)

|   |  |
|---|--|
| <b>Syllabus</b>                         | विज्ञान और प्रौद्योगिकी   कृत्रिम बुद्धिमत्ता  |
| <b>संदर्भ</b>                           | वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में तेज़ी के बीच, <b>आयरनवुड (Ironwood)</b> जैसे नए TPU (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट) का लॉन्च विशेषीकृत AI हार्डवेयर की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है।   |
| <b>TPU क्या है?</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ TPU एक कस्टम <b>एप्लीकेशन-विशिष्ट एकीकृत परिपथ (ASIC)</b> है, जिसे <b>गूगल</b> ने मशीन लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क (Deep Neural Networks) की गति बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया है।</li> <li>❖ पहली बार <b>2015</b> में आंतरिक रूप से गूगल द्वारा उपयोग किया गया, <b>2018</b> से <b>गूगल क्लाउड</b> के माध्यम से बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध।</li> </ul>   |
| <b>TPU की कार्यप्रणाली</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मुख्य घटक:</b> यह बड़े <b>मैट्रिक्स-मल्टिप्लाय यूनिट्स (MXUs)</b> का उपयोग करता है, जिससे बड़े पैमाने पर समानांतर गणनाएँ (Massively Parallel Computations) संभव हो पाती हैं।</li> <li>❖ <b>अनुकूलन:</b> TPU को विशेष रूप से <b>मैट्रिक्स-प्रधान AI वर्कलोड्स</b> जैसे कि बड़े भाषा मॉडल (LLMs) के प्रशिक्षण के लिए अनुकूलित किया गया है।</li> <li>❖ <b>डेटा प्रबंधन:</b> हाई-बैंडविड्थ मेमोरी तेज़ डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करती है।</li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>आर्किटेक्चर:</b> बड़े मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए <b>28×128 ALU एरेज़</b>।</li> <li>❖ <b>प्रदर्शन:</b> दीर्घ प्रशिक्षण अवधि के लिए <b>उच्च थ्रूपुट</b>।</li> <li>❖ <b>विशेष कोर:</b> रिकमेंडेशन और एम्बेडिंग मॉडल्स के लिए <b>SparseCores (स्पार्सकोर्स)</b>।</li> <li>❖ <b>सॉफ्टवेयर समर्थन:</b> <b>TensorFlow, JAX, PyTorch</b> जैसे प्रमुख AI फ्रेमवर्क के लिए अनुकूलित।</li> <li>❖ <b>दक्षता:</b> सामान्य प्रयोजन चिप्स (General Purpose Chips) की तुलना में अधिक <b>ऊर्जा-कुशल</b>।</li> </ul> |
| <b>TPU बनाम अन्य प्रोसेसर (CPU/GPU)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>CPU के मुकाबले:</b> TPU ML (मशीन लर्निंग) कार्यों के लिए कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आर्किटेक्चर समानांतर मैट्रिक्स गणना के लिए ही निर्मित की गई है।</li> <li>❖ <b>GPU के मुकाबले:</b> TPU अधिक <b>विशेषीकृत</b> हैं, जो AI वर्कलोड्स के लिए <b>उच्च दक्षता</b> और <b>कम परिचालन ओवरहेड</b> प्रदान करते हैं।</li> </ul>  |

**Topic 5 - भारत को एक अग्रणी क्वांटम-संचालित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                    | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   क्वांटम प्रौद्योगिकी  |
| <b>संदर्भ</b>                      | नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने भारत को 2035 तक एक शीर्ष वैश्विक क्वांटम शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप जारी किया है। यह योजना एक पूर्ण-स्टैक, उद्योग-प्रेरित क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु व्यापक कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत करती है।   |
| <b>यह क्या है?</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक रोडमैप (IBM को नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल किया गया)।</li> <li>❖ 2035 तक वैश्विक नेतृत्व, आत्मनिर्भरता और क्वांटम प्रौद्योगिकियों में निर्यात के लिए दृष्टि निर्धारित करता है।</li> </ul>  |
| <b>विजन 2035 एवं प्रमुख लक्ष्य</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>वैश्विक नेतृत्व:</b> 2035 तक शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में स्थान, वैश्विक क्वांटम सॉफ्टवेयर में 50%+ हिस्सेदारी और कई उच्च-राजस्व स्टार्टअप्स (&gt;\$100 मिलियन)।</li> <li>❖ <b>क्वांटम आत्मनिर्भरता:</b> हार्डवेयर, सामग्री, प्रोसेसर, क्रायोजेनिक्स और सॉफ्टवेयर सहित एंड-टू-एंड भागीदारी; शुद्ध निर्यातक बनना।</li> </ul>  |
| <b>प्रमुख विशेषताएँ</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>रणनीतिक परिनियोजन:</b> रक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा, खनन और अवसंरचना में बड़े पैमाने पर उपयोग।</li> <li>❖ <b>कार्यान्वयन रणनीति (दो चरण):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <b>आधार निर्माण (2025-30):</b> टेस्टबेड की स्थापना, 50+ स्टार्टअप्स का इनक्यूबेशन, पायलट परियोजनाएँ, और पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) रोलआउट की शुरुआत।</li> <li>➢ <b>वैश्विक नेतृत्व (2030-35):</b> वैश्विक बाज़ार नेतृत्व, निर्यात कॉरिडोर की स्थापना, और प्रमुख आपूर्ति शृंखलाओं में वर्चस्व स्थापित करना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>कार्यबल विकास:</b> राष्ट्रीय कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से 2-3 वर्षों में क्वांटम-कुशल प्रतिभा में 10 गुना विस्तार।</li> <li>❖ <b>साइबर सुरक्षा:</b> सरकार और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी (PQC) की योजना और अनिवार्य टेस्टबेड।</li> <li>❖ <b>उद्योग एवं निवेश:</b> क्वांटम-HPC एकीकरण, क्लाउड सेवाएँ, एक्सेलेरेटर्स, राष्ट्रीय क्वांटम वेंचर फंड और मार्केट एक्सेलेरेटर्स की स्थापना।</li> <li>❖ <b>मानक और कूटनीति:</b> वैश्विक मानक-निर्धारण, बेंचमार्किंग कंसोर्टियम और रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों में अग्रणी भूमिका।</li> </ul> |
| <b>पहले से उठाए गए कदम</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023-31):</b> ₹6,000+ करोड़ का निवेश, हब्स और टेस्टबेड्स की स्थापना।</li> <li>❖ <b>स्टार्टअप समर्थन:</b> iDEX/NQM के माध्यम से प्रारंभिक पायलट और वैश्विक सहयोग।</li> <li>❖ QKD परीक्षण, क्वांटम नेटवर्क और सेंसिंग प्रोटोटाइप्स का विकास।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य चुनौतियाँ</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>हार्डवेयर अंतर:</b> प्रोसेसर, क्रायोजेनिक्स और सामग्री में आयात पर निर्भरता।</li> <li>❖ <b>कम R&amp;D व्यय:</b> GDP का ~0.65% व्यय और सीमित IP स्वामित्व।</li> <li>❖ <b>कौशल की कमी:</b> क्रायोजेनिक्स, ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और को-डिज़ाइन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी।</li> <li>❖ <b>जोखिम-परिहारक पूँजी (Risk-averse capital)</b> और उद्योग द्वारा धीमी गति से अपनाना।</li> <li>❖ <b>भू-राजनीति:</b> निर्यात नियंत्रण, आपूर्ति-शृंखला जोखिम और प्रतिभा प्रतिस्पर्धा।</li> </ul>  |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>नीति आयोग की सिफारिशें</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ घरेलू हार्डवेयर एवं सामग्री विनिर्माण को बढ़ावा देना।</li> <li>❖ इंटरऑपरेबिलिटी के लिए मानक, टेस्टबेड और प्रमाणन स्थापित करना।</li> <li>❖ विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल-विस्तार करना।</li> <li>❖ उच्च-प्रभाव क्षेत्रों (जैसे लॉजिस्टिक्स, वित्त, रक्षा) में क्षेत्रीय पायलट्स को तुरंत क्रियान्वित करना।</li> <li>❖ सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में PQC संक्रमण को सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ क्वांटम कूटनीति और मानक-नेतृत्व को सुदृढ़ करना।</li> <li>❖ राष्ट्रीय <b>क्वांटम वेंचर फंड</b> और मार्केट एक्सेलेरेटर्स का शुभारंभ करना।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>               | <p>क्वांटम प्रौद्योगिकी भारत को एक अग्रणी फ्रंटियर उद्योग में नेतृत्व का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। समन्वित निवेश, कौशल-विकास, मानक-निर्धारण और उद्योग अपनाव के साथ भारत 2035 तक शीर्ष तीन क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में उभर सकता है।</p>  |

### Topic 6 - जैव-उपचार (Bioremediation)

|   |  |
|---|--|
| <b>Syllabus</b>                             | जैव प्रौद्योगिकी   पर्यावरण   प्रदूषण नियंत्रण   |
| <b>संदर्भ</b>                               | <p>मृदा, जल और औद्योगिक प्रदूषण के बढ़ते स्तर के परिप्रेक्ष्य में बायोरिमेडिएशन एक सतत एवं किफायती समाधान के रूप में उभर रही है। यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग कर प्रदूषित पारिस्थितिक तंत्रों को उनकी स्वच्छ और संतुलित अवस्था में पुनर्स्थापित करने में सहायता करती है।</p>  |
| <b>जैव-उपचार क्या है?</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जीवित जीवों</b> (बैक्टीरिया, फफूंद, शैवाल, पौधे) का उपयोग करके प्रदूषकों का <b>अपघटन या विषहरित (Detoxify)</b> किया जाता है।</li> <li>❖ सूक्ष्मजीव प्रदूषकों को <b>निर्विष उप-उत्पादों</b> जैसे जल, CO<sub>2</sub>, कार्बनिक अम्ल, या <b>स्थिर धात्विक रूपों</b> में परिवर्तित करते हैं।</li> <li>❖ <b>तेल, कीटनाशक, भारी धातु, प्लास्टिक और औद्योगिक रसायनों</b> के विरुद्ध प्रभावी।</li> </ul>   |
| <b>जैव-उपचार के प्रकार</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>अंतः स्थाने (इन-सीटू - स्थल पर उपचार)</b></li> <li>➤ <b>बायोवेंटिंग:</b> मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक सूक्ष्मजीवों को <b>वायु</b> (ऑक्सीजन) व <b>पोषक तत्व</b> प्रदान कर सक्रिय किया जाता है।</li> <li>➤ <b>एयर स्पार्जिंग:</b> भूजल में ऑक्सीजन इंजेक्ट कर सूक्ष्मजीवों द्वारा जैव अपघटन बढ़ाया जाता है।</li> <li>➤ <b>बायोवॉल/बायोबैरीयर:</b> सूक्ष्म जीवों से युक्त खाइयाँ प्रवाहित भूजल को स्वच्छ बनाती हैं।</li> <li>➤ <b>जल पुनर्चक्रण:</b> दूषित जल को निकालना - उपचार करना - पुनः इंजेक्ट करना (Extract-Treat-Reinject) - ताकि सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़े।</li> <li>❖ <b>बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू - स्थल से बाहर उपचार)</b></li> <li>➤ दूषित मिट्टी/जल को स्थल से निकालकर नियंत्रित रिएक्टरों में उपचारित किया जाता है।</li> <li>➤ यह तरीका उच्च प्रदूषण स्तर या अनियंत्रित स्थल परिस्थितियों में अपनाया जाता है।</li> </ul> |
| <b>भारत को जैव-उपचार की आवश्यकता क्यों?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>गंभीर प्रदूषण भार:</b> गंगा, यमुना और कावेरी जैसी नदियाँ सीवेज व औद्योगिक अपशिष्ट दबाव से जूझ रही हैं।</li> <li>❖ <b>औद्योगिक संदूषण:</b> तेल, भारी धातुएँ, कीटनाशक और प्लास्टिक व्यापक रूप से फैले हुए हैं।</li> <li>❖ <b>लागत लाभ:</b> यह रासायनिक और यांत्रिक विधियों की तुलना में सस्ती और स्वच्छ विधि है।</li> <li>❖ <b>जैव-विविधता की शक्ति:</b> भारत में उपलब्ध स्थानीय सूक्ष्मजीव यहाँ की जलवायु व पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलित हैं।</li> <li>❖ <b>विस्तारणीय एवं पर्यावरण-अनुकूल:</b> बड़े प्रदूषित क्षेत्रों के उपचार हेतु उपयुक्त और स्थायी समाधान।</li> </ul>  |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| भारत में वर्तमान स्थिति   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>DBT:</b> क्लीन टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अंतर्गत <b>अनुसंधान एवं विकास</b> समर्थन।</li> <li>❖ <b>CSIR-NEERI:</b> देशभर में <b>पायलट जैव-उपचार परियोजनाएँ</b>।</li> <li>❖ <b>IITs:</b> प्रदूषक-अपघटक सूक्ष्मजीवों और <b>नैनो-कॉम्पोजिट्स</b> पर अनुसंधान।</li> <li>❖ <b>उभरती प्रौद्योगिकियाँ:</b> प्लास्टिक और हाइड्रोकार्बन अपघटन हेतु <b>GM सूक्ष्मजीव</b>।</li> </ul> |
| वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जापान:</b> पादप-सूक्ष्मजीव तंत्र का उपयोग शहरी अपशिष्ट सफाई हेतु।</li> <li>❖ <b>यूरोपीय संघ:</b> तेल रिसाव और खनन स्थलों के उपचार हेतु <b>बहु-देशीय परियोजनाएँ</b>।</li> </ul>   |
| निष्कर्ष                  | <b>जैव-उपचार</b> भारत की प्रदूषण चुनौती के लिए <b>लागत-प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल</b> समाधान है। उचित <b>मानक, जैव-सुरक्षा निगरानी, और संस्थागत समर्थन</b> के साथ यह <b>सतत पर्यावरणीय पुनर्स्थापन</b> का एक प्रमुख आधार बन सकता है।   |

### Topic 7 - प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स: वैयक्तिकृत चिकित्सा का भविष्य

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Syllabus                             | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   जैव-प्रौद्योगिकी  |
| संदर्भ                               | प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स चिकित्सा उपचार की अवधारणा में एक मूलभूत परिवर्तन दर्शाती है - जहाँ <b>एक जैसे उपचार</b> (वन-साइज़-फिट्स-ऑल) के बजाय <b>व्यक्तिगत जीनोमिक और आणविक विशेषताओं</b> के आधार पर <b>लक्षित चिकित्सा</b> विकसित की जाती है। मुख्यतः इसका उपयोग कैंसर, आनुवंशिक विकारों और चयापचय रोगों में किया जा रहा है।   |
| प्रेसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स क्या हैं? | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ऐसी चिकित्सीय विधियाँ, जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट <b>आनुवंशिक</b> एवं <b>आणविक प्रोफाइल</b> के आधार पर कस्टमाइज़ की जाती हैं।</li> <li>❖ <b>उन्नत उपकरण:</b> CRISPR, mRNA, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तथा CAR-T सेल थेरेपी जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग।</li> <li>❖ <b>रोग के मूल कारण का समाधान:</b> इनका लक्ष्य केवल लक्षणों का प्रबंधन नहीं, बल्कि रोग के मूल आनुवंशिक कारण को ठीक करना है।</li> <li>❖ <b>कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बिग डेटा एनालिटिक्स</b> इन उपचारों को सशक्त बनाते हैं।</li> </ul>  |
| यह कैसे कार्य करती हैं?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>निदान:</b> <b>जीनोमिक प्रोफाइलिंग</b> द्वारा विशेष म्यूटेशन या बायोमार्कर सटीक की पहचान।</li> <li>❖ <b>लक्ष्य निर्धारण:</b> <b>आणविक लक्ष्य पहचान (Molecular Targeting)</b> द्वारा दोषपूर्ण जीन, प्रोटीन या रोग-संबंधी मार्गों की पहचान।</li> <li>❖ <b>उपचार:</b> <b>उपचार डिजाइन</b> में CRISPR, mRNA या बायोलाॅजिक्स का उपयोग कर आनुवंशिक दोष को ठीक करना या खराब घटकों को निष्क्रिय करना।</li> <li>❖ <b>वितरण:</b> AI द्वारा अनुकूलित <b>व्यक्तिगत डोजिंग</b> ताकि कुशल वितरण, न्यूनतम दुष्प्रभाव और अधिकतम प्रभावशीलता सुनिश्चित हो।</li> <li>❖ <b>परिष्करण:</b> <b>एडेप्टिव फीडबैक सिस्टम</b> रोगी के वास्तविक डेटा के आधार पर उपचार प्रोटोकॉल को लगातार अपडेट एवं परिष्कृत करता है।</li> </ul> |
| अनुप्रयोग                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>ऑन्कोलॉजी (कैंसर):</b> CAR-T सेल थेरेपी, ट्यूमर जीनोमिक्स पर आधारित उपचार, अत्यधिक लक्षित एंटीबॉडी उपचार।</li> <li>❖ <b>आनुवंशिक विकार:</b> जीन संपादन उपचार - जैसे थैलेसीमिया और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) हेतु।</li> <li>❖ <b>चयापचय रोग:</b> RNA-आधारित दवाएँ - मधुमेह और लिपिड असामान्यताओं के उपचार हेतु।</li> </ul>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दुर्लभ रोग:</b> कस्टम जीन, एंजाइम या RNA थैरेपी का विकास।</li> <li>❖ <b>संक्रामक रोग:</b> नए व उभरते वायरल स्ट्रेन्स के लिए mRNA वैक्सीन का तीव्र विकास।</li> </ul>   |
| <b>प्रमुख चुनौतियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जीन/सेल थैरेपी के लिए <b>नियामकीय अंतराल</b>।</li> <li>❖ प्रिंसीपल दवाओं और विनिर्माण की <b>उच्च लागत</b>।</li> <li>❖ <b>अवसंरचनात्मक कमी:</b> भारत में सीमित बायो मैनुफैक्चरिंग क्षमता।</li> <li>❖ <b>नैतिक चिंताएँ:</b> जीनोमिक डेटा की गोपनीयता एक प्रमुख मुद्दा।</li> <li>❖ <b>विकास की गति:</b> सीमित क्लिनिकल ट्रायल क्षमता से उन्नत उपचारों के विकास व अनुमोदन में देरी।</li> </ul> |

| Topic 8 - एस्ट्रोसैट: भारत की बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>  | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी  |
| <b>संदर्भ</b>  | एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष-आधारित बहु-तरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान में भारत के प्रवेश का प्रतीक है। इसके UVIT पेलोड की 10-वर्षीय उपलब्धि सतत वैज्ञानिक उत्कृष्टता और वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करती है।   |
| <b>एस्ट्रोसैट क्या है?</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भारत का पहला समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह, जो UV, दृश्य (ऑप्टिकल), सॉफ्ट एक्स-रे और हार्ड एक्स-रे बैंड्स में एक साथ अवलोकन करने में सक्षम है।</li> <li>❖ <b>प्रक्षेपण:</b> 2015, <b>PSLV-C30</b> द्वारा ~650 किमी कक्षा में।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> उच्च-ऊर्जा ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं का अध्ययन और ओपन-एक्सेस खगोलीय डेटा उपलब्ध कराना।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विशेष क्षमता:</b> UV से लेकर 100 keV तक के एक्स-रे स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले पाँच विशिष्ट पेलोड्स के साथ, यह एक साथ बहु-तरंगदैर्घ्य इमेजिंग की विश्व-स्तरीय दुर्लभ क्षमता प्रदान करता है।</li> <li>❖ <b>आयु:</b> डिज़ाइन आयु 5 वर्ष थी, लेकिन यह एक दशक से अधिक समय से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है।</li> <li>❖ <b>नियंत्रण और डेटा:</b> इसका संचालन नियंत्रण ISTRAC द्वारा किया जाता है, और डेटा ISSDC (ब्यालालु) में संग्रहीत है।</li> </ul>             |
| <b>अल्ट्रा-वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (UVIT)</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जुड़वां-दूरबीन (ट्विन-टेलीस्कोप) UV इमेजर, जो <b>निकट-UV (NUV)</b>, <b>दृश्य</b>, और <b>दूर-UV (FUV)</b> बैंड्स में कार्य करता है।</li> <li>❖ <b>रिज़ॉल्यूशन:</b> 1.5 आर्कसेकंड से कम - विश्व के श्रेष्ठ UV उपकरणों में शामिल।</li> <li>❖ <b>विकास:</b> इसका विकास <b>इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफ़िज़िक्स (IIA)</b> के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा ISRO केंद्रों के सहयोग से किया गया।</li> </ul>  |
| <b>वैज्ञानिक महत्व</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ UVIT न केवल भारत का पहला <b>UV अंतरिक्ष दूरबीन</b> है, बल्कि <b>FUV इमेजिंग</b> प्रदान करने वाला वैश्विक स्तर पर दूसरा उपकरण भी है (हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद)।</li> <li>❖ <b>खोजें:</b> UVIT ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें बीई (Be) तारों के गर्म साथी, नीले विस्थापक (ब्लू स्ट्रैगलर्स), बौनी आकाशगंगाओं में यूवी डिस्क, एंड्रोमेडा में नोवा, और AGN (सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक) में यूवी-एक्स-किरण संबंध शामिल हैं।</li> </ul> |

**Topic 9 - मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन (MAVEN) अंतरिक्ष यान**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>               | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी   |
| <b>संदर्भ</b>                 | दिसंबर 2025 की शुरुआत में एक नियमित संचार ब्लैकआउट के बाद नासा का महत्वपूर्ण <b>MAVEN (मार्स ऑर्बिटर)</b> अंतरिक्ष यान <b>संपर्क से बाहर</b> हो गया है। MAVEN एक अत्यंत महत्वपूर्ण <b>मार्स ऑर्बिटर</b> है, जो यह अध्ययन करता है कि लाल ग्रह (मंगल) ने समय के साथ अपना वायुमंडल कैसे खो दिया।  |
| <b>MAVEN क्या है?</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>MAVEN</b> नासा का एक <b>मंगल परिक्रमा (Mars Orbiter) मिशन</b> है, जो मंगल के <b>ऊपरी वायुमंडल, आयनोस्फीयर और वायुमंडलीय पलायन (Atmospheric Escape)</b> पर केंद्रित है।</li><li>❖ इसका उद्देश्य यह समझना है कि मंगल एक <b>गर्म और आर्द्र (warm, wet)</b> ग्रह से वर्तमान <b>ठंडी और शुष्क (cold, dry)</b> दुनिया में कैसे परिवर्तित हो गया।</li><li>❖ <b>मुख्य उद्देश्य</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ यह मापना कि मंगल ने <b>कितनी मात्रा में और किस दर से</b> अपना वायुमंडल अंतरिक्ष में गंवाया।</li><li>➤ वायुमंडलीय ह्रास की प्रक्रिया में <b>सूर्य और सौर पवन</b> की भूमिका की जाँच करना।</li><li>➤ डेटा रिले सेवाओं के माध्यम से मंगल की सतह पर मौजूद अन्य मिशनों को समर्थन प्रदान करना।</li></ul></li></ul> |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>कक्षा:</b> यह एक <b>अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा (Highly Elliptical Orbit)</b> का उपयोग करता है, जो ऊर्ध्वाधर प्रोफाइलिंग (ऊँचाई के साथ डेटा संग्रह) में सहायक है।</li><li>❖ <b>उपकरण:</b> यह ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन के लिए <b>आठ विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरणों</b> (जिनमें मास स्पेक्ट्रोमीटर और प्लाज़्मा सेंसर शामिल हैं) से लैस है।</li><li>❖ <b>मानचित्रण:</b> <b>इमेजिंग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ (IUVS)</b> का उपयोग करके ऊपरी वायुमंडल का मानचित्रण करता है।</li></ul>  |
| <b>प्रमुख खोजें और योगदान</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>वायुमंडलीय ह्रास का कारण:</b> MAVEN ने पुष्टि की कि अरबों वर्षों में वायुमंडल के क्षय का मुख्य कारण <b>सौर पवन द्वारा स्ट्रिपिंग</b> है।</li><li>❖ <b>जल ह्रास की प्रक्रिया:</b> इसने यह स्थापित किया कि जब जलवाष्प विभाजित होती है, तो <b>हाइड्रोजन अंतरिक्ष में पलायन</b> कर जाता है, जिससे ग्रह पर पानी की कमी होती है।</li><li>❖ <b>सौर तूफानों का प्रभाव:</b> यह निष्कर्ष सामने आया कि <b>सौर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)</b> जैसी सौर घटनाएँ वायुमंडलीय पलायन की दर को तीव्रता से बढ़ा देती हैं। <b>व: सौर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन (CMEs)</b> वायुमंडलीय पलायन की दर को तीव्रता से बढ़ा देते हैं - यह निष्कर्ष सामने आया।</li></ul>  |

**Topic 10 - जीएनएसएस स्पूफिंग**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                     | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी   |
| <b>यह क्या है?</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) स्पूफिंग, विमानों, वाहनों या अन्य रिसीवरों पर लगे नेविगेशन सिस्टम को धोखा देने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। इसमें नकली उपग्रह संकेतों का प्रसारण किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गलत नेविगेशन डेटा प्रदर्शित होता है और कॉकपिट में झूठे अलर्ट (जैसे, भूभाग या निकटता संबंधी चेतावनियाँ) सक्रिय हो जाते हैं।</li> </ul>   |
| <b>जीएनएसएस हस्तक्षेप के प्रकार</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्पूफिंग:</b> नेविगेशन डेटा में हेरफेर करने के लिए जानबूझकर नकली जीएनएसएस सिग्नल उत्पन्न करना।</li> <li>❖ <b>जैमिंग:</b> वास्तविक जीएनएसएस सिग्नलों को सक्रिय रूप से अवरुद्ध करने के लिए उच्च-शक्ति वाला रेडियो शोर उत्सर्जित करना।</li> <li>❖ <b>मीकॉनिंग:</b> वास्तविक सिग्नलों को कैचर करके और जानबूझकर विलंब के साथ पुनः प्रसारित करना, जिससे रिपोर्ट की गई स्थिति में सूक्ष्म विकृति आ जाती है।</li> </ul>  |
| <b>स्पूफिंग की कार्यप्रणाली</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एक ट्रांसमीटर लक्ष्य रिसीवर के पास अधिक शक्तिशाली नकली सिग्नल उत्सर्जित करता है।</li> <li>❖ रिसीवर (जैसे, विमान) इन नकली स्रोतों पर लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे अधिक मजबूत होते हैं।</li> <li>❖ स्पूफर धीरे-धीरे नकली सिग्नल को 'आगे' बढ़ाता है, जिससे रिसीवर को गलत नेविगेशन रीडिंग मिलती है और झूठे अलर्ट उत्पन्न होते हैं।</li> </ul>  |
| <b>विशेषताएं</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>पता लगाना कठिन:</b> नकली सिग्नल असली जीएनएसएस ट्रांसमिशन की हबहू नकल करते हैं, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है।</li> <li>❖ <b>सीमित भौगोलिक प्रभाव:</b> इसका संचालन आमतौर पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है।</li> <li>❖ <b>भ्रामक बहाव:</b> तत्काल संदेह से बचने के लिए, स्थिति में बदलाव धीरे-धीरे किया जाता है (धीमा बहाव)।</li> <li>❖ <b>सुरक्षा उपायों को दरकिनार करना:</b> यह अक्सर बुनियादी जैमिंग-रोधी उपायों को भी दरकिनार करने में सक्षम होता है।</li> <li>❖ <b>प्रभाव:</b> कॉकपिट में झूठी चेतावनियाँ उत्पन्न करता है (जैसे, भूभाग या निकटता संबंधी अलर्ट)।</li> </ul> |

**Topic 11 - नई अंतरिक्ष दौड़**

|  |  |
|--|--|
| <b>Syllabus</b>                              | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   अंतरिक्ष शासन   |
| <b>संदर्भ</b>                                | उपग्रह मेगाकॉन्स्टेलेशनों के तीव्र विस्तार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को <b>कक्षीय अंतरिक्ष</b> और <b>विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम</b> तक विस्तारित कर दिया है। 2030 तक <b>50,000+ उपग्रहों</b> की संभावना के साथ <b>समता, सततता और शासन</b> से जुड़ी चिंताएँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं।   |
| <b>स्पेक्ट्रम क्या है?</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम:</b> यह सीमित रेडियो आवृत्तियों का समूह है, जिनका उपयोग वायरलेस संचार और उपग्रह संचार के लिए किया जाता है।</li> <li>❖ उपग्रहों को <b>विशिष्ट (एक्सक्लूसिव)</b> और <b>हस्तक्षेप-मुक्त</b> बैंड की आवश्यकता होती है।</li> <li>❖ वैश्विक स्तर पर <b>अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)</b> द्वारा विनियमित।</li> </ul> |
| <b>अंतरिक्ष में प्रयुक्त स्पेक्ट्रम बैंड</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>L-बैंड (1-2 GHz):</b> GPS, विमानन, समुद्री संचार; बादलों के आर-पार मजबूत सिग्नल प्रवेश।</li> <li>❖ <b>S-बैंड (2-4 GHz):</b> टेलीमेट्री, ट्रैकिंग, मौसम उपग्रह।</li> <li>❖ <b>C-बैंड (4-8 GHz):</b> प्रसारण; वर्षा के दौरान भी विश्वसनीय संकेत।</li> </ul>  |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Ku-बैंड (12-18 GHz):</b> उच्च-गति उपग्रह इंटरनेट (जैसे Starlink)।</li> <li>❖ <b>Ka-बैंड (26-40 GHz):</b> अत्यंत उच्च डेटा दर; अगली पीढ़ी का ब्रॉडबैंड।</li> <li>❖ <b>V-बैंड एवं उससे ऊपर:</b> भविष्य की अत्यधिक श्रुपुट प्रणालियाँ और गहरे अंतरिक्ष मिशन।</li> </ul>  |
| <b>मेगाकॉन्स्टेलेशन्स का उदय</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्टारलिंग (यूएसए):</b> 8,000+ प्रक्षेपित; ~42,000 की योजना।</li> <li>❖ <b>वनवेब:</b> 648 उपग्रह; भारती ग्रुप के माध्यम से भारतीय हिस्सेदारी।</li> <li>❖ <b>अमेज़न कुइपर:</b> ~3,200 उपग्रहों की योजना।</li> <li>❖ <b>चीन गुओवांग:</b> ~13,000 उपग्रहों का लक्ष्य।</li> <li>❖ <b>प्रेरक कारक</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; प्रक्षेपण लागत में गिरावट।</li> <li>&gt; वैश्विक एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी की मांग।</li> <li>&gt; कम-विलंबता आवश्यकताएँ (रक्षा, उड्डयन, शिपिंग)।</li> <li>&gt; डिजिटल संप्रभुता एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।</li> <li>&gt; <b>बाजार आकार:</b> \$4.27 bn (2024) → \$27.31 bn (2032)।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>मुख्य चुनौतियां</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्पेक्ट्रम भीड़:</b> सीमित, उच्च-मूल्य वाले बैंड में हस्तक्षेप का बढ़ता जोखिम।</li> <li>❖ <b>कक्षीय भीड़भाड़ और मलबा:</b> 40,000 से अधिक ट्रैक की गई वस्तुएँ; <b>केसलर सिंड्रोम</b> (टक्करों की श्रृंखला) का संभावित खतरा।</li> <li>❖ <b>असमान पहुँच:</b> ITU का 'पहले आओ-पहले पाओ' मॉडल अमीर देशों और शुरुआती खिलाड़ियों के पक्ष में असंतुलन पैदा करता है।</li> <li>❖ <b>खगोलिकी में व्यवधान:</b> उपग्रहों से उत्पन्न प्रकाश प्रदूषण और रेडियो हस्तक्षेप से वैज्ञानिक अनुसंधान प्रभावित।</li> <li>❖ <b>डिजिटल विभाजन:</b> उच्च टर्मिनल लागत (जैसे Starlink: ~₹53,000) के कारण वहनीयता की सीमा।</li> <li>❖ <b>नियामकीय अंतराल:</b> मौजूदा अंतरिक्ष नियम मेगा-स्केल कॉन्स्टेलेशनों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त हैं।</li> </ul> |

## Topic 12 - अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                              | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी  |
| <b>संदर्भ</b>                                | चंद्रमा पर नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना की प्रस्तावित योजना, अंतरिक्ष में मानव की सतत उपस्थिति की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि लंबी अवधि के उच्च-ऊर्जा मिशनों के लिए केवल सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं है।  |
| <b>अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अविश्वसनीय सौर ऊर्जा:</b> चंद्रमा की लंबी रातें, मंगल पर धूल भरे तूफान, और कमजोर सूर्य प्रकाश सौर ऊर्जा को सीमित करते हैं।</li> <li>❖ <b>निरंतर ऊर्जा आवश्यकताएँ:</b> आवास, जीवन-समर्थन प्रणालियाँ, प्रयोगशालाएँ और विनिर्माण जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए बिना रुकावट, उच्च-क्षमता ऊर्जा की आवश्यकता होती है।</li> <li>❖ <b>ISRU (इन-सिटू संसाधन उपयोग) की ऊर्जा आवश्यकताएँ:</b> जल निष्कर्षण, ऑक्सीजन उत्पादन और ईंधन निर्माण के लिए <b>मेगावाट-स्तरीय ऊर्जा</b> आवश्यक है।</li> <li>❖ <b>सघन एवं स्थिर स्रोत:</b> परमाणु रिएक्टर छोटे क्षेत्रफल में घनी, मौसम-स्वतंत्र और स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं।</li> </ul> |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>आवास एवं सुविधा ऊर्जा:</b> चंद्र/मंगल ग्रहों पर जीवन-समर्थन, संचार, ताप, और वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है।</li> <li>❖ <b>ISRU को सक्षम बनाना:</b> जल, ऑक्सीजन और रॉकेट प्रोपेलेंट जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के निरंतर उत्पादन को शक्ति देता है।</li> <li>❖ <b>सतह पर संचालन:</b> रोवर्स, ड्रिलिंग, और स्वायत्त अन्वेषण उपकरणों सहित सतही गतिशीलता का समर्थन।</li> <li>❖ <b>उन्नत प्रणोदन:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>परमाणु तापीय प्रणोदन (NTP):</b> अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल जैसे ग्रहों तक तेज़ गति से पहुँचाने में सक्षम बनाता है, जिससे विकिरण जोखिम का समय घटता है।</li> <li>➤ <b>परमाणु विद्युत प्रणोदन (NEP):</b> गहन अंतरिक्ष जांच एवं माल परिवहन के लिए सतत, दीर्घकालिक थ्रस्ट प्रदान करता है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>चरम पर्यावरण:</b> छायादार चंद्र गड्ढों और ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विश्वसनीय ऊर्जा सुनिश्चित करता है।</li> </ul> |
| <p><b>विद्यमान अंतरराष्ट्रीय विधिक ढांचा</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>आउटर स्पेस ट्रीटी (1967):</b> अंतरिक्ष में परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग की अनुमति देता है, जबकि परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाता है।</li> <li>❖ <b>संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत (1992):</b> अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा स्रोतों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश निर्धारित करता है और जोखिम आकलन अनिवार्य करता है।</li> <li>❖ <b>दायित्व अभिसमय (Liability Convention, 1972):</b> अंतरिक्ष वस्तुओं से हुए नुकसान की जिम्मेदारी से संबंधित है, हालांकि गहरे अंतरिक्ष रिएक्टरों पर इसका अनुप्रयोग जटिल बना रहता है।</li> <li>❖ <b>एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि):</b> गैर-हथियार अंतरिक्ष रिएक्टरों और प्रणोदन प्रणालियों के संदर्भ में सीमित प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखती है।</li> </ul>  |

### Topic 13 - हंसा-3 एनजी विमान (Hansa-3 NG)

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Syllabus</b></p>                      | <p>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा प्रौद्योगिकी</p>  |
| <p><b>संदर्भ</b></p>                        | <p><b>हंसा-3 एनजी</b> भारत का पहला स्वदेशी, उत्पादन-तैयार पायलट प्रशिक्षण विमान है, जो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।</p>  |
| <p><b>हंसा-3 एनजी विमान के बारे में</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रकार:</b> दो-सीटर, नेक्स्ट-जेनरेशन प्रशिक्षण विमान।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य:</b> प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) और कमर्शियल पायलट लाइसेंस (CPL) के लिए पायलट प्रशिक्षण हेतु डिज़ाइन किया गया।</li> <li>❖ <b>महत्त्व:</b> भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी प्रशिक्षण विमान, जो श्रृंखलाबद्ध (सीरियल) उत्पादन के लिए तैयार है।</li> <li>❖ <b>विकासकर्ता:</b> सीएसआईआर-राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (CSIR-NAL), बेंगलुरु।</li> </ul> |

**Topic 14 - एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली (मार्क-2)**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                    | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा प्रौद्योगिकी   |
| <b>संदर्भ</b>                      | भारत स्वदेशी मार्क-2 प्रणालियों को शामिल करके अपनी ड्रोन-विरोधी युद्ध क्षमता को मजबूत कर रहा है, जो शत्रुतापूर्ण ड्रोन को तेजी से, उच्च-ऊर्जा और सटीक रूप से निष्क्रिय करने में सक्षम है।   |
| <b>मार्क-2 प्रणाली के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ शत्रुतापूर्ण ड्रोन का पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एक उन्नत स्वदेशी ड्रोन-विरोधी मंच।</li> <li>❖ इसे सशस्त्र बलों के सहयोग से DRDO-CHESS द्वारा विकसित किया गया है।</li> <li>❖ उद्देश्य: सीमाओं और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निगरानी ड्रोन, हथियारबंद ड्रोन और झुंड हमलों (swarm attacks) से तीव्र, सटीक और उच्च-ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना।</li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएं</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शक्तिशाली लेजर:</b> इसमें 10 किलोवाट उच्च-ऊर्जा लेजर है, जो ड्रोन को 2 किलोमीटर तक की दूरी पर नष्ट कर सकती है (जो मार्क-1 मॉडल की दोगुनी रेंज है)।</li> <li>❖ <b>बहु-संवेदक सूट:</b> यह रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड (EO/IR) और आरएफ डिटेक्टरों के साथ एक AI-आधारित वर्गीकरण प्रणाली का उपयोग करता है।</li> <li>❖ <b>हार्ड और सॉफ्ट-किल विकल्प:</b> यह लेजर विनाश (हार्ड-किल) के साथ-साथ आरएफ जैमिंग और जीएनएसएस स्पूफिंग (सॉफ्ट-किल) दोनों क्षमताओं से लैस है।</li> <li>❖ <b>त्वरित तैनाती:</b> प्रणाली को वाहन पर लगाया गया है, जिससे सीमाओं, हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और शहरी क्षेत्रों में इसे जल्दी से तैनात किया जा सकता है।</li> <li>❖ <b>भविष्य की तैयारी:</b> यह प्रणाली आगामी 30 किलोवाट लेजर सिस्टम के साथ भी संगत है, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होगी।</li> </ul> |

**Topic 15 - INS अरिदमन (INS Aridhaman)**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>               | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा प्रौद्योगिकी   |
| <b>संदर्भ</b>                 | भारत शीघ्र ही अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) आईएनएस अरिदमन को शामिल करने वाला है। यह कदम देश की समुद्री-आधारित परमाणु क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और भारत की 'नो फ़र्स्ट यूज़ (NFU)' परमाणु नीति को मजबूत करेगा।   |
| <b>INS अरिदमन के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ INS अरिदमन, भारत की अरिहंत-श्रेणी की तीसरी SSBN है, जिसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल (ATV) परियोजना के तहत शिप बिल्डिंग सेंटर, विशाखापत्तनम में निर्मित किया गया है।</li> <li>❖ पूर्व की पनडुब्बियाँ: इस श्रेणी में पहले से ही आईएनएस अरिहंत (2016) और आईएनएस अरिघात (2024) भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं।</li> <li>❖ रणनीतिक महत्व: यह पनडुब्बी भारत की परमाणु त्रयी (Nuclear Triad) का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो देश के लिए एक विश्वसनीय द्वितीय-प्रहार क्षमता सुनिश्चित करती है।</li> </ul> |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्वदेशीकरण:</b> 90% से अधिक स्वदेशी सामग्री, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर भी शामिल है।</li> <li>❖ <b>विस्थापन:</b> सतह पर लगभग 6,000 टन; जलमग्न स्थिति में लगभग 7,000 टन।</li> <li>❖ <b>शक्ति स्रोत:</b> भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा विकसित 83 मेगावाट प्रेसराइज़्ड वॉटर</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>रिएक्टर (PWR)।</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शस्त्र प्रणाली (मिसाइलें):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ अधिकतम <b>24 K-15 SLBM</b> (पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल) - <b>750 किमी</b> रेंज, या</li> <li>➤ <b>K-4 SLBM</b> - <b>3,500 किमी</b> रेंज।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>स्टेल्थ विशेषताएँ:</b> बेहतर गोपनीयता के लिए <b>एनीकोइक टाइल्स</b> तथा उन्नत <b>सोनार प्रणालियों</b> (बो, फ्लैक और टोएड ऐरे) से सुसज्जित।</li> </ul> |
|--|---|

### Topic 16 - आईएनएस तारागिरि (INS Taragiri)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>                    | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा प्रौद्योगिकी  |
| <b>संदर्भ</b>                      | भारतीय नौसेना को हाल ही में <b>आईएनएस तारागिरि</b> प्राप्त हुई है। यह <b>प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि-श्रेणी)</b> के तहत निर्मित चौथी स्टेल्थ फ्रिगेट है। इसका उद्देश्य नौसेना की सतही युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना और भारत की स्वदेशी युद्धपोत-निर्माण क्षमता को सुदृढ़ करना है।  |
| <b>आईएनएस तारागिरि के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रोजेक्ट 17A की नीलगिरि-श्रेणी</b> की स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसे बहु-मिशन अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है।</li> <li>❖ <b>निर्माता:</b> मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई।</li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रमुख विशेषता:</b> उन्नत <b>स्टेल्थ तकनीक</b>, जो रडार, ध्वनिक (एकॉस्टिक), और अवरक्त (इन्फ्रारेड) सिग्नेचर को कम करती है।</li> <li>❖ <b>प्रणोदन प्रणाली:</b> <b>CODOG</b> (कंबाइंड डीज़ल या गैस) प्रणाली - डीज़ल इंजन + गैस टरबाइन।</li> <li>❖ <b>हथियार प्रणाली:</b> ब्रह्मोस मिसाइलें, <b>MRSAM</b> (मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल), <b>76 मिमी SRGM</b> (सुपर रैपिड गन माउंट), और <b>CIWS</b> (क्लोज-इन वेपन सिस्टम)।</li> </ul> |
| <b>प्रोजेक्ट 17A के पोत</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ आईएनएस नीलगिरि</li> <li>❖ आईएनएस हिमगिरि</li> <li>❖ आईएनएस उदयगिरि</li> <li>❖ <b>आईएनएस तारागिरि</b></li> <li>❖ आईएनएस दुनागिरि (आगामी)</li> </ul>  |

### Topic 17 - मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार

|   |   |
|---|---|
| <b>Syllabus</b>                           | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा उत्पादन  |
| <b>संदर्भ</b>                             | रणनीतिक स्वायत्तता और भू-राजनीतिक अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य में भारत ने 2029 तक ₹3 लाख करोड़ रक्षा उत्पादन और ₹50,000 करोड़ रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है।   |
| <b>भारत में रक्षा औद्योगिक आधार (DIB)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>DIB की परिभाषा:</b> DIB एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें रक्षा क्षेत्र के <b>डिज़ाइन, विकास, विनिर्माण और निर्यात</b> से जुड़े सभी हितधारक शामिल हैं: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सार्वजनिक और निजी कंपनियाँ</li> <li>➤ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs)</li> </ul> </li> </ul> |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ अनुसंधान एवं विकास (R&amp;D) संस्थान</li><li>➤ परीक्षण सुविधाएँ और आपूर्ति शृंखलाएँ।</li><li>❖ <b>मुख्य प्रवृत्तियाँ (FY 2024-25):</b><ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>रिकॉर्ड उत्पादन:</b> ₹1.54 लाख करोड़ (अब तक का सर्वाधिक)।</li><li>➤ <b>स्वदेशी उत्पादन वृद्धि:</b> 2014-15 से 174% की प्रभावशाली वृद्धि।</li><li>➤ <b>रिकॉर्ड निर्यात:</b> ₹23,622 करोड़ (80 से अधिक देशों को)।</li><li>➤ <b>भागीदारी:</b> लगभग 16,000 MSMEs; निजी क्षेत्र का योगदान ~23%।</li></ul></li></ul>  |
| <b>स्वदेशी DIB की आवश्यकता</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>रणनीतिक स्वायत्तता:</b> अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर निर्भरता और भेद्यता को कम करना (जैसे: ब्रह्मोस मिसाइल)।</li><li>❖ <b>परिचालन तत्परता:</b> संघर्ष की स्थिति में उपकरणों की त्वरित मरम्मत और अनुकूलन क्षमता सुनिश्चित करना (जैसे: लड़ाख गतिरोध में अनुकूलन)।</li><li>❖ <b>आर्थिक गुणक प्रभाव:</b> उच्च-कौशल वाले रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना (जैसे: रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर)।</li><li>❖ <b>भू-राजनीतिक लाभ:</b> महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूती प्रदान करना और निर्यात से प्रभाव बढ़ाना (जैसे: फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात)।</li></ul>   |
| <b>प्रमुख पहलें</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>अधिग्रहण नीति:</b> रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में 'Buy (Indian-IDDM)' को सर्वोच्च प्राथमिकता।</li><li>❖ <b>संरचनात्मक सुधार:</b> आयुध कारखानों का निगमीकरण।</li><li>❖ <b>विदेशी निवेश:</b> सरकारी मार्ग से 100% तक FDI का उदारीकरण।</li><li>❖ <b>नवाचार प्रोत्साहन:</b> iDEX, TDF, और RDI पारिस्थितिकी तंत्र जैसे नवाचार मंचों की स्थापना।</li><li>❖ <b>क्षेत्रीय विकास:</b> उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण।</li><li>❖ <b>व्यापार सुगमता:</b> निर्यात प्राधिकरणों का डिजिटलीकरण और सरलीकरण (OGEL)।</li></ul> |
| <b>चुनौतियाँ</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>नियामकीय बाधाएँ:</b> जटिल प्रक्रियाएँ और अनुमोदन में देरी।</li><li>❖ <b>अवसंरचना:</b> परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की अपर्याप्तता।</li><li>❖ <b>MSMEs के लिए वित्तीय सीमाएँ:</b> उच्च कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और भुगतान चक्र का लंबा होना।</li><li>❖ <b>R&amp;D अंतराल:</b> प्रोटोटाइप विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच समन्वय की कमी।</li><li>❖ <b>मांग की अनिश्चितता:</b> खरीद आदेशों के बार-बार रद्द होने से उद्योग में अनिश्चितता।</li></ul>  |
| <b>निष्कर्ष</b>                | एक मजबूत <b>रक्षा औद्योगिक आधार (DIB)</b> , देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है। यह <b>विकसित भारत 2047</b> के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए <b>नवाचार-आधारित विकास</b> और <b>रणनीतिक विश्वसनीयता</b> की नींव रखता है।   |

**Topic 18 - रक्षा आत्मनिर्भरता**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                       | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   रक्षा निर्यात  |
| <b>संदर्भ</b>                         | भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अब तक का सर्वाधिक रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात प्राप्त किया है। यह आयात-निर्भरता से स्वदेशी विनिर्माण की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन दर्शाता है।   |
| <b>प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं आँकड़े</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन:</b> ₹1.27 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24), जो 2014-15 के ₹46,429 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि है।</li> <li>❖ <b>कुल उत्पादन उच्च स्तर पर:</b> कुल रक्षा उत्पादन ₹1.54 लाख करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25)।</li> <li>❖ <b>अब तक का सर्वोच्च निर्यात:</b> रक्षा निर्यात ₹23,622 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25), जो 2014 में &lt;₹1,000 करोड़ था।</li> <li>❖ <b>निजी क्षेत्र की वृद्धि:</b> हिस्सेदारी 23% तक बढ़ी; <b>16,000+ एमएसएमई</b> आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत।</li> <li>❖ <b>घरेलू खरीद को बढ़ावा:</b> रक्षा मंत्रालय के <b>193 में से 177 अनुबंध</b> (₹2.09 लाख करोड़ मूल्य) भारतीय कंपनियों को प्रदान किए गए।</li> </ul>  |
| <b>भारत के लिए अवसर</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>रक्षा औद्योगिक गलियारे:</b> यूपी एवं तमिलनाडु गलियारों में ₹9,145 करोड़ का निवेश; भविष्य में और बड़े निवेश की संभावनाएं।</li> <li>❖ <b>विस्तारित निर्यात क्षेत्र:</b> 80-100 देशों तक रक्षा निर्यात; <b>MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल), प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स</b> में अवसर।</li> <li>❖ <b>एफडीआई उदारीकरण:</b> विदेशी रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 74% तक स्वचालित मार्ग और 100% सरकारी अनुमोदन से FDI की अनुमति।</li> <li>❖ <b>डिजिटल निर्यात प्रणालियाँ:</b> ऑनलाइन प्राधिकरण पोर्टल से तेज मंजूरियां; निर्यातक भागीदारी में 17% वृद्धि।</li> <li>❖ <b>नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:</b> रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (<b>iDEX</b>), प्रौद्योगिकी विकास कोष (<b>TDF - ₹500 करोड़</b>) और <b>₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना</b> स्टार्टअप और अकादमिक संस्थानों को सहायता प्रदान करती है।</li> </ul> |
| <b>प्रमुख सरकारी पहलें</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020: 'Buy Indian-IDDm'</b> (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और निर्मित) को प्राथमिकता; उन्नत प्रौद्योगिकी एकीकरण।</li> <li>❖ <b>रक्षा खरीद मैनुअल 2025:</b> एकरूप, डिजिटल-आधारित राजस्व खरीद का लक्ष्य।</li> <li>❖ <b>सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ:</b> हजारों रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध।</li> <li>❖ <b>आयुध निर्माणी सुधार:</b> 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (<b>DPSUs</b>) में निगमित - अधिक दक्षता हेतु।</li> <li>❖ <b>निर्यात सुविधा:</b> सरलीकृत <b>SOPs, OGELs</b>, और समर्पित निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ।</li> </ul>  |
| <b>प्रमुख चुनौतियाँ</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रौद्योगिकी अंतराल:</b> प्रणोदन, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों में कमजोरी बनी हुई है। उत्पादन का 58% हिस्सा अभी भी 'लाइसेंस उत्पादित' है।</li> <li>❖ <b>सीमित विनिर्माण क्षमता:</b> घरेलू उद्योग की क्षमता वार्षिक मांग को पूरी तरह से पूरा करने में अपर्याप्त है।</li> <li>❖ <b>निर्यात प्रतिस्पर्धा:</b> रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (<b>DPSUs</b>) को वैश्विक बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।</li> <li>❖ <b>कार्यान्वयन अंतराल:</b> नौकरशाही विलंब और जटिल अनुपालन के कारण नीति कार्यान्वयन में अंतर।</li> <li>❖ <b>आयात-निर्भरता:</b> महत्वपूर्ण सामग्री और घटक अभी भी विदेशों से आयात किए जाते हैं।</li> </ul>   |



## निष्कर्ष

भारत का रक्षा विनिर्माण वर्तमान में एक **परिवर्तनकारी विकास चरण** में है। इस गति को बनाए रखने के लिए, **डीप-टेक क्षमताओं** का विकास, **निजी क्षेत्र की सशक्त भागीदारी**, और **सक्रिय निर्यात कूटनीति** को अपनाना महत्वपूर्ण होगा।

### Topic 19 - जैविक हथियार सम्मेलन (Biological Weapons Convention - BWC)

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                                  | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   पर्यावरण   सम्मेलन   |
| <b>संदर्भ</b>                                    | जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) के प्रवर्तन के <b>50 वर्ष (1975-2025)</b> पूरे हुए, जो वैश्विक निरस्त्रीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने <b>नई दिल्ली</b> में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें <b>जैव-सुरक्षा चुनौतियों</b> और <b>ग्लोबल साउथ</b> की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया।  |
| <b>जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) क्या है?</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विश्व की पहली बहुपक्षीय संधि</b> जो <b>विनाश के हथियारों (WMDs)</b> की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाती है।</li> <li>❖ <b>जैविक एवं विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण, अधिग्रहण, हस्तांतरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।</b></li> </ul>   |
| <b>समयरेखा एवं सदस्यता</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>हस्ताक्षर हेतु खुला:</b> 10 अप्रैल 1972 (लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन)।</li> <li>❖ <b>प्रवर्तन:</b> 26 मार्च 1975।</li> <li>❖ <b>सदस्य:</b> 189 सदस्य राष्ट्र।</li> <li>❖ <b>भारत:</b> संस्थापक सदस्य राष्ट्र में से एक; पूर्ण रूप से अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध।</li> </ul>  |
| <b>BWC की प्रमुख विशेषताएँ</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अनुच्छेद I-III (मूल प्रतिबंध):</b> जैविक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध; मौजूदा भंडारों का विनाश।</li> <li>❖ <b>अनुच्छेद X (शांतिपूर्ण सहयोग):</b> जैव विज्ञान के <b>शांतिपूर्ण उपयोग</b> को साझा करने पर प्रोत्साहन; विशेष रूप से <b>विकासशील देशों</b> के लिए क्षमता निर्माण पर जोर।</li> <li>❖ <b>समीक्षा सम्मेलन:</b> लगभग <b>हर 5 वर्ष</b> में - मानदंडों को अद्यतन करने और नई प्रौद्योगिकियों पर विचार हेतु।</li> <li>❖ <b>सत्यापन तंत्र का अभाव:</b> एक प्रमुख सीमा - औपचारिक निरीक्षण या अनुपालन जाँच का कोई तंत्र नहीं।</li> <li>❖ <b>राजनीतिक प्रवर्तन:</b> <b>अनुच्छेद VI</b> के तहत शिकायत दर्ज करने का तंत्र मौजूद, हालांकि इसका उपयोग विरल रहा है।</li> <li>❖ <b>मजबूत वैश्विक मानदंड:</b> जैविक हथियारों के स्वामित्व का कोई भी राज्य खुले तौर पर दावा नहीं करता, जो एक मजबूत वैश्विक मानदंड स्थापित करता है।</li> </ul> |
| <b>50 वर्षों का महत्व और भविष्य की चुनौतियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जैव-निरस्त्रीकरण की आधारशिला:</b> जैविक हथियारों के विरुद्ध प्रमुख वैश्विक सुरक्षा ढांचा।</li> <li>❖ <b>उभरते जोखिम:</b> <b>AI, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीन संपादन, और गेन-ऑफ-फ़ंक्शन अनुसंधान</b> जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाती हैं।</li> <li>❖ <b>ग्लोबल साउथ पर ध्यान:</b> कमजोर <b>बायोसेफ्टी अवसंरचना</b> और उच्च रोग-भार के कारण इन देशों की संवेदनशीलता अधिक है; <b>अनुच्छेद X</b> के तहत सहयोग महत्वपूर्ण है।</li> <li>❖ <b>भारत की भूमिका:</b> भारत <b>समानतापूर्ण जैव-सुरक्षा</b>, क्षमता निर्माण और <b>उत्तरदायी विज्ञान</b> को बढ़ावा देने की वकालत करता है।</li> </ul>  |

**Environment & Geography****Topic 1 - जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच (IFCCT)**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Topic</b>           | पर्यावरण   जलवायु परिवर्तन   |
| <b>संदर्भ</b>          | IFCCT, COP 30 में शुरू किया गया एक नया वैश्विक मंच है, जिसका उद्देश्य समावेशी और संरचित संवाद के माध्यम से जलवायु नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बीच बढ़ते तनावों का प्रबंधन करना है।   |
| <b>यह क्या है?</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्वरूप:</b> यह जलवायु-व्यापार संबंधों पर संवाद के लिए एक <b>राजनीतिक रूप</b> से समर्थित, <b>गैर-समझौतावादी वैश्विक मंच</b> है।</li> <li>❖ <b>लॉन्च:</b> इसे 15 नवंबर 2025 को <b>बेलेम (ब्राजील)</b> में आयोजित COP30 के दौरान शुरू किया गया।</li> <li>❖ <b>लक्ष्य:</b> मंच देशों को एक स्थायी मंच प्रदान करता है ताकि वे जलवायु से जुड़े व्यापार उपायों, जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAMs), सब्सिडी, और आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव से उत्पन्न होने वाले संघर्षों पर चर्चा और उनका समाधान कर सकें।</li> </ul>  |
| <b>मुख्य विशेषताएं</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>संवाद प्रकृति:</b> यह एक गैर-बाध्यकारी संवाद मंच है जो खुली चर्चाओं को प्रोत्साहित करता है।</li> <li>❖ <b>एजेंडा निर्धारण:</b> एजेंडा और प्राथमिकताओं को तय करने के लिए 2025-2026 तक एक खुली परामर्श अवधि निर्धारित की गई है।</li> <li>❖ <b>फोकस:</b> इसका मुख्य ध्यान जलवायु-व्यापार सामंजस्य और विकासशील देशों की विशेष चिंताओं पर रहेगा।</li> <li>❖ <b>भागीदारी:</b> इसमें विभिन्न हितधारक शामिल होंगे, जिनमें मंत्री, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नेता, विशेषज्ञ और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हैं।</li> <li>❖ <b>संचालन:</b> यह प्रक्रिया जेनेवा में स्थित है और वैश्विक व्यापार प्रशासन के सिद्धांतों के अनुरूप काम करती है।</li> </ul> |
| <b>महत्व</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अंतर पाटना:</b> यह व्यापार उपायों और जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच बढ़ रहे अंतर को कम करने में सहायक होगा।</li> <li>❖ <b>अनुकूलन में सहायता:</b> यह विकासशील देशों को नए हरित व्यापार नियमों के अनुकूल ढलने में मदद करता है।</li> <li>❖ <b>घर्षण कम करना:</b> जलवायु-प्रेरित व्यापार कार्यों में पूर्वानुमान और बेहतर समन्वय को बढ़ावा देकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संभावित घर्षण को कम करता है।</li> </ul>  |

**Topic 2 - भारत की जलवायु महत्वाकांक्षाएँ**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Topic</b>          | पर्यावरण   जलवायु परिवर्तन   |
| <b>संदर्भ</b>         | भारत 2035 के लक्ष्य-काल के लिए अपने अगले <b>राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)</b> तैयार कर रहा है। इस संदर्भ में, विशेषज्ञ आर्थिक वृद्धि, समता (Equity) और जलवायु उत्तरदायित्व के अनुरूप एक स्पष्ट, अर्थव्यवस्था-व्यापी संक्रमण योजना (Transition Plan) की तत्काल आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। |
| <b>NDCs क्या हैं?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>पेरिस समझौते</b> के तहत देशों की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ हैं, जिन्हें हर <b>5 वर्ष</b> में अद्यतन किया जाता है (<b>अनुच्छेद 4</b>)।</li> <li>❖ इनमें उत्सर्जन कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा, अनुकूलन, वित्त और प्रौद्योगिकी शामिल होते हैं।</li> </ul>    |



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| भारत के वर्तमान NDC लक्ष्य (2030) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ उत्सर्जन तीव्रता में कमी: 2005 के स्तर से <b>45% की कमी</b>।</li> <li>❖ गैर-जीवाश्म क्षमता: स्थापित विद्युत क्षमता का <b>50% गैर-जीवाश्म</b> स्रोतों (सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु, बायोमास) से प्राप्त करना।</li> <li>❖ कार्बन सिंक निर्माण: वनीकरण और कृषि-वानिकी के माध्यम से <b>2.5-3 अरब टन CO<sub>2</sub></b> का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।</li> </ul>  |
| अब तक का प्रदर्शन                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>50% गैर-जीवाश्म क्षमता</b>: लक्ष्य से पहले (जून 2025 तक) हासिल।</li> <li>❖ दैनिक विद्युत मिश्रण: जुलाई 2025 तक ग्रिड में <b>51.5% नवीकरणीय ऊर्जा</b>।</li> <li>❖ उत्सर्जन तीव्रता: 2030 लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए <b>36% की गिरावट</b>।</li> <li>❖ वैश्विक रैंकिंग : नवीकरणीय ऊर्जा में चौथा, सौर में तीसरा, पवन में चौथा स्थान।</li> <li>❖ परिवहन: रेलवे और शहरी गतिशीलता में विद्युतीकरण से तेल पर निर्भरता में कमी आई है।</li> </ul>   |
| मुख्य चुनौतियाँ                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कुल उत्सर्जन (Absolute Emission): यह अभी भी बढ़ रहा है; लगभग <b>2035</b> के आसपास चरम पर पहुँचने की संभावना है।</li> <li>❖ ग्रिड और ऊर्जा सुरक्षा: ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए कोयले पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है।</li> <li>❖ निवेश की आवश्यकता: 2035 तक विद्युत, भंडारण और ग्रिड के लिए <b>\$62 अरब प्रति वर्ष</b> का भारी निवेश चाहिए।</li> <li>❖ प्रौद्योगिकी अंतराल: दीर्घकालिक भंडारण, हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों की कमी।</li> <li>❖ जलवायु वित्त की कमी: विकसित देशों से आवश्यक जलवायु वित्त का अपर्याप्त प्रवाह।</li> <li>❖ न्यायसंगत संक्रमण जोखिम: कोयला-निर्भर राज्यों और श्रमिकों पर संक्रमण के संभावित नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।</li> <li>❖ अनुकूलन में पिछड़ापन: बढ़ती हीटवेव और चरम मौसमी घटनाओं के बीच अनुकूलन प्रयासों में कमी।</li> </ul> |

### Topic 3 - हिंद महासागर: नई नीली अर्थव्यवस्था का पालना

|   |  |
|---|--|
| Syllabus                                    | पर्यावरण   |
| संदर्भ                                      | हिंद महासागर (Indian Ocean) वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता, आर्थिक विकास के अवसरों और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस पृष्ठभूमि में, एक ऐसी 'ब्लू इकोनॉमी' (नीली अर्थव्यवस्था) रूपरेखा की तत्काल आवश्यकता है जो क्षेत्रीय सहयोग, समानता और पर्यावरणीय 'सततता' (Sustainability) को संतुलित कर सके।  |
| महासागर शासन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ साइरा धरोहर की वकालत: UNCLOS (समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय) के दौरान, भारत ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर के समुद्री तल संसाधनों के 'साइरा स्वामित्व' का पक्ष लिया था।</li> <li>❖ नेहरू की समुद्री दृष्टि: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की 'सुरक्षा और समृद्धि' को महासागरीय संसाधनों और स्वतंत्रता के साथ जोड़ा था।</li> <li>❖ पर्यावरणीय संतुलन: इंदिरा गांधी ने 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में विकास आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन पर जोर दिया था।</li> <li>❖ सहयोग पर बल: भारत IORA, IONS और इंडियन ओशन कमीशन जैसी बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रहा है, जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा देता है।</li> </ul> |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सततता के प्रति प्रतिबद्धता:</b> भारत जैव-विविधता संरक्षण का समर्थन करता है और समुद्री जैव-विविधता (BBNJ) समझौते के अनुसमर्थन की दिशा में तत्पर है।</li> </ul>  |
| <b>हिंद महासागर में उभरती चुनौतियाँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जलवायु दबाव:</b> वैश्विक औसत से तेज महासागर ताप वृद्धि के कारण समुद्र-स्तर वृद्धि और भीषण चक्रवात की संभावना बढ़ रही है।</li> <li>❖ <b>प्रवाल और जैवविविधता हास:</b> महासागरीय अम्लीकरण से लक्षद्वीप और चागोस द्वीप समूह के प्रवाल-भित्तियाँ प्रभावित हो रही हैं।</li> <li>❖ <b>IUU (अवैध, अनियंत्रित एवं अप्रतिवेदित) मत्स्यन:</b> मछली भंडार का क्षय; जिससे विशेषकर पूर्वी अफ्रीका और बंगाल की खाड़ी के कारीगर मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है।</li> <li>❖ <b>समुद्री उत्पादकता में गिरावट:</b> अति-मत्स्यन और मानसूनी व्यवधान के कारण खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव।</li> <li>❖ <b>सामाजिक-आर्थिक जोखिम:</b> तटीय क्षेत्रों में रोजगार की हानि, पलायन और अस्थिरता से गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं।</li> </ul> |

### भारत की नीली अर्थव्यवस्था हेतु त्रि-स्तंभीय रणनीति

भारत की ब्लू इकोनॉमी रणनीति को संरक्षण, सहनशीलता और समावेशी विकास पर केंद्रित होना चाहिए।

| स्तंभ                                     | तर्क एवं कार्यवाही  | मुख्य पहलें  |
|---|---|--|
| <b>1. साझा संसाधनों का संरक्षण</b>        | सहयोगात्मक, नियम-आधारित महासागर शासन और समुद्री संरक्षण का विस्तार करना।                  | सहयोगी शासन ढांचे स्थापित करना, क्षेत्रीय स्तर पर मैंग्रोव/प्रवाल पुनर्स्थापन करना, और <b>समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs)</b> का विस्तार करना (BBNJ के तहत उच्च समुद्र सहित)।                                      |
| <b>2. जलवायु एवं आपदा लचीलापन</b>         | महासागर-आधारित निगरानी, मॉडलिंग और प्रारंभिक चेतावनी हेतु क्षेत्रीय क्षमता को मजबूत करना। | INCOIS और MoES को सशक्त बनाना, उपग्रह-आधारित निगरानी को बढ़ावा देना, और प्रकृति-आधारित तटीय संरक्षण (जैसे मैंग्रोव, कृत्रिम भित्तियाँ) को लागू करना।   |
| <b>3. समावेशी नीला विकास (ब्लू ग्रोथ)</b> | सतत एवं तटीय समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा।                   | IMO डीकार्बोनाइजेशन के अनुरूप ' <b>ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर</b> ' विकसित करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा (पवन, ज्वारीय) का दोहन करना, और सतत जलीय कृषि/समुद्री शैवाल खेती को प्रोत्साहन देना। |

|  |   |
|--|---|
| <b>महासागरीय वित्त के लिए वैश्विक प्रयास</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>€25 अरब</b> की मौजूदा महासागर निवेश योजनाएँ + <b>€8.7 अरब</b> की नई घोषणाएँ BEFF 2025 (ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस फोरम) में।</li> <li>❖ वन ओशन पार्टनरशिप के अंतर्गत सीओपी30 (बेलेम) में \$20 अरब का महासागरीय वित्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है।</li> <li>❖ महासागर स्वास्थ्य को वैश्विक <b>जलवायु वित्त</b> और <b>विकास योजना</b> तंत्रों में बढ़ती मान्यता व एकीकरण।</li> </ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>                              | हिंद महासागर में सततता के साथ विकास को जोड़ने वाली एक नई और समावेशी ब्लू इकोनॉमी का आधार बनने की अपार क्षमता है। संरक्षण, वित्त और क्षेत्रीय सहयोग को संरक्षित करके, भारत एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकता है जहाँ महासागर प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग के सिद्धांतों से शासित हों – यह हिंद महासागर से शुरू होकर, पूरे विश्व के लिए एक मॉडल बन सकता है।  |

**Topic 4 - सह अस्तित्व के रूप में संरक्षण**

|  |  |
|--|--|
| <b>Syllabus</b>                        | पर्यावरण   जैव विविधता संरक्षण   |
| <b>संदर्भ</b>                          | सह-अस्तित्व के रूप में संरक्षण की अवधारणा प्रतिबंधात्मक, ऊपर से नीचे (top-down) संचालित वन्यजीव संरक्षण से हटकर समुदाय-नेतृत्व वाले, समावेशी संरक्षण पर जोर देती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि जहाँ स्थानीय समुदाय सक्रिय संरक्षक बने रहते हैं, वहाँ जैव विविधता अधिक फलती-फूलती है।  |
| <b>संरक्षण क्या है?</b>                | ❖ पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों का <b>सतत प्रबंधन</b> , ताकि जैव विविधता और मानव कल्याण - दोनों को समर्थन मिल सके।  |
| <b>संरक्षण के दृष्टिकोण</b>            | ❖ <b>संरक्षण-आधारित (Protection-based)</b> : सख्त गैर-उपयोग क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य)।<br>❖ <b>समुदाय-आधारित (Community-based)</b> : स्थानीय समुदाय पारंपरिक मानदंडों के माध्यम से संसाधनों का प्रबंधन करते हैं।<br>❖ <b>सह-प्रबंधन (Co-management)</b> : सरकार और समुदायों द्वारा संयुक्त योजना और क्रियान्वयन।<br>❖ <b>परिदृश्य-स्तरीय (Landscape-level)</b> : परस्पर जुड़े पारिस्थितिक नेटवर्क की सुरक्षा (खेत, वन, आर्द्रभूमि, गलियारे)।   |
| <b>भारत में मौजूदा संरक्षण विधियाँ</b> | मुख्यतः राज्य-केन्द्रित<br>❖ <b>संरक्षित/अधिसूचित क्षेत्र</b> : राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व।<br>❖ <b>कानूनी ढाँचे</b> : वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA), 1972; वन संरक्षण अधिनियम, 1980; CAMPA।<br>❖ <b>प्रजाति-विशिष्ट पहल</b> : प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, स्नो लेपर्ड।<br>❖ <b>प्रवर्तन</b> : इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) नियम, एंटी-पोचिंग इकाइयाँ, ट्रैकिंग तकनीक।<br>❖ <b>विस्तार एवं पुनर्वास</b> : संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और स्वैच्छिक सामुदायिक पुनर्वास।                     |
| <b>मौजूदा विधियों की सीमाएँ</b>        | ❖ <b>बहिष्करण मॉडल</b> : आदिवासी/स्थानीय समुदायों का विस्थापन संरक्षक भूमिका को कमजोर करता है।<br>❖ <b>औपनिवेशिक मानसिकता</b> : "निर्जन वनों (Pristine Forests)" की धारणा, जिसमें मनुष्य को संरक्षण का विरोधी माना जाता है।<br>❖ <b>क्रियान्वयन अंतराल</b> : कमजोर प्रवर्तन, अतिक्रमण, खनन, अपर्याप्त मानवबल।<br>❖ <b>संघर्ष</b> : सख्त सीमाएँ वन्यजीवों की आवाजाही को सीमित कर मानव-प्राणी संघर्ष बढ़ाती हैं।<br>❖ <b>उच्च लागत</b> : राज्य-नेतृत्व वाला संरक्षण महँगा; समुदाय-आधारित मॉडल अधिक लागत-प्रभावी। |
| <b>सह-अस्तित्व के उदाहरण</b>           | ❖ <b>गिर, गुजरात</b> : कोर संरक्षित क्षेत्र के बाहर भी शेर फल-फूल रहे हैं - मालधारी समुदाय की सहनशीलता और प्रभावी मुआवज़ा तंत्र के कारण।<br>❖ <b>बियाते गाँव, मेघालय</b> : समुदाय-प्रबंधित चक्रीय खेती (झूम) ने स्थायी वन संरक्षण और नई प्रजातियों की खोज को संभव बनाया।   |
| <b>भारत में संरक्षण की पुनर्कल्पना</b> | ❖ <b>समावेशी मॉडल</b> : "किलेबंदी संरक्षण (fortress protection)" से समुदाय-नेतृत्व की ओर संक्रमण।<br>❖ <b>स्वदेशी ज्ञान का मूल्यांकन</b> : पवित्र उपवन, चक्रीय खेती, पारंपरिक वर्जनाओं का समावेश।<br>❖ <b>एकीकृत शासन</b> : वन-खेत-चरागाह-आर्द्रभूमि को जोड़कर परिदृश्य प्रबंधन।<br>❖ <b>साझी जिम्मेदारी व न्याय (FPIC)</b> : सभी कार्यों में उचित मुआवज़ा, लाभ-साझेदारी तथा मुक्त, पूर्व एवं सूचित सहमति सुनिश्चित करना।  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>निष्कर्ष</b> | भारत का संरक्षण भविष्य इस पर निर्भर है कि समुदायों को बाधा नहीं, साझेदार माना जाए। जहाँ सांस्कृतिक प्रथाएँ, आजीविकाएँ और पारिस्थितिकी तंत्र साथ-साथ कार्य करते हैं, वहीं टिकाऊ जैव विविधता फलती-फूलती है - और संरक्षण सह-अस्तित्व में निहित होता है। |
|-----------------|--|

### Topic 5 - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB)

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>        | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण   जैव विविधता संरक्षण  |
| <b>संदर्भ</b>          | भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान और गुजरात में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत ट्रांसमिशन अलाइनमेंट में संशोधन करते हुए अत्यंत संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ किया है।   |
| <b>GIB के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक (Ardeotis nigriceps)।</li> <li>❖ राजस्थान का राज्य पक्षी।</li> <li>❖ घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख (फ्लैगशिप) प्रजाति तथा पारिस्थितिक स्वास्थ्य का सूचक।</li> </ul>   |
| <b>संरक्षण स्थिति</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ IUCN रेड लिस्ट: Critically Endangered (अत्यंत संकटग्रस्त)।</li> <li>❖ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I</li> <li>❖ CITES: परिशिष्ट-I</li> <li>❖ CMS (बॉन कन्वेंशन): सूचीबद्ध प्रजाति।</li> <li>❖ अनुमानित जनसंख्या: वैश्विक स्तर पर लगभग 200।</li> </ul>   |
| <b>आवास एवं वितरण</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ खुले, समतल घासभूमि एवं झाड़ीदार क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है, जहाँ मानव हस्तक्षेप न्यूनतम हो।</li> <li>❖ ऐतिहासिक रूप से भारत के 11 राज्यों तथा पाकिस्तान के कुछ भागों में पाया जाता था।</li> <li>❖ वर्तमान में मुख्यतः राजस्थान (प्रमुख आवास: डेजर्ट नेशनल पार्क) और गुजरात तक सीमित।</li> <li>❖ छोटे अवशिष्ट समूह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं।</li> </ul> |

### Topic 6 - गैंडा (Rhinoceros / Rhino)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>          | पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण   जैव विविधता संरक्षण  |
| <b>संदर्भ</b>            | एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी अभयारण्यों में गैंडों के सींग हटाने (dehorning) से शिकार में 75-78% की कमी आई है। प्रवर्तन उपायों के साथ मिलकर यह संरक्षण का एक लागत-प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है।   |
| <b>गैंडे के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बड़ा, प्राचीन शाकाहारी स्तनधारी, राइनोसेरोटिडी (Rhinocerotidae) कुल का सदस्य।</li> <li>❖ आवास: घासभूमियाँ, सवाना, उष्ण/उपोष्णकटिबंधीय वन, दलदली क्षेत्र और झाड़ीदार भूभाग।</li> <li>❖ प्रजातियाँ (5): <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ अफ्रीका: सफेद गैंडा - निकट संकटग्रस्त, काला गैंडा - अति संकटग्रस्त</li> <li>➢ एशिया: एक सींग वाला गैंडा (भारत/नेपाल - संकटग्रस्त), जावा गैंडा (इंडोनेशिया - अति संकटग्रस्त), सुमात्रा गैंडा (इंडोनेशिया - अति संकटग्रस्त)।</li> </ul> </li> <li>❖ मुख्य विशेषताएँ: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ सींग केराटिन से बना होता है (हड्डी नहीं)।</li> <li>➢ शाकाहारी आहार।</li> </ul> </li> </ul> |

|              |  |
|--------------|--|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कमजोर दृष्टि, लेकिन सुनने और सूंघने की क्षमता प्रबल।</li> <li>➤ प्रजनन दर बहुत धीमी।</li> </ul>   |
| <b>महत्व</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>की-स्टोन प्रजाति:</b> पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका।</li> <li>❖ <b>भारतीय गैंडा</b> असम की प्राकृतिक धरोहर का केंद्र (काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान)।</li> <li>❖ संरक्षण की सफलता <b>शासन क्षमता</b> और <b>एंटी-पोचिंग प्रभावशीलता</b> को दर्शाती है।</li> </ul> |

## Topic 7 - अल नीनो

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                                      | भूगोल   जलवायु विज्ञान  |
| <b>संदर्भ</b>  | जलवायु मॉडल संकेत दे रहे हैं कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में बढ़ता तापमान 'ला नीना' की स्थितियों को कमजोर कर रहा है, जिससे <b>2026 में अल नीनो की संभावित वापसी</b> हो सकती है। एल नीनो घटनाओं का व्यापक जलवायु प्रभाव होता है, जिसमें भारत के मानसून तंत्र पर भी असर शामिल है।  |
| <b>अल नीनो क्या है?</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ENSO)</b> का गर्म चरण है।</li> <li>❖ <b>विशेषता:</b> मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर की सतही जलधाराओं का असामान्य रूप से गर्म होना।</li> <li>❖ <b>आवृत्ति:</b> यह एक अनियमित घटना है, जो सामान्यतः <b>हर 2 से 7 वर्षों</b> में घटित होती है।</li> <li>❖ <b>प्रभाव:</b> इसके कारण <b>वैश्विक औसत तापमान</b> में वृद्धि होती है।</li> </ul>  |
| <b>उत्पत्ति की प्रक्रिया (अल नीनो कैसे बनता है?)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भूमध्यरेखा के साथ बहने वाली <b>व्यापारिक पवनें (Trade Winds)</b> कमजोर पड़ जाती हैं।</li> <li>❖ पश्चिमी प्रशांत से <b>गर्म सतही जल</b> पूर्व की ओर <b>दक्षिण अमेरिका</b> की तटरेखा की तरफ खिसक जाता है।</li> <li>❖ पूर्वी प्रशांत में <b>थर्मोक्लाइन</b> (गर्म और ठंडे जल को अलग करने वाली परत) गहरी हो जाती है, जिससे <b>ठंडे जल का ऊपरी प्रवाह (Upwelling)</b> कम हो जाता है।</li> <li>❖ इस <b>महासागर-वायुमंडल अंतःक्रिया</b> के परिणामस्वरूप दबाव पैटर्न में बदलाव आता है, जिसे <b>दक्षिणी दोलन (Southern Oscillation)</b> कहा जाता है।</li> </ul> |
| <b>प्रमुख संकेतक</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>नीनो क्षेत्रों</b> में समुद्री सतह तापमान (SST) <b>विसंगतियाँ</b>।</li> <li>❖ <b>उपसतही ऊष्मा संचय: 100 से 250 मीटर</b> की गहराई पर ऊष्मा का जमाव।</li> <li>❖ <b>महासागरीय नीनो सूचकांक (ONI):</b> कम-से-कम +0.5°C की तापमान विसंगति, जो लगातार पाँच ओवरलैपिंग मौसमों तक बनी रहे।</li> <li>❖ <b>परिसंचरण में बदलाव:</b> <b>वाँकर परिसंचरण</b> और भूमध्यरेखीय व्यापारिक पवनों का कमजोर होना या उलटना।</li> </ul>   |
| <b>अल नीनो को प्रभावित करने वाले कारक</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ व्यापारिक पवनों की <b>तीव्रता और स्थायित्व</b>।</li> <li>❖ प्रशांत महासागर की <b>उपसतही/अंतःसतही ऊष्मा सामग्री</b>।</li> <li>❖ महासागरीय तापमान और वायुमंडलीय दबाव प्रणालियों के बीच <b>अंतःक्रिया</b>।</li> <li>❖ <b>दीर्घकालिक वैश्विक ऊष्मीकरण</b>, जो प्रभावों को बढ़ा सकता है।</li> </ul>   |
| <b>प्रभाव</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ अल नीनो वर्ष अक्सर <b>वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्षों</b> में शामिल होते हैं।</li> <li>❖ <b>भारत:</b> कमजोर मानसून और <b>सूखे</b> का अधिक जोखिम।</li> <li>❖ <b>दक्षिण अमेरिका:</b> अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और <b>तटीय अपरदन</b>।</li> <li>❖ <b>ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण-पूर्व एशिया:</b> <b>सूखा</b>, तीव्र <b>लू/हीटवेव</b> और <b>वनाग्नि</b> (जंगल की आग)।</li> </ul>  |

**Topic 8 - मखाना (फॉक्स नट)**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>          | भूगोल   अर्थव्यवस्था  |
| <b>संदर्भ</b>            | भारत विश्व के लगभग <b>80% मखाना</b> का उत्पादन करता है, जो इस विशिष्ट कृषि-क्षेत्र में उसकी वैश्विक प्रधानता को दर्शाता है। इसके आर्थिक और निर्यात संभावनाओं का लाभ उठाने हेतु सरकार ने लक्षित संस्थागत और वित्तीय समर्थन शुरू किया है।   |
| <b>मखाना के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>मखाना (फॉक्स नट/गॉर्गन नट)</b> जलीय पौधे यूरिएल फेरॉक्स (Euryale ferox) का खाद्य बीज है।</li> <li>❖ तालाबों और आर्द्रभूमियों में उगाया जाता है।</li> <li>❖ <b>मुख्य उत्पादक क्षेत्र</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; मुख्यतः <b>भारत, चीन और जापान</b> में खेती।</li> <li>&gt; <b>भारत</b> सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक (विश्व उत्पादन का <b>80%</b>); <b>बिहार</b> भारत के उत्पादन का लगभग <b>85%</b> योगदान देता है, जिसमें <b>दरभंगा</b> प्रमुख केंद्र है।</li> </ul> </li> <li>❖ यह <b>श्रम-प्रधान जलीय फसल</b> है, जो पूर्वी भारत में ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।</li> <li>❖ <b>बहुउपयोगी खाद्य</b>: भुना हुआ, तला हुआ, या पारंपरिक व्यंजनों में उपयोग।</li> <li>❖ <b>महत्व</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; आर्थिक आजीविका का सशक्त स्रोत।</li> <li>&gt; पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है (प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर; कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स)।</li> <li>&gt; उच्च <b>निर्यात क्षमता</b>।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>नीतिगत समर्थन</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>राष्ट्रीय मखाना बोर्ड</b> की स्थापना।</li> <li>&gt; <b>₹476.03 करोड़</b> की केंद्रीय योजना (2025-31) - जिसका उद्देश्य उत्पादकता, प्रसंस्करण (Processing) एवं वैश्विक बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करना है।</li> </ul> </li> </ul> |

**Topic 9 - पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>        | विश्व भूगोल   भौतिक भूगोल  |
| <b>संदर्भ</b>          | एक नए अध्ययन, जिसमें 1960 के दशक के चुंबकीय आँकड़ों का विश्लेषण किया गया, ने <b>अफ़ार ट्रिपल जंक्शन</b> के पास सक्रिय समुद्री तल प्रसार (Seafloor Spreading) के स्पष्ट प्रमाण प्रदान किए हैं। यह खोज इस बात की पुष्टि करती है कि अफ्रीका महाद्वीप धीरे-धीरे दो अलग-अलग टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित हो रहा है।  |
| <b>यह क्या है?</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय महाद्वीपीय रिफ्ट प्रणाली</b> - यह प्रणाली लगभग <b>3,500 किमी</b> तक <b>लाल सागर से मोज़ाम्बिक</b> तक फैली हुई है।</li> <li>❖ <b>निर्माण</b>: यह भूपर्पटी विस्तार (crustal extension) के कारण बनी है, जिसके परिणामस्वरूप लम्बी अवनतियाँ (depressions), फॉल्ट स्कार्प, ज्वालामुखी और गहरी रिफ्ट झीलें बनती हैं।</li> </ul> |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b> | ❖ <b>टेक्टोनिक सीमा</b> : यह एक <b>अपसारी सीमा (Divergent boundary)</b> है, जहाँ <b>न्यूबियन और सोमाली</b> प्लेटें एक-दूसरे से दूर जा रही हैं। यह पृथक्करण दर लगभग <b>5-16 मिमी प्रति वर्ष</b> है (उत्तरी भाग में दर अधिक है)।   |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>अफार ट्रिपल जंक्शन:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ यह लाल सागर, अदन की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का महत्वपूर्ण मिलन बिंदु है।</li> <li>➤ इसे पृथ्वी के सबसे अधिक गतिशील टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>प्रमुख शाखाएँ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>पूर्वी रिफ्ट (इथियोपिया-केन्या):</b> यहाँ प्रमुख ज्वालामुखीय गतिविधि और उच्च मैग्मा सामग्री पाई जाती है।</li> <li>➤ <b>पश्चिमी रिफ्ट (युगांडा-मलावी):</b> यह तीव्र भूकंपीय गतिविधि और गहरी झीलों के लिए प्रसिद्ध है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सक्रिय भौगोलिक लक्षण:</b> सक्रिय ज्वालामुखी (जैसे <b>एटा आले</b>) और महत्वपूर्ण रिफ्ट झीलें (जैसे <b>टांगान्यिका</b> और <b>मलावी</b>) मौजूद हैं।</li> </ul>   |
| <b>निर्माण एवं प्रेरक शक्तियाँ</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>मेंटल प्लूम का उत्थान:</b> पूर्वी अफ्रीका के नीचे स्थित गहरा मेंटल सुपरप्लूम ऊपरी लिथोस्फीयर को गर्म करता है और ऊपर उठाता है।</li> <li>2. <b>विस्तारकारी बल:</b> भूपर्पटी में खिंचाव के कारण <b>नॉर्मल भ्रंशन</b> होता है, जिससे <b>हॉस्ट-ग्रेबन</b> संरचनाएँ और गहरी रिफ्ट घाटियाँ बनती हैं।</li> <li>3. <b>मैग्मा का अंतःप्रवेश:</b> बेसाल्टिक ज्वालामुखी और उच्च ऊष्मा प्रवाह पतली हो रही क्रस्ट को भरकर उसे और कमजोर करते हैं।</li> <li>4. <b>प्लेट अपसरण (मुख्य कारण):</b> <b>न्यूबियन और सोमाली प्लेटों</b> का निरंतर अपसरण प्राथमिक प्रेरक शक्ति है।</li> <li>5. <b>बाह्य तनाव का अंतरण:</b> समीपवर्ती <b>लाल सागर और अदन की खाड़ी</b> में सक्रिय प्रसार से उत्पन्न तनाव विशेष रूप से <b>अफार जंक्शन</b> पर विखंडन की प्रक्रिया को तेज करता है।</li> </ol> <p><b>दीर्घकाल में,</b> विशेषज्ञों का मानना है कि यह निरंतर रिफ्टिंग प्रक्रिया अंततः <b>एक नए महासागरीय बेसिन</b> के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी।</p> |

### Topic 10 - काला सागर (Black Sea)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>              | विश्व भूगोल   मानचित्रण   |
| <b>संदर्भ</b>                | काला सागर <b>पूर्वी यूरोप</b> को <b>भूमध्यसागरीय क्षेत्र</b> से जोड़ने वाला एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण <b>अंतर्देशीय सागर</b> है, जो अपनी भू-राजनीतिक एवं समुद्री महत्व के कारण अक्सर समाचारों में रहता है।   |
| <b>काला सागर के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>यह क्या है?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एक विशाल <b>अंतर्देशीय सागर</b>, जो जलडमरूमध्य की एक श्रृंखला के माध्यम से <b>भूमध्य सागर</b> से जुड़ा हुआ है।</li> <li>➤ अपनी <b>विशिष्ट परतदार (स्तरीकृत) जल संरचना</b> के लिए प्रसिद्ध - गहरी परतें <b>ऑक्सीजन-रहित (Anoxic)</b> होती हैं और <b>हाइड्रोजन सल्फाइड</b> से समृद्ध रहती हैं, जिससे एक <b>जैविक रूप से मृत क्षेत्र</b> बनता है।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>स्थिति:</b> पूर्वी यूरोप, दक्षिण काकेशस तथा अनातोलिया के बीच स्थित।</li> <li>❖ <b>पड़ोसी देश:</b> यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया।</li> <li>❖ <b>कनेक्टिविटी:</b> बोस्पोरस → मारमारा सागर → डार्डेनेल्स → एजियन सागर → भूमध्य सागर।</li> </ul> |



## SMA, SBL and Ethics

## Topic 1 - भारत में मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का सतत संघर्ष

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Syllabus</b>                    | समाजशास्त्र   सामाजिक क्षेत्र   दलित वर्ग   |
| <b>संदर्भ</b>                      | भारत में प्रतिबंधों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और राष्ट्रीय नीतियों के बावजूद मैला ढोने (Manual Scavenging) की अमानवीय प्रथा निरंतर जारी है, जो व्यवस्थागत विफलताओं और गहरे जाति-आधारित भेदभाव को दर्शाती है।  |
| <b>विधिक ढाँचा</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>1993 अधिनियम:</b> मैला ढोने वालों का रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम का कमजोर कार्यान्वयन।</li> <li>❖ <b>2013 अधिनियम:</b> मैला ढोने को अपराध घोषित किया; पुनर्वास, वैकल्पिक आजीविका और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए। उल्लंघन पर ₹5 लाख तक जुर्माना और कारावास का प्रावधान।</li> <li>❖ <b>सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>2014:</b> इसे अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का उल्लंघन माना।</li> <li>➤ <b>2023:</b> तत्काल समाप्ति और मैला ढोने के कारण होने वाली प्रति मृत्यु ₹30 लाख मुआवजा अनिवार्य किया।</li> <li>➤ <b>2024:</b> अनुपालन न करने पर नगर निकायों (Urban Local Bodies) की जवाबदेही पर बल दिया गया।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>भयावह जमीनी हकीकत और मौतें</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह प्रथा मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति समुदायों को प्रभावित करती है।</li> <li>❖ देश के 40% जिलों में अब भी मैला ढोने की रिपोर्ट है।</li> <li>❖ प्रत्येक वर्ष जहरीले सीवरों और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण 75-80 मौतें होती हैं (2023 में 80+ मौतें)।</li> <li>❖ <b>हालिया उदाहरण:</b> कोलकाता (फरवरी 2024), बेंगलुरु (जनवरी 2024), तमिलनाडु (दिसंबर 2023) में सुरक्षा उपकरण के बिना सफाई के दौरान मौतें दर्ज की गईं। <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>कोलकाता (फरवरी 2024):</b> सुरक्षा उपकरणों के अभाव में सीवर की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मृत्यु।</li> <li>➤ <b>बेंगलुरु (जनवरी 2024):</b> एक पिता-पुत्र की जान गई; हालांकि, BBMP (बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका) ने मैला ढोने की प्रथा के उपयोग से इनकार किया।</li> <li>➤ <b>तमिलनाडु (दिसंबर 2023):</b> जहरीली गैस के कारण 2 लोगों की मौत हुई।</li> <li>➤ <b>2023 के आँकड़े:</b> पिछले वर्ष, देशभर में 80 से अधिक मौतें दर्ज की गईं। इनमें सर्वाधिक मौतें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में हुईं।</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>नीतिगत और पुनर्वास विफलताएँ</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जिम्मेदारी का हस्तांतरण:</b> केंद्र सरकार जिम्मेदारी राज्यों पर डालती है, जबकि राज्य अक्सर इस प्रथा के अस्तित्व से इनकार करते हैं।</li> <li>❖ <b>वित्तीय और क्रियान्वयन की कमी:</b> पुनर्वास कार्यक्रमों को पर्याप्त धन नहीं मिला, और उनका क्रियान्वयन कमजोर रहा।</li> <li>❖ <b>प्रशासनिक कमियाँ:</b> "मैला ढोना" और "खतरनाक सफाई" के बीच कानूनी अंतर का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे अपराधी बच निकलते हैं।</li> <li>❖ <b>पुनर्वास में बाधा:</b> सीमित कौशल प्रशिक्षण और कमजोर वैकल्पिक आजीविका के अवसरों के कारण पुनर्वास विफल रहा है।</li> <li>❖ <b>मुआवजा में देरी:</b> सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य ₹30 लाख का मुआवजा परिवारों को समय पर या शायद ही कभी मिल पाता है, जिससे वे आर्थिक अस्थिरता का शिकार होते हैं।</li> </ul>  |



|  |   |
|--|---|
| <p><b>आगे की राह: समाधान और वैश्विक मॉडल</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जवाबदेही और प्रवर्तन को मजबूत करना</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>आपराधिक दायित्व:</b> अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर आपराधिक दायित्व तय करना।</li> <li>➤ <b>स्वतंत्र निगरानी:</b> प्रथा की निरंतरता को ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली स्थापित करना।</li> <li>➤ <b>NCSK को सशक्त करना:</b> राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान करना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>यांत्रिकीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>अनिवार्य यांत्रिकीकरण:</b> शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के लिए सीवर सफाई के मशीनीकरण को अनिवार्य बनाना; अनुपालन न करने पर दंड लगाना।</li> <li>➤ <b>वित्त पोषण:</b> रोबोटिक और उन्नत सीवर सफाई प्रणालियों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराना।</li> <li>➤ <b>ठेकेदारों का नियमन:</b> असुरक्षित प्रथाओं के लिए ठेकेदारों को सख्त रूप से विनियमित और दंडित करना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>व्यापक पुनर्वास और सामाजिक न्याय</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>समय पर मुआवजा:</b> मृतक के परिवारों को तत्काल और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करना।</li> <li>➤ <b>शिक्षा और प्रशिक्षण:</b> प्रभावित परिवारों के लिए छात्रवृत्ति, उन्नत कौशल प्रशिक्षण और सुरक्षित रोजगार के अवसर प्रदान करना।</li> <li>➤ <b>जातिगत कलंक हटाना:</b> इस कार्य से जुड़े जातिगत कलंक को हटाने के लिए सामाजिक अभियान चलाना।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>न्यायिक और नीतिगत सुधार</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>न्यायिक निगरानी:</b> अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निरंतर निगरानी।</li> <li>➤ <b>राज्यों को प्रोत्साहन:</b> प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देना।</li> <li>➤ <b>समय-समय पर ऑडिट:</b> योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित ऑडिट कराना।</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>निष्कर्ष</b></p>                           | <p>मैला ढोने की प्रथा शासन की खामियों, कमजोर कानून प्रवर्तन और संवैधानिक मूल्यों के विपरीत गहरे जड़ें जमा चुके जातिगत भेदभाव के कारण जारी है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और आगे होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रभावी यांत्रिकीकरण, सख्त जवाबदेही और व्यापक एवं त्वरित पुनर्वास अपरिहार्य हैं।</p>   |

## Topic 2 - दहेज-संबंधी हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>Syllabus</b></p>                | <p>समाजशास्त्र   सामाजिक क्षेत्र   दहेज</p>   |
| <p><b>संदर्भ</b></p>                  | <p>भारत के सर्वोच्च न्यायालय का <b>उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजमल बेग (2025)</b> निर्णय दहेज-संबंधी हिंसा पर एक ऐतिहासिक फैसला है। इस निर्णय में दोषसिद्धि बहाल की गई है तथा दहेज उन्मूलन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।</p>  |
| <p><b>निर्णय किस बारे में है?</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह निर्णय दहेज की समस्या का <b>सामाजिक, संवैधानिक और आपराधिक</b> दृष्टिकोण से गहन विश्लेषण करता है।</li> <li>❖ न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दहेज - चाहे उसे "उपहार" का नाम दिया जाए - <b>महिलाओं के गरिमा, समानता (अनुच्छेद 14 एवं 15) और जीवन (अनुच्छेद 21)</b> के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।</li> <li>❖ दहेज प्रथा के उन्मूलन को न्यायालय ने <b>संवैधानिक अनिवार्यता</b> घोषित किया।</li> </ul> |
| <p><b>प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>दोषसिद्धि की बहाली:</b> सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दोषमुक्ति आदेश को पलटते हुए, ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304B (दहेज मृत्यु) और धारा 498A (क्रूरता) के अंतर्गत दी गई सजा को पुनः स्थापित किया। इसके लिए <b>भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (दहेज मृत्यु की धारणा)</b> का उपयोग किया गया।</li> </ul>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ दहेज अब स्वैच्छिक भेंट न होकर एक <b>जबरन, संस्थागत प्रणाली</b> बन गया है। यह प्रथा <b>पितृसत्ता और ऊँचे वर्ण विवाह (हाइपरगेमी)</b> में गहराई से निहित है।</li> <li>❖ न्यायालय ने माना कि यह बुराई सभी धार्मिक समुदायों में फैली हुई है और इसने इस्लाम में मौजूद <b>मेहर</b> जैसी पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी कमजोर किया है।</li> </ul>  |
| भारत में दहेज की वर्तमान स्थिति            | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>NCRB डेटा:</b> प्रतिवर्ष लगभग <b>7,000 दहेज मौतें</b>, लेकिन केवल <b>4,500 मामलों में आरोपपत्र</b> दाखिल। लगभग <b>6,500 वार्षिक मुकदमों</b> में मुश्किल से <b>~100 दोषसिद्धियाँ</b> होती हैं।</li> <li>❖ <b>67% जांचें</b> छह माह से अधिक समय लेती हैं (2022)।</li> <li>❖ <b>80% मामले</b> उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और हरियाणा से आते हैं। प्रमुख महानगरों में <b>दिल्ली ~30% दहेज मौतों</b> के लिए जिम्मेदार है।</li> </ul>  |
| सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>प्रवर्तन को सुदृढ़ करना:</b> सभी राज्यों में दहेज निषेध अधिकारियों की पर्याप्त नियुक्ति, अधिकार-प्रदान और दृश्यता सुनिश्चित की जाए।</li> <li>❖ <b>क्षमता निर्माण:</b> पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के लिए दहेज हिंसा के सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आयामों पर नियमित <b>संवेदनशीलता प्रशिक्षण</b> अनिवार्य किया जाए।</li> <li>❖ <b>त्वरित न्याय:</b> उच्च न्यायालय धारा <b>304B और 498A IPC</b> के अंतर्गत लंबित मामलों के <b>समयबद्ध निस्तारण</b> की निगरानी करें।</li> <li>❖ <b>शिक्षा एवं जागरूकता:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ विद्यालय पाठ्यक्रम में <b>समानता और गरिमा</b> के संवैधानिक मूल्यों को शामिल किया जाए।</li> <li>➢ जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से <b>सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम</b> चलाए जाएं।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>न्यायिक निगरानी:</b> निर्णय को सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों को <b>अनिवार्य अनुपालन</b> हेतु प्रसारित किया जाए, निरंतर न्यायिक पर्यवेक्षण के अधीन।</li> </ul> |
| दहेज उन्मूलन से संबंधित चुनौतियाँ          | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सामाजिक स्वीकार्यता:</b> 'उपहार' के रूप में दहेज की सांस्कृतिक वैधता प्रवर्तन को कमजोर करती है।</li> <li>❖ <b>पितृसत्तात्मक विवाह बाज़ार:</b> शिक्षा, आय और हैसियत के आधार पर वरों के मूल्यांकन से प्रथा को बल मिलता है।</li> <li>❖ <b>कमजोर प्रवर्तन क्षमता:</b> कई राज्यों में दहेज निषेध अधिकारी अपर्याप्त और प्रभावहीन हैं।</li> <li>❖ <b>न्यायिक विलंब:</b> लंबे मुकदमे और कम दोषसिद्धियाँ निवारक प्रभाव को कम करती हैं।</li> <li>❖ <b>अंतर-समुदाय प्रसार:</b> धार्मिक सिद्धांतों से परे दहेज का व्यापक प्रसार।</li> </ul>  |
| आगे की राह                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शून्य-सहिष्णुता प्रवर्तन:</b> समयबद्ध जांच और अभियोजन के साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।</li> <li>❖ <b>सामुदायिक-नेतृत्व वाला मानदंड परिवर्तन:</b> कानून के साथ-साथ सामाजिक बहिष्कार आवश्यक है।</li> <li>❖ <b>आर्थिक सशक्तिकरण:</b> महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाकर हिंसा के प्रति संवेदनशीलता घटाई जाए।</li> <li>❖ <b>डेटा-आधारित पुलिसिंग:</b> साक्ष्य-आधारित लक्ष्यीकरण से जांच की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ेगी।</li> <li>❖ <b>न्यायिक अनुपालन निगरानी:</b> उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतत पर्यवेक्षण आवश्यक है।</li> </ul>   |
| निष्कर्ष                                   | 2025 का यह निर्णय दहेज को केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि <b>संवैधानिक उल्लंघन</b> के रूप में स्थापित करता है। दहेज-संबंधी हिंसा की समाप्ति के लिए <b>कठोर विधिक प्रवर्तन, सशक्त संस्थागत क्षमता और गहन सामाजिक परिवर्तन</b> का समन्वित दृष्टिकोण अनिवार्य है।   |

**Topic 3 - मीडिया नैतिकता (Media Ethics)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Syllabus</b>                             | अनुप्रयुक्त नैतिकता  |
| <b>संदर्भ</b>                               | अभिनेता धर्मेन्द्र का अस्पताल से लीक वीडियो फुटेज हाल ही में वायरल हुआ, जिसने मीडिया की अनैतिक हस्तक्षेप और मीडिया नैतिकता को सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर किया।   |
| <b>मीडिया नैतिकता क्या है?</b>              | ❖ मीडिया नैतिकता वे <b>नैतिक</b> एवं <b>पेशेवर मानक</b> हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि पत्रकार सूचना को किस प्रकार संग्रहित, सत्यापित और जिम्मेदारीपूर्वक प्रकाशित करें।  |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सत्य और सटीकता:</b> तथ्यों का सत्यापन, त्रुटियों को ठीक करना, और खबर को भ्रामक संदर्भों में प्रस्तुत करने से बचना।</li> <li>❖ <b>निष्पक्षता और न्याय:</b> तथ्य और राय के बीच स्पष्ट अंतर रखना; किसी भी प्रकार के पक्षपात या विकृत प्रस्तुति से परहेज़।</li> <li>❖ <b>स्वतंत्रता:</b> राजनीतिक/कॉर्पोरेट दबाव का प्रतिरोध; हितों के टकराव से बचना।</li> <li>❖ <b>निजता और गरिमा:</b> बीमारी, शोक या संवेदनशील अवस्था में आक्रामक कवरेज से बचना।</li> <li>❖ <b>सार्वजनिक जवाबदेही:</b> सुधार, लोकपाल (ओम्बड्समैन) और पारदर्शी तंत्र के माध्यम से विश्वास बनाए रखना।</li> </ul>   |
| <b>मजबूत मीडिया नीतिशास्त्र की आवश्यकता</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>ब्रेकिंग-न्यूज़ का दबाव:</b> गति को सटीकता से ऊपर रखा जाता है, जिससे गलत सूचना फैलती है (जैसे धर्मेन्द्र मामले में मृत्यु की झूठी अफवाहें)।</li> <li>❖ <b>डिजिटल वायरलिटी:</b> गलत लेबल वाले वीडियो तेज़ी से फैलते हैं; सुधार देर से आते हैं।</li> <li>❖ <b>विश्वास का क्षरण:</b> सनसनीखेज/उत्तेजक समाचार (Sensationalism) और ध्रुवीकरण के चलते जनता का मीडिया पर भरोसा घट रहा है।</li> <li>❖ <b>टीआरपी-आधारित इन्फोटेनमेंट:</b> जनहित की जगह चौंकाने वाली सामग्री (Shock Value) और मनोरंजन प्राथमिकता ले लेता है।</li> <li>❖ <b>संवेदनशील व्यक्तियों को निशाना:</b> सेलेब्रिटी, पीड़ित और मरीज आक्रामक कवरेज का सामना करते हैं।</li> </ul>  |
| <b>मीडिया नैतिकता में गिरावट के कारण</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>व्यावसायीकरण:</b> सनसनीखेज को वित्तीय लाभ (टीआरपी/क्लिक्स) मिलना।</li> <li>❖ <b>दोषपूर्ण स्व-नियमन:</b> मौजूदा नैतिक संहिताओं का कमजोर प्रवर्तन; अप्रभावी दंड।</li> <li>❖ <b>"जनहित" का दुरुपयोग:</b> झांक-झुक सामग्री (Voyeuristic Content) को वैध पत्रकारिता के रूप में प्रस्तुत करना।</li> <li>❖ <b>पैपराजी संस्कृति का सामान्यीकरण:</b> पीछा करना और बिना सहमति फिल्मांकन स्वीकार्य बनना।</li> <li>❖ <b>बाहरी प्रभाव:</b> राजनीतिक एवं कॉर्पोरेट स्वामित्व से संपादकीय स्वतंत्रता प्रभावित।</li> <li>❖ <b>दर्शकीय असंवेदनशीलता:</b> विषाक्त, शोरयुक्त और निम्न-गुणवत्ता मीडिया को बढ़ती स्वीकृति।</li> </ul>   |
| <b>आगे की राह</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>स्व-नियमन को मजबूत करना:</b> नैतिक संहिताओं का सख्त प्रवर्तन, अनिवार्य आंतरिक ऑडिट एवं सुधार तंत्र।</li> <li>❖ <b>कड़े गोपनीयता प्रोटोकॉल:</b> आईसीयू, चिकित्सीय छवियों या शोक कवरेज पर स्पष्ट सहमति के बिना प्रतिबंध।</li> <li>❖ <b>नीतिशास्त्र प्रशिक्षण:</b> नियमित न्यूज़रूम कार्यशालाएँ एवं केस-आधारित शिक्षा।</li> <li>❖ <b>पारदर्शिता उपकरण:</b> लोकपाल, माफी कॉलम, सुधार विंडो।</li> <li>❖ <b>डिजिटल एवं पैपराजी दिशा निर्देश:</b> बच्चों, रोगियों एवं संवेदनशील घटनाओं (जैसे अंतिम संस्कार) के लिए विशिष्ट मानक विकसित करना।</li> <li>❖ <b>मीडिया साक्षरता को बढ़ावा:</b> नागरिकों को अनैतिक सामग्री की पहचान एवं अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करना, जिससे विश्वसनीय समाचार स्रोतों को समर्थन मिले।</li> </ul> |



## Topic 4 - भारत में उच्च शिक्षा

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                                  | प्रबंधन   शिक्षा  |
| <b>संदर्भ</b>                                    | नीति आयोग ने <b>नई शिक्षा नीति (NEP) 2020</b> के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु <b>भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण</b> पर एक महत्वपूर्ण नीतिगत रिपोर्ट जारी की है। इस रोडमैप का मुख्य लक्ष्य <b>विकसित भारत @2047</b> के विजन के अनुरूप 2047 तक भारत को <b>उच्च शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र</b> बनाना है।  |
| <b>उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ उच्च शिक्षा के सभी आयामों (पाठ्यक्रम, अनुसंधान, शासन आदि) में <b>अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सांस्कृतिक और वैश्विक तत्वों</b> का उद्देश्यपूर्ण एकीकरण।</li> <li>❖ इसका उद्देश्य <b>भारत के भीतर</b> सीखने के परिणामों का वैश्वीकरण करना और साथ ही सीमा पार शैक्षणिक जुड़ाव का विस्तार करना है।</li> </ul>   |
| <b>अंतर्राष्ट्रीयकरण की मुख्य विशेषताएँ</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>घरेलू स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ वैश्विक पाठ्यक्रम, विदेशी संकाय, संयुक्त पाठ्यक्रम और भारतीय परिसरों में अंतरराष्ट्रीय शोध-अनुभव।</li> <li>➢ भारत में अध्ययन करने वाले लगभग <b>97% छात्रों</b> को लाभ।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>द्वि-दिशात्मक अकादमिक गतिशीलता</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ इनबाउंड (भारत आने वाले) और आउटबाउंड (विदेश जाने वाले) छात्र-संकाय आदान-प्रदान में संतुलन।</li> <li>➢ संयुक्त पीएचडी पर्यवेक्षण और विज़िटिंग प्रोफेसरशिप।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>सीमा-पार संस्थागत उपस्थिति</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना और विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान (HEIs)।</li> <li>➢ भारत की अकादमिक पहुँच का विस्तार।</li> </ul> </li> <li>❖ <b>अनुसंधान-आधारित वैश्विक एकीकरण:</b> संयुक्त अनुसंधान, सह-लेखक प्रकाशन, साझा प्रयोगशालाएँ और वैश्विक अकादमिक संघों का निर्माण।</li> <li>❖ <b>सॉफ्ट पावर के रूप में शिक्षा:</b> कूटनीति एवं दीर्घकालिक संलग्नता के लिए उच्च शिक्षा का उपयोग, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के साथ।</li> </ul> |
| <b>भारत में उच्च शिक्षा की संभावनाएँ</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>जनसांख्यिकीय लाभ:</b> औसत आयु <b>28.4 वर्ष</b>, विशाल प्रतिभा भंडार/पूल।</li> <li>❖ <b>पैमाना और तंत्र की क्षमता:</b> <b>1,200+ विश्वविद्यालय</b> और <b>4 करोड़ छात्र</b>।</li> <li>❖ <b>लागत-गुणवत्ता बढ़त:</b> प्रमुख विषयों में पश्चिमी देशों की तुलना में <b>30-40% कम लागत</b> पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा।</li> <li>❖ <b>ज्ञान अर्थव्यवस्था की ताकत:</b> आईटी, अंतरिक्ष, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक विश्वसनीयता।</li> <li>❖ <b>वैश्विक रैंकिंग उपस्थिति</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ वैश्विक रैंकिंग में उपस्थिति: <b>QS वर्ल्ड रैंकिंग्स 2026</b> में <b>54 भारतीय संस्थान</b> शामिल।</li> <li>➢ <b>अंतर्राष्ट्रीय छात्र क्षमता:</b> <b>2030 तक 1 लाख</b> अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेज़बानी का लक्ष्य।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>चुनौतियाँ</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>इनबाउंड-आउटबाउंड असंतुलन:</b> <b>13 लाख</b> से अधिक भारतीय छात्र विदेश में हैं, जबकि भारत में केवल लगभग <b>50,000</b> विदेशी छात्र हैं।</li> <li>❖ <b>विदेशी मुद्रा बहिर्गमन:</b> विदेश शिक्षा रेमिटेस में <b>USD 3.4 बिलियन (2023-24)</b> का भारी व्यय।</li> <li>❖ <b>नियामक विखंडन:</b> कई नियामक संस्थाओं और धीमी स्वीकृतियों के कारण विदेशी भागीदारी हतोत्साहित होती है।</li> </ul>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>संस्थागत तैयारी का अभाव:</b> अनेक राज्य/ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए छात्रावास और वैश्विक कार्यालयों की कमी।</li><li>❖ <b>वैश्विक ब्रांडिंग की कमजोरी:</b> कम अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और कमजोर पूर्व छात्र (एलुमनी) कूटनीति।</li></ul>  |
| <b>नीति आयोग द्वारा अनुशासित रणनीति</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❖ <b>अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स:</b> समन्वय और वित्तपोषण के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत गठन।</li><li>❖ <b>राष्ट्रीय समतुल्यता पोर्टल:</b> डिग्री मान्यता हेतु एक एकल-विंडो डिजिटल प्रणाली।</li><li>❖ <b>कैंपस-विदिन-ए-कैंपस मॉडल:</b> भारतीय HEIs के भीतर विदेशी विश्वविद्यालय सह-स्थापित करना; <b>10-वर्षीय सनसेट क्लॉज</b> के साथ।</li><li>❖ <b>देश-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र:</b> साझेदार देशों के लिए नोडल हब के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को नामित करना।</li><li>❖ <b>विश्व बंधु फेलोशिप:</b> वैश्विक शोधकर्ताओं और भारतीय प्रवासी (डायस्पोरा) संकाय को आकर्षित करना।</li><li>❖ <b>GIFT सिटी मॉडल का विस्तार:</b> IFSC मॉडल को कानून, प्रबंधन, सार्वजनिक नीति और खेल विज्ञान जैसे क्षेत्रों तक बढ़ाना।</li><li>❖ <b>संशोधित NIRF ढाँचा:</b> अंतर्राष्ट्रीय संकाय, इनबाउंड छात्रों और संयुक्त प्रकाशनों को रैंकिंग मापदंडों में शामिल करना।</li><li>❖ <b>टैगोर अकादमिक मोबिलिटी फ्रेमवर्क:</b> ASEAN, BIMSTEC, BRICS जैसे बहुपक्षीय समूहों के लिए क्रेडिट मान्यता प्रदान करना।</li></ul> |
| <b>निष्कर्ष</b>                         | नीति आयोग का यह रोडमैप भारत को <b>वैश्विक प्रतिभा के स्रोत से एक प्रमुख गंतव्य</b> में रूपांतरित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। इसका अंतिम लक्ष्य <b>2047 तक 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्रों</b> की मेज़बानी करना और भारत की <b>'विश्व गुरु'</b> की ऐतिहासिक भूमिका को पुनः स्थापित करना है।  |



## Miscellaneous

## Topic 1 - 'दृष्टि (DRISHTI)' निगरानी प्रणाली

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Syllabus</b>          | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी   |
| <b>संदर्भ</b>            | भारतीय रेलवे मालगाड़ियों के दरवाजों की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए <b>कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित दृष्टि प्रणाली</b> शुरू कर रहा है, जिससे छेड़छाड़ और चोरी से सुरक्षा में सुधार होगा। यह तकनीक माल ढुलाई कार्यों को अधिक पारदर्शी, सटीक और कुशल बनाएगी।  |
| <b>'दृष्टि' क्या है?</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ एआई-संचालित रियल-टाइम निगरानी प्रणाली, जो परिवहन के दौरान मालवाहक वैगनों के दरवाजों की लॉकिंग स्थिति को ट्रैक करती है।</li> <li>❖ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) और IIT गुवाहाटी - TIDF द्वारा संयुक्त रूप से विकसित।</li> <li>❖ <b>उद्देश्य</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ अनलॉक, खुले या छेड़छाड़ किए गए वैगन दरवाजों का स्वचालित पता लगाना।</li> <li>➢ धीमी और श्रम-साध्य मैनुअल जाँच को कम करना।</li> <li>➢ माल परिवहन में सुरक्षा, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाना।</li> </ul> </li> </ul>   |
| <b>मुख्य विशेषताएँ</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ AI कैमरे और सेंसर लगातार वैगन दरवाजों की निगरानी करते हैं।</li> <li>❖ कंप्यूटर विज्ञान एल्गोरिदम दरवाजों की स्थिति और ताले का विश्लेषण करते हैं।</li> <li>❖ छेड़छाड़, आंशिक ताला या अप्रत्याशित गतिविधि के लिए वास्तविक समय में अलर्ट।</li> <li>❖ ट्रेन को रोके बिना स्वचालित रूप से विसंगति का पता लगाना।</li> <li>❖ उन्नत इमेजिंग तकनीक उच्च गति परिवहन के दौरान भी सटीकता सुनिश्चित करती है।</li> <li>❖ 10 महीने के सफल परीक्षणों से उच्च विश्वसनीयता सिद्ध हुई है।</li> <li>❖ एनएफआर और भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने के लिए स्केलेबल सिस्टम।</li> </ul> |

## Topic 2 - इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026

|  |   |
|--|---|
| <b>Syllabus</b>                                | Reports   Economy   |
| <b>संदर्भ</b>                                  | इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 भारत की <b>नियोज्यता दर (रोजगार-योग्यता दर)</b> के <b>56.35%</b> तक पहुँचने को रेखांकित करती है, जो युवाओं के कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाता है। यह रिपोर्ट <b>तकनीकी तत्परता, महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी, और व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) व AI-आधारित कौशलों की बढ़ती मांग</b> पर विशेष जोर देती है।  |
| <b>इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2026 के बारे में</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ यह भारत की कार्यबल तैयारी (Workforce Readiness) का आकलन करने वाला एक <b>वार्षिक राष्ट्रीय मूल्यांकन</b> है।</li> <li>❖ यह ETS (शैक्षिक परीक्षण सेवा), CII (भारतीय उद्योग परिसंघ), AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद), AIU (भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ) तथा Taggd द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है।</li> <li>❖ यह रिपोर्ट <b>रोजगार-योग्यता, कौशल अंतराल, भर्ती प्रवृत्तियाँ और भविष्य के कार्य-परिदृश्य की मांगें</b> जैसे प्रमुख मापदंडों को ट्रैक करती है।</li> </ul> |
| <b>प्रमुख प्रवृत्तियाँ</b>                     | ❖ <b>समग्र रोजगार-क्षमता में सतत वृद्धि:</b> भारत की कुल रोजगार-क्षमता दर 56.35% तक पहुंच गई है, जो   |





पिछले चार वर्षों से लगातार सुधार दर्शा रही है।

- ❖ **महिलाओं की बेहतर कार्यबल भागीदारी:** महिलाओं की रोजगार-क्षमता (54%) पुरुषों की तुलना में बेहतर है (पुरुषों की 51.5% रही)।
- ❖ **तकनीक और AI का वर्चस्व:**
  - कंप्यूटर साइंस (80%) और आईटी (78%) क्षेत्र नौकरी-तैयारी में शीर्ष पर हैं।
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कौशलों की मांग सबसे मजबूत है।
- ❖ **"स्किल्स-फर्स्ट" भर्ती रुझान:** अब भर्ती का केंद्र पारंपरिक डिग्रियों की बजाय कौशलों पर स्थानांतरित हो रहा है। यह प्रवृत्ति माइक्रो-क्रेडेंशियल्स और अनुभवजन्य अधिगम के बढ़ते उपयोग से प्रेरित है।
- ❖ **गिग अर्थव्यवस्था का विस्तार:** गिग हायरिंग में लगभग 38% वृद्धि दर्ज की गई, और यह कुल नौकरियों का लगभग 16% हिस्सा बन गई है।
- ❖ **उच्च इंटरनेट मांग:** लगभग 92.8% छात्र व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटरनेट के अवसरों की तलाश में हैं।
- ❖ **विषय-विशिष्ट प्रगति:** कॉमर्स (62.8%), विज्ञान (~61%), और आर्ट्स (~55%) संकायों में रोजगार-क्षमता में मजबूत लाभ देखा गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में भी सुधार दर्ज किया गया है।

### Topic 3 - लाल गलियारे से नक्सल-मुक्त भारत तक

| Syllabus                                     | आंतरिक सुरक्षा   नक्सलवाद  |
|--|--|
| संदर्भ                                       | भारत नक्सल-मुक्त भारत वामपंथी उग्रवाद (LWE) को नियंत्रित करने में निर्णायक रूप से सफल रहा है, जहाँ वामपंथी उग्रवाद (LWE) अब केवल कुछ गिने-चुने, अलग-थलग इलाकों तक सीमित रह गया है। यह तीव्र गिरावट 2014 के बाद से अपनाई गई सुरक्षा + विकास + सुशासन की निरंतर रणनीति का परिणाम है।   |
| नक्सलवाद में प्रमुख प्रवृत्तियाँ (2014-2025) | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>भौगोलिक नियंत्रण:</b> प्रभावित जिलों की संख्या में भारी कमी (126 से घटकर 11)। सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर केवल 3 रह गई है।</li> <li>❖ <b>हिंसा में कमी:</b> 2004-2014 की तुलना में, घटनाओं में 53%, नागरिक मौतों में 70% और सुरक्षा बलों की मौतों में 73% की कमी आई है।</li> <li>❖ <b>संगठन का क्षरण:</b> गिरफ्तारियाँ, आत्मसमर्पण और माओवादी कैडरों को निष्प्रभावी करने की कार्रवाई चरम पर है (जैसे 2025 में: 317 निष्प्रभावी, 800+ गिरफ्तार, और लगभग 2,000 आत्मसमर्पण)।</li> <li>❖ <b>समानांतर शासन का पतन:</b> बुनियादी ढाँचे (सड़कें, दूरसंचार) के विस्तार और मजबूत पुलिसिंग के कारण जंगल में स्थित माओवादी ठिकानों का विघटन हुआ है।</li> </ul> |





|  |  |
|--|--|
| <p><b>नक्सलवाद का संक्षिप्त इतिहास</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>1967 (नक्सलबाड़ी):</b> कृषि संकट और भूमि-वंचना ने सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया।</li> <li>❖ <b>1980-2000 दशक:</b> कमजोर प्रशासन के कारण पाँचवीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों में विस्तार।</li> <li>❖ <b>2004: CPI (माओवादी)</b> का गठन - LWE की तीव्रता बढ़ी।</li> <li>❖ <b>2005-2014:</b> 'मुक्त क्षेत्रों' के साथ उग्रवाद चरम पर, जिसके बाद राज्य की प्रतिक्रिया में विस्तार हुआ।</li> <li>❖ <b>2014 के बाद:</b> स्थायी कैंप, अवसंरचना, कल्याण और पुलिसिंग के माध्यम से निर्णायक वापसी।</li> </ul>  |
| <p><b>नक्सलवाद के विरुद्ध प्रमुख पहलें</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>शासन एवं अधिकार</b></li> <li>➤ <b>पाँचवीं अनुसूची:</b> अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष शासन।</li> <li>➤ <b>PESA, 1996:</b> स्थानीय संसाधनों पर ग्राम सभा का नियंत्रण।</li> <li>➤ <b>FRA, 2006:</b> वनाधिकारों की मान्यता।</li> <li>❖ <b>विकास</b></li> <li>➤ <b>अवसंरचना संतृप्ति:</b> सड़कें, बिजली, दूरसंचार - अलगाव में कमी।</li> <li>➤ <b>वित्तीय समावेशन:</b> DBT और बैंकिंग से वसूली/उगाही अर्थव्यवस्था पर रोक।</li> <li>➤ <b>कौशल व शिक्षा:</b> वैकल्पिक आजीविका से भर्ती में कमी।</li> <li>❖ <b>सुरक्षा</b></li> <li>➤ <b>अग्रिम तैनाती:</b> स्थायी कैंप पुनः कब्जे को रोकते हैं।</li> <li>➤ <b>वित्तीय नाकेबंदी:</b> वसूली और हथियार आपूर्ति बाधित।</li> <li>➤ <b>आत्मसमर्पण व पुनर्वास:</b> प्रोत्साहन से कैडर शांति के हितधारक बनते हैं।</li> </ul> |
| <p><b>विद्यमान चुनौतियाँ</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>शासन अंतराल:</b> दूरदराज के आंतरिक क्षेत्रों में न्यायालय, स्वास्थ्य सेवा और विद्यालयों की अपर्याप्त उपलब्धता।</li> <li>❖ <b>अधिकारों के हनन का जोखिम:</b> FRA/PESA का कमजोर क्रियान्वयन आदिवासियों के बीच अविश्वास को बढ़ाता है।</li> <li>❖ <b>सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता:</b> गरीबी, भूमि विवाद और विस्थापन जैसे अंतर्निहित मुद्दे।</li> <li>❖ <b>वैचारिक निरंतरता:</b> प्रचार और शहरी/डिजिटल समर्थन नेटवर्क की उपस्थिति।</li> </ul>   |
| <p><b>आगे की राह</b></p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>सुशासन-केंद्रित सेवा वितरण:</b> केवल सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करना।</li> <li>❖ <b>स्थानीय स्वशासन का सशक्तीकरण:</b> ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार सौंपना और माओवादियों की समानांतर नियंत्रण प्रणालियों को पूरी तरह समाप्त करना।</li> <li>❖ <b>प्रशासनिक स्वदेशीकरण:</b> पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों में स्थानीय लोगों की भर्ती को प्राथमिकता देना।</li> <li>❖ <b>संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा:</b> ग्राम सभा की लेखापरीक्षित सहमति को अनिवार्य बनाना और <b>सामुदायिक वन अधिकार (CFR)</b> सहित FRA के प्रावधानों को सख्ती से लागू करना।</li> </ul>  |
| <p><b>निष्कर्ष</b></p>                         | <p>भारत ने नक्सलवाद की <b>सैन्य और क्षेत्रीय शक्ति</b> को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। अब, स्थायी शांति <b>विश्वास-आधारित सुशासन, न्याय वितरण, और आदिवासी सशक्तीकरण</b> के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जिससे पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में संवैधानिक वादे एक जीवंत वास्तविकता बन सकें।</p>   |

**Your Notes**





# Focus on Answer Writing

Connect Civils - Dedicated to Civil services only

State of Rajasthan can be termed as Mini India.  
 Rajasthan (Land of Kings) is areawise largest and 7<sup>th</sup> Population wise state, situated in N-W Part.  
 The most diverse state of Country →  
 History → About 5000 years old, ancient name - Marukantur, Rukshpradesh  
 • IVC sites → Kalibanga, Copper Age - Ahad  
 • Ruled by numerous rulers - Rajput, Marathas  
 • Wars like Haldighati, devere fought here.  
 Geography → Lot of similarity in demography of India & Raj. Mountains ← Himalaya Thar desert Hadoti Plateau  
 • Mineral rich state - 84 kinds of minerals excavated. Copper, lead, zinc, Feldspar, wallastonite.  
 • Agriculture → Millets, Bajra • Solar, wind, Hydro energy  
 Culture → • Fairs and Festivals → Desert Festival (Jaisalmer) of national importance Pushkar Fair (Ajmer)  
 • Costume → various costumes in different parts - Safa, dhoti ornaments Pomehra, Lugdi  
 • Dialects - Marwadi, Mewadi, Shekhadi, Vagadi  
 • Food - diversity in food like India. Dal-bati-churma  
 Ethnicity → Tribal people ← India - Gondi, Bhit, Santhal, Munda Rajasthan - Bhit, Garasiya, Mina, Sahasija  
 Political → Multi party system exists - BJP, INC, RLP, BSP AAP like India  
 ↳ Prominent leaders → Lt. Bhairon Singh ji sekhawat, OM Birla Jagadep dhanwad  
 Economical → Multi sector Economy - Agriculture Manufacture service like India (28.95%) (27.31%) (43.74%)  
 ↳ Tourism state, Best wedding destination  
 "सौना री धरती अठे, चौदी रो आसमान।  
 रंग रंगीली रस भरयेदो, म्दारो प्यारो राजस्थान" ॥  
 Thus, having unity in diversity (Historical, cultural, geographical ecological), the state of Rajasthan can be termed as Mini India. Like India, Rajasthan has also came along way from Bimaru state to Mini India.






0. राजस्थान राज्य को 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है। विस्तार में समझाइए।  
 30 मार्च 1949 को राजस्थान, भारत गणराज्य में शामिल हुआ। देश का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल → 10. पा.। भारत व राजस्थान की ऐसी समानताएँ जिसमें राज. को 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है :-  
 आधार  
 कृषि-प्रधान - भारत की 70%, राज. की 60-65%, आबादी कृषि व कृषिगत कार्यों में संलग्न।  
 आधान, वाणिज्यिक, मसाला फसलों की प्रधानता।  
 भौगोलिक विविधता  
 हिमालय उच्चावच प. मरु. अरावली पर्वत प. मरु. गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पूर्व मैदान हाड़ोती पठार  
 आकार में भारत समचतुर्भुज राज. विषम-कोणीय चतुर्भुज  
 उभरती आर्थिक वृद्धि GDP वृद्धि दर: भारत → 7%, राज. → 8.19% विकासशील देशों के परिचयी भाग में आसियान महत्व की डेवलपिंग लोकन पाकिस्तान के साथ  
 अन्तर्देशीय सीमा  
 विविधता में एकता  
 भाषायी - गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, व. राज. - माइवाड़ी, टून्डाड़ी, हाड़ोती, मेवाड़ी, इत्यादि बोलियाँ 'पाँच कोस में बढ़ते पाणी, दस कोस में बोली'  
 धार्मिक - 18.8% हिंदू 14.2% मुस्लिम 2.3% इसाई 1.7% सिख 0.70% बौद्ध 0.37% जैन 88.5% हिंदू 3.07% मुस्लिम 1.3% सिख 0.9% जैन 0.14% इसाई  
 सामाजिक-वैभव - कनेक्टिविटी व जैव-विविधता तीर्थ-स्थल, लोक-संगीत, खान-पान, पहनावा, संस्कृति में अनन्य विशेषता।  
 ऐतिहासिक - विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएँ भारत - हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो राज. - जालंधर, कालीबंगा, वैजठ डिवायतो, ठिकानो, 1857, 1947 का गौरवशाली भाड़ा इतिहास  
 खनिज व प्राकृतिक संसाधन - खनिज - भारत 87, राज. → 81 प्रकार के प्राकृतिक तैल-गैस, और परंपरागत उर्जा-संसाधन  
 जमान-सुनौतियों → शिक्षा, जरीबी, गिरना भू-जल स्तर, अनुसंधान, गिरिजा, असमानता et c  
 निष्कर्ष: राजस्थान भारत का उचित प्रतिनिधित्व करता है और इसे 'मिनी इंडिया' कहा जा सकता है।

Free content and answer writing on website and App







# Study Material

Complete coverage of RBSE/NCERT/IGNOU/NIOS



Smart Strategy - Budget, Eco survey, PYQs analysis



Visit the Connection center and feel the vibe



21/2, Gopalpura Bypass Rd,  
VISHVAISARIYA NAGAR,  
Jaipur, Rajasthan 302018



8690222044



Connect Civils RAS



Youtube Lecture